राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम, १९५६

(राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

(एक्ट संख्या १५, सन् १९५६ ई०)

(रूपांतरकार)

जी एस गोस्वामी

संशोधनकर्त्ता

बी एल पगारिया



प्रकाशक —

बाफना बुक डिपो

चौड़ा रास्ता, जयपुर

संस्करण १९६८]

[मूल्य ५) रु०

प्रकाशक

पारना बुक डिपो
चौड़ा रास्ता
जयपुर

मुद्रक
कीर्ति प्रिन्टर्स
महावीर पार्क रोड
जयपुर-३

अनुक्रमणिका

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम १९५६

अध्याय १

प्रारम्भिक

अध्याय २

राजस्व-मण्डल

अध्याय ३

राजस्व न्यायालय और अधिकारी

(क) क्षेत्रीय विभाग

(ग) शक्तियां

(घ) पटवारी कानूनगो और निरीक्षक

(ङ) ग्राम अधिकारी तथा कर्मचारी

अध्याय ४

राजस्व न्यायालय तथा अधिकारियों की कार्यप्रणाली

अध्याय ५

पुनरावेदन, अभिदेश, निगरानी तथा नजरसानी

अध्याय ६

भूमि

अध्याय ७

भूमी-मापन और अभिलेख संग्रह

(क) सामान्य

(ख) सीमा चिन्ह

(ग) नक्शा एवं खसरा

(घ) अधिकार अभिलेख

(ङ) मानचित्र खसरे की सुरक्षा

✓(च) वार्षिक पत्रिका

(छ) विविध

अध्याय ७क

✓आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण पैमाइश

अध्याय

भू प्रबन्ध स्तर

(क) सामान्य

(ख) लगान की दरें

(ग) लगान का [illegible]

(घ) बन्दोबस्त की अवधि

(ङ) मध्यवर्ती पुनर्वाचन

(च) विविध

अध्याय ९

सम्पत्तियों का वितरण

अध्याय १०

राजस्व-संग्रह

अध्याय ११

विविध

प्रथम अनुसूची
(धारा २३ देखिये)

द्वितीय अनुसूची
(धारा २६३ देखिये)

राजस्थान राजस्व विधियाँ (विस्तार) अधिनियम १९५७

प्रथम अनुसूची

द्वितीय अनुसूची
(देखिये धारा ९)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, १९५६

(राजस्थान लैण्ड रैवेन्यू एक्ट)

[राष्ट्रपति द्वारा २१ मई १९५६ को स्वीकृत]

[एक्ट संख्या १५, सन् १९५६ ई०]

[राजस्थान राजपत्र गजट विशेषांक दिनांक १ जून १९५६ के खण्ड ४ अ में प्रकाशित हुआ]

भूमि, राजस्व अदालतों राजस्व अधिकारियों एवं ग्राम सेवकों की नियुक्ति उनके हक और कर्तव्य, भूमि के नक्शों व रेकार्डों के बनाने एवं सुरक्षित रखने, राजस्व एवं लगान के निर्धारण, सम्पत्ति के विभाजन, राजस्व के संग्रह एवं तत्सम्बन्धी कानून के एकीकरण एवं संशोधन हेतु,

एक

अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में निर्मित हुआ—

(नोट 'ग्राम अधिकारियों' विलोपित—राज एक्ट १८ सन १९६१ ।

अध्याय १

प्रारम्भिक

[धारा १] संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ '— (१) यह अधिनियम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तारक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य होगा।

(टिप्पणी—[यह अधिनियम आबू अजमेर और सुनैल क्षेत्र के लिए भी दिनांक १५ जून १९५८ से, जिस दिन से राजस्थान अधिनियम १९५८ संख्या २ राजस्व विभाग (अ) की विज्ञप्ति प्रमाण संख्या एफ (२८१) राजस्व /ग/५६ दिनांक २०-३-५८ को राजस्थान राजपत्र गजट खण्ड ४-ग दिनांक ८ मई १९५८ के पृष्ठ ७५१ म प्रकाशित किया गया, लागू हुआ]

(३) यह [सरकारी गजट] में, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में नियुक्त दिनांक से प्रभाव में आयेगा।

[धारा २] अधिनियम से अप्रभावित कानून —इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या यों नहीं की जायगी कि जिससे राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम १९५२ (एक्ट स ६ सन् १९५२) [या अजमेर अबोलीशन आफ इन्टरमीडियरीज एण्ड रिफोर्मस एक्ट १९५५ (अजमेर का एक्ट ३ आफ १९५५)

या बोम्बे मर्जड टेरीटरीज एण्ड एरियाज (जागीर अबोलीशन) एक्ट १९५३ (बोम्बे एक्ट XXXIX आफ १९५४) जहां तक कि यह आबू क्षेत्र को लागू होता है या मध्य भारत जमींदारी अबोलीशन एक्ट, सम्वत् २००८ (मध्यभारत एक्ट १३ आफ १९५१) और मध्य भारत अबोलीशन आफ जागीर एक्ट सम्वत् २००८ (मध्य भारत एक्ट २८ आफ १९५१) जहां तक यह सुनेल के क्षेत्र को लागू होता है] राजस्थान संक्षिप्त भू-प्रबन्ध अधिनियम १९५३ (एक्ट सं० १६ सन् १९५३) या राजस्थान टीनेंसी एक्ट १९५५ (एक्ट संख्या ३ १९५५) या राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ (एक्ट संख्या २१ सन् १९५३) अथवा धारा २६३ द्वारा खण्डित नहीं किये गये किसी अन्य कानून या विधान के प्रावधान की प्रभावशीलता को प्रभावित करें या उस पर प्रतिबन्ध लगाये।

(धारा ३) व्याख्या — (१) विषय अथवा सन्दर्भ द्वारा अन्य प्रकार से अपे- क्षित न होने पर इस अधिनियम में—

(१) 'लैण्ड रेकर्ड आफीसर' का अर्थ कलक्टर से होगा और इसमें सहायक अथवा अतिरिक्त लैण्ड रेकर्ड आफीसर भी सम्मिलित हैं

(क) म्युनिसिपलिटी' से मतलब वह होगा जिससे तात्पर्य राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट १९५१ (राजस्थान एक्ट २३ आफ १९५१) से या अन्य किसी म्युनिसिपल कानून से जो फिलहाल लागू हो से है,

(ख) 'नजूल भूमि से अभिप्राय राज्य सरकार के मातहत उस आबादी भूमि से है जो म्युनिसिपेलिटी या पंचायत सर्किल या, गांव कस्बा या शहर की सीमा के अन्दर है।

(ग) 'पंचायत सर्किल से तात्पर्य उस मतलब से है जिसका मतलब राजस्थान पंचायत कानून १९५३ (राजस्थान एक्ट २१ आफ १९५३) या अन्य किसी पंचायत कानून जो फिलहाल लागू हो से है।

[ ] टिप्पणी —[राजस्थान अधिनियम संख्या २, १९५८ के खण्ड ४ द्वारा जो राजस्थान गजट, खण्ड ४ म विशेषांक दिनांक १३ १ ५८ द्वारा परिवर्तित किया गया]

(२) 'निर्धारित से अर्थ इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित से होगा,

(३) किसी पार्टी (पक्ष) के स्वीकृत प्रतिनिधि से तात्पर्य इस अधिनियम के मातहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो पार्टी द्वारा उसके लिये हाजरी देने प्रार्थनापत्र पेश करने एवं अन्य कार्य करने के लिये अधिकृत किया गया हो

(३ क) 'राजस्व अपील प्राधिकारी' से अभिप्राय उस अधिकारी से होगा जो धारा २० क के अन्तर्गत ऐसे रूप में प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो,

(४) 'भू प्रबन्ध अधिकारी में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी भी सम्मिलित होगा,

(५) 'गांव से अभिप्राय ऐसे भूमि खण्ड से होगा जो स्वीकृत होकर रेकर्ड कर लिया गया है अथवा भविष्य में स्वीकृत होकर रेकर्ड कर दिया जाय

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को किये गये सदभ का अभिप्राय किसी ऐसे सदभ से भी होगा जो कि उसी दर्जे पर उसी रीति से अतिरिक्त अधिकारी की हैसियत से नियुक्त किये गये अधिकारियों को किया गया हो,

(७) राजस्थान काश्तकारी कानून १९५५ (अधिनियम सख्या ३ सन् १९५५) में परिभाषित शब्द एव कथन जहां कहीं इस अधिनियम में आये हो वैसा ही अर्थ प्रकट करेंगे जो कि उक्त कानून में उनके साथ लगाया गया है, और

(८) किसी अधिकार स्वत्व या हित का बोध कराने वाले शब्द एव कथन के अर्थ में ऐसे व्यक्ति के अधिकार, स्वत्व या हित में उसके पूर्वगामी एवं अनुगामी व्यक्तियों को भी शामिल किया जायेगा।

अध्याय २

राजस्व मण्डल

[धारा ४] मण्डल की स्थापना एव निर्माण —(१) राजस्थान राज्य के लिये एक राजस्व-मण्डल (BOARD OF REVENUE) की स्थापना की जायेगी और उसे अधिनियम में आगे केवल मण्डल या 'बोर्ड' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

(२) इस बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा तथा अन्य ऐसे सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार समय समय पर करेगी और ऐसे सदस्यों की सख्या कम से कम ३ होगी।

(३) उप धारा (२) के अधीन की गई सभी नियुक्तियों की सूचना [सरकारी गजट] में प्रकाशित की जायेगी।

(४) राज्य सरकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये योग्यतायें निर्धारित करेगी ❀

[धारा ५] सदस्यों की कार्यविधि —[गवर्नर] के आदेशानुसार बोर्ड के सभी सदस्य अपना २ पद ग्रहण करेंगे।

[धारा ६] बोर्ड की बैठक का स्थान —राजस्व मण्डल का मुख्य कार्यालय [अजमेर] में रहेगा लेकिन राज्य सरकार की विशेष व साधारण हिदायतों के अधीन वह क्षेत्राधिकार में किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगा।

❀ सरकार ने इस धारा के अधीन राजस्व मंडल के सदस्यों की योग्यताए निर्धारित नहीं की प्रतैव माना बनाम राज्य – १९६६ आर० आर० डी० २५० में राजस्व मंडल द्वारा पूर्ण न्यायालय (फुल बैंच) में बोर्ड की स्थापना को गैर कानूनी करार दे दिया बाद में राजस्थान एक्ट २१ सन १९६६ के द्वारा उसको वैध घोषित की गई है।

[धारा ७] सचिवालय अधिकारी :—बोर्ड के लिये एक रजिस्ट्रार की तथा ऐसे कर्मचारीगण की नियुक्ति की जायेगी, जो इस अधिनियम द्वारा या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य विधान नियम या आज्ञा द्वारा या उसके अन्तर्गत बोर्ड के लिये नियत कर्तव्यों के पालनार्थ या बोर्ड की प्रदत्त अधिकारी के लिये आवश्यक हो।

(२) राज्य सरकार के विशेष व साधारण आदेशों के अधीन उपधारा (१) के अन्तर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जिसका बोर्ड निर्देश करे।

[धारा ८] बोर्ड की शक्तियाँ —(१) बोर्ड इस अधिनियम के अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम १९५५ (अधिनियम संख्या ३, सन् १९५५) या प्रभावशील किसी अन्य विधि के अन्तर्गत रहते हुए, राजस्थान के पुनर्निवेदन, निगरानी अथवा प्रसंग के लिये सबसे बड़ी राजस्व अदालत होगी।

परन्तु शर्त यह है कि जहां कहीं किसी दीवानी या किसी राजस्व अदालत के बीच उनके क्षेत्राधिकार एवं विचाराधिकार के सम्बन्ध में कोई सन्देह या विवाद होगा तो ऐसे मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय राजस्थान [राज्य] की सभी दीवानी व राजस्व अदालतों के लिये जिसमें बोर्ड भी सम्मिलित होगा अन्तिम व मान्य होगा।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शक्तियों के अलावा बोर्ड ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो समय २ पर राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाय अथवा इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत अथवा वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अन्तर्गत बोर्ड को प्रदान किये जाय या उस पर आरोपित हों।

[धारा ९] अधीन राजस्व-अदालत पर आम निगरानी—इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत सभी राजस्व अदालतें एवं राजस्व अधिकारी बोर्ड के अधीन रहेंगे तथा ऐसी अदालतों एवं अधिकारों पर आम निगरानी एवं नियन्त्रण रखने का बोर्ड को अधिकार होगा।

[धारा १०] मण्डल के क्षेत्राधिकार का प्रयोग— (१) सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में अथवा इसके किसी भाग विशेष में वर्तमान में लागू किसी विधि या विधान में अथवा प्रस्तुत अधिनियम के अधीन या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा प्रावहित किये जाने के अतिरिक्त और इस विषय में निर्मित नियमों के अधीन, बोर्ड का क्षेत्राधिकार प्रयुक्त किया जायगा—

(क) अध्यक्ष अथवा बोर्ड के किसी अन्य अकेले सदस्य द्वारा, या

(ख) दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा निर्मित बोर्ड की किसी बैठक द्वारा

परन्तु शर्त यह है कि किसी अकेले सदस्य द्वारा दिये गये निर्णय से असन्तुष्ट पक्ष को ऐसे अकेले सदस्य द्वारा निर्णय दिये जाने की तारीख के बाद एक मास की अवधि के भीतर दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा निर्मित बोर्ड की किसी बैंच के समक्ष पुनर्निवेदन करने का अधिकार होगा यदि निर्णय देने वाला सदस्य यह घोषणा करता है कि यह मामला अपील किये जाने योग्य है।

[धारा १०] (२) बोर्ड में एक चेयरमैन व कम से कम ३ और अधिक से अधिक ७ सदस्य होंगे।

[धारा १०] (३) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक कार्य या प्रभावित किया गया प्रत्येक आदेश अथवा उपधारा (२) के अधीन वितरण या विभाजन के अनुसार किया गया कार्य या दिया गया आदेश बोर्ड का ही कार्य अथवा आदेश जैसी भी स्थिति हो, समझा जायगा।

[धारा १०] (४)—कोई भी व्यक्ति बोर्ड का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक कि यह आई० ए० एस के रूप में कम से कम १२ वर्ष तक कार्य न कर चुका हो।※

[धारा ११] बैंच को परामर्श हेतु मामला भेजने का अधिकार'—एकाकी स्थिति में कार्य करने वाला अध्यक्ष या बोर्ड का कोई अन्य सदस्य यदि उचित समझे तो उस विषय के कारणों को लेखबद्ध करने के उपरान्त ऐसे किसी भी कानून के या रिवाज के जो कानून के समान ही प्रभावशील हो या उसी मामले में पेश किये जाने वाले किसी दस्तावेज की बनावट के प्रश्न को बैंच के परामर्श के लिये भेज सकता है और ऐसा मामला या कार्यवाही बैंच की राय के अनुसार ही निपटाई जायेगी।※※

※ इस धारा के अधीन उन मामलात में स्पेशल अपील पेश नहीं हो सकती कि जिनमें अपील के प्रावधान जारी होते हैं। राजस्व मण्डल का निर्णय सरकार बनाम रावत हिम्मतसिंह–१९६६ आर० आर० डी०–१४० को मंसूख करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने रावत हिम्मतसिंह बनाम राज्य सरकार की रिट याचिका १९६७ आर० आर० डी० ५२ में राजस्थान फोरेस्ट एक्ट के अधीन स्पेशल अपील सुनने की बोर्ड की मनाही की है। इस निर्णय से बोर्ड का फैसला मेसर्स बाबा स्टोर एण्ड ग्रोसरी प्राइवेट लि० बनाम राज्य सरकार १९६५ आर० आर० डी० ८२ भी प्रभावित होता है। ए० आई० आर० १९५८ सर्वोच्च न्यायालय १९८ को स्वीकार करते हुए बोर्ड ने घनश्याम बनाम महन्त रामचरणदास १९६४ आर० आर० डी० २१३ में निर्णय दिया कि किसी हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर अधीन का फैसला अन्तिम निर्णय नहीं होता है अथवा उप धारा (१) के अधीन ऐसे मामले में कोई अपील नहीं सुनी जा सकती है क्योंकि अपील एक मूल अधिकार होता है। ए० आई० आर० १९५७ सर्वोच्च न्यायालय–५०४।

※※ इस धारा के अधीन बोर्ड का कोई भी खंड पीठ (बैंच) किसी अधिक सख्या वाले या पूर्ण न्यायालय (फुल बैंच) को किसी भी प्रश्न पर रेफरेन्स कर सकता है। पन्नेसिंह बनाम कुमानसिंह १९५१ आर० आर० डी० –१०१।

[धारा १२] किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजना –

(१) धारा ११ में उल्लिखित किसी मामले में उठाये गये प्रश्न को यदि बैंच आम जनता से सम्बन्धित मानते हुए महत्वपूर्ण समझे और यह भी विचार करे कि उस पर उच्च न्यायालय की राय लेना उचित होगा तो वह ऐसा प्रश्न हाईकोर्ट की राय के लिये भेजेगा।

(२) उच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जिसे वह उचित समझे इस प्रकार भेजे गये प्रश्न पर अपनी सलाह को लेखबद्ध करेगा और उस मामले का निर्णय ऐसी सलाह से सामंजस्य होगा।

[धारा १३] मत भेद की अवस्था में निर्णय —(१) जब कोई मामला बोर्ड की बैंच के द्वारा सुना जाता हो, ऐसे मामले का निर्णय सुनवाई करने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होगा। ※

(२) यदि ऐसे विषय में आज्ञा देने के सम्बन्ध में मतविभाजन बराबर हो जाय तो वह विषय किसी अन्य सदस्य को विचार हेतु भेजा जावेगा तथा तत्पश्चात् सभी सदस्यों के बहुमत के अनुसार निर्णय दे दिया जायगा जिसमें वे सदस्य भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कि विषय की पहले सुनवाई की थी।

[धारा १४] रजिस्टर आदि का रखा जाना —बोर्ड ऐसे रजिस्टर पुस्तकें और हिसाब किताब बनवायेगा और उनकी व्यवस्था करेगा जो कि नियत किये जावें अथवा जिनकी बोर्ड के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकता हो।

अध्याय ३

राजस्व न्यायालय और अधिकारी

(क) क्षेत्रीय जिले

[धारा १५] क्षेत्रीय विभाजन —(१) राजस्व के प्रयोजनार्थ तथा राज्य के सामान्य प्रशासन के लिये समग्र राजस्थान में इतने जिले होंगे जितने कि राज्य सरकार उचित समझे।

(२) [निलोपित]

(३) अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार किसी भी जिले को सब डिविजनों में विभाजित कर सकती है। प्रत्येक सब डिविजन एक या एक से अधिक तहसीलें होंगी।

※ इस धारा के प्रावधान जाब्ता दीवानी की धारा ९८ के प्रावधानों से सहज ही मेल खाते हैं किन्तु राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अधीन यह धारा लागू नहीं होगी। गंगाराम बनाम मेघराज १९६५ आर० आर० डी० ८ में बोर्ड की फुल बैंच ने तय किया कि इस धारा में प्रयुक्त शब्द मामलों का का मतलब जजों के मध्य उत्पन्न विवाद बिन्दु से होता है।

(४) राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक तहसील को उप-तहसीलों में विभाजित कर सकती है।

(५) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक जिले, सब डिविजन तहसील और उप तहसील की सीमा का राज्य सरकार निर्धारण करेगी।

(६) इस धारा के अन्तर्गत निर्मित सभी जिलों, सब डिविजनों, तहसीलों और उप तहसीलों की सूचना राजस्थान सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी।

(७) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के समय वर्तमान जिले सब डिविजन, तहसीलें एवं उप तहसीलें [जिन किन्हीं स्थानीय नामों से बोले जाते हों।] इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित जिले, सब डिविजन तहसीलें एवं उप-तहसीलों के रूप में तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि इस सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अथवा इस अधिनियम के अनुपालन में कोई अन्य प्रावधान नहीं कर दिये जाय।

[धारा १६] जिले आदि के निर्माण, उन्मूलन तथा परिवर्तन का अधिकार — राज्य सरकार, राजस्थान में सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित कर—

(क) नये जिलों सब डिविजनों, तहसीलों और उप तहसीलों का सगठन कर सकती है अथवा वर्तमान जिलों, सब डिविजनो, तहसीलों और उप तहसीलों की समाप्ति कर सकती है, और

(ख) इनमें से किसी की भी प्रादेशिक हदबन्दी में परिवर्तन कर सकती है।

(ख) न्यायालय एवं अधिकारी

[धारा १७] [विलोपित]

[धारा १८] सेटलमेण्ट कमिश्नर और अतिरिक्त सेटलमेण्ट कमिश्नर— राज्य सरकार समस्त राज्य के लिये एक सेटलमेण्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगा और अतिरिक्त सेटलमेण्ट कमिश्नर की नियुक्ति ऐसी संख्या तक की जा सकती है जो उसकी राय में उचित हो।

[धारा १९] लैण्ड रेकार्ड डाइरेक्टर और सहायक भूलेख अध्यक्ष— सम्पूर्ण राज्य के लिये राज्य सरकार एक डाइरेक्टर ऑफ लैण्ड रेकर्ड की नियुक्ति करेगी तथा वह ऐसी संख्या में अतिरिक्त एवं सहायक भूलेख अध्यक्ष नियुक्त करेगी जो कि उसको आवश्यक प्रतीत हो।

[धारा २०] अन्य अधिकारियों की नियुक्ति—

(क) (१) प्रत्येक जिले में एक कलक्टर जो कि जिले के लिये भूलेख अधिकारी भी होगा, और

(२) प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार,
की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(ख) (१) जिले में एक अतिरिक्त भूलेख अधिकारी,

(२) जिले में सेटलमेंट अधिकारी (भू प्रबन्ध अधिकारी)

(३) जिले में इतने सहायक कलक्टर, जितने कि वह उचित समझे और

(४) तहसील में इतने नायब तहसीलदार जितने कि वह उचित समझे कि नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है—

(ग) (१) किसी सहायक कलक्टर को जिले के एक या एक से अधिक सब डिविजन का प्रभारी

(२) किसी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को किसी एक या एक से अधिक उप तहसीलों का प्रभारी———

राज्य सरकार स्थित करेगी और

(घ) (१) किसी एक जिले के लिये दो या दो से अधिक जिलों के सम्मिलित क्षेत्र के लिये किसी अतिरिक्त कलक्टर और

(२) किसी एक तहसील के लिये या दो या दो से अधिक तहसीलों के सम्मिलित क्षेत्र के लिये अतिरिक्त तहसीलदार—

राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है।

[धारा २० का]—राजस्व अपील प्राधिकारी—(१) राज्य सरकार राजस्व न्यायिक वादों Revenue Judicial cases) तथा ऐसे अन्य मामलों में जो विधि द्वारा विशेष रूप से प्रावहित किए जायं के विषय में अपील पुनरीक्षण तथा निर्देश (References) प्राप्त करने उनकी सुनवाई करने तथा उनका निपटारा करने के लिए इतने अधिकारी जो, तीन से कम न होते हुये आवश्यक प्रतीत हों नियुक्त कर सकेगी।

(२) इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी कहलायेगा तथा वह अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिनका राज्य सरकार, समय समय पर, निर्देश दे, इजलास करेगा।'

[धारा २१] पदन नियुक्तियां—धारा १७ या १८ या १९ या २० अथवा धारा २० का के अधीन कोई भी नियुक्ति कार्यालय के निमित्त की जा सकती है।

[धारा २२] नियुक्तियों की विज्ञप्ति—धारा १७ से धारा २१ के अधीन की गई सभी नियुक्तियां राजस्थान सरकारी गजट में विज्ञापित की जायेंगी, किन्तु शर्त यह है कि नायब तहसीलदार की नियुक्तियों का ऐसा प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

(ग) शक्तियां

[धारा २३] नियंत्रक शक्ति—(१) राज्य में राजस्व से सम्बन्धित सभी गैर अदालती विषयों में निर्गम भू प्रबन्ध से सम्बन्धित मामले सम्मिलित नहीं होंगे, नियंत्रण की सत्ता राज्य सरकार में निहित होगी और सभी अदालती मामलों की तथा भू प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी मामलों के नियंत्रण की सत्ता बोर्ड में निहित होगी।

(२) शब्द "अदालती विषय" से तात्पर्य ऐसी किसी कार्यवाही से है जिसमें कि किसी राजस्व अधिकारी या अदालत को उस विषय के व्यक्तियों के अधिकारों एवं उनकी जिम्मेदारियों का निश्चय करना पड़ता है, और प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों की कार्यवाही और आलाप तथा पुनरावेदन देखरेख और सदैव इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अदालती विषय माने जायेंगे।✽

[धारा २४] राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की क्रमगत आधीनता—धारा ९ एवं धारा २३ के अन्तर्गत रहते हुए—

(१) (विलोपित)-

(२) किसी जिले में सभी अतिरिक्त जिलाधीश सब डिविजनल अधिकारी सहायक जिलाधीश, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ऐसे जिले के कलक्टर के अधीन रहेंगे।

(३) किसी सब डिवीजन में सभी तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ऐसे सब डिवीजन के सब डिविजनल अधिकारी के आधीन होंगे।

(४) किसी तहसील में सभी अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसी तहसील के तहसीलदार के आधीन रहेंगे।

(५) सभी अतिरिक्त भूप्रबन्ध आयुक्त जिलाधीश अतिरिक्त जिलाधीश भूप्रबन्ध अधिकारी, तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सेटलमेण्ट कमिश्नर के आधीन होंगे।

✽ कि नियमों के प्रावधान को मातहतपन से मान कर कार्य किया जाना आवश्यक है और तहसीलदार नियमों के मुताबिक मनमाने तरीके या सुर्यो अमान की कोई मूचा मनारमेंट के लिए नहीं बताये और अमान का पावदन उनके ... मुद्दा... के बाहर भी कर देता है तो ऐसे मामलों में राजस्व मण्डल निगरानी स्वीकार करेगा।

श्रीचन्द्र बनाम सेमराज-१९६२ आर० आर० डी० ९८१।

(६) किसी तहसील में सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ऐसी तहसील मे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले भू प्रबन्ध अधिकारी के आधीन रहेंगे।

(७) सभी अतिरिक्त एवं सहायक लैण्ड रेकर्ड डायरेक्टर, जिलाधीश अतिरिक्त जिलाधीश लैण्ड रेकर्ड अधिकारी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, लैण्ड रेकर्ड डाइरेक्टर के आधीन रहेंगे।

(८) किसी तहसील में सभी तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसी तहसील में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले लैण्ड रेकर्ड अधिकारी के अधीन होंगे, और

(९) किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अध्याय ७ के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी ऐसे क्षेत्र के लिए नियुक्त लैण्ड रेकर्ड अधिकारी के मातहत रहेंगे जबकि अध्याय ८ के अन्तर्गत इस प्रकार विशेषतौर पर नियुक्त सभी अधिकारी ऐसे क्षेत्र के भू प्रबन्ध अधिकारी के आधीन होंगे।

[धारा २५] न्यायालयों और अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य—

(१) प्रत्येक कलक्टर अथवा सब डिविजनल अधिकारी अथवा तहसीलदार क्रमश अपने डिविजन, जिले सब डिविजन या तहसील में इस अधिनियम द्वारा या इसके आधीन या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ (राजस्थान अधिनियम सं० ३ सन १९५५) अथवा वर्तमान में प्रभावशील किसी कानून के द्वारा या उसके आधीन प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा और आरोपित किये गये समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा।

(२) राज्यभर के भूप्रबन्ध सम्बन्धी सभी विषयों का प्रभारी भूप्रबन्ध आयुक्त होगा जो इसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके आधीन दिये गये सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा निर्धारित सभी कर्तव्यों को पूरा करेगा।

(३) समग्र राज्य की पैमाइश और भूलेख के निर्माण, पुनर्राचन एवं प्रबन्ध का प्रभारी भूलेख अध्यक्ष होगा जो इसके सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या वर्तमान मे प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त सब शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(४) भूलेख अधिकारी अथवा अध्याय ७ के आधीन नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करेगा।

(५) अध्याय ८ के अन्तर्गत नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी या भूप्रबन्धाधिकारी इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और आरोपित किये गये सभी कार्यों का पालन करेगा।

(६) कोई अतिरिक्त भूप्रबन्ध आयुक्त या कोई अतिरिक्त या सहायक भूलेख अध्यक्ष या कोई अतिरिक्त जिलाधीश या कोई अतिरिक्त तहसीलदार उस क्षेत्र में जिसके लिए वह मुकर्रर किया गया है क्रमश भूप्रबन्ध आयुक्त या भूलेख अध्यक्ष या जिलाधीश या तहसीलदार के ऐसे अधिकारों एवं कर्तव्यों का किन्हीं ऐसे विषयों या मामलों के समूह के सम्बन्ध में [इस कानून के अन्तर्गत जो उस समय लागू हो] जिनके लिये राज्य सरकार निर्देश करे, प्रयोग एवं पालन करेगा तथा प्रत्येक अतिरिक्त भूप्रबन्ध आयुक्त या अतिरिक्त या सहायक भूलेख अध्यक्ष या अतिरिक्त जिलाधीश या अतिरिक्त तहसीलदार, उस क्षेत्र में जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गई हो, ऐसे अधिकारों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के समय, सभी कार्यों के लिये आयुक्त या भूप्रबन्धायुक्त या भूलेख अध्यक्ष या कलक्टर या तहसीलदार जैसी भी सूरत हो, समझा जायेगा।

(७) कोई सहायक जिलाधीश या नायब तहसीलदार ऐसे जिले या तहसील के अन्दर जैसी भी स्थिति हो जिसके लिये वह नियुक्त किया गया है इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि या उसके आधीन प्रदत्त एवं आरोपित अथवा राज्य सरकार के किसी या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समर्पित अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्रमश प्रयोग एवं पालन करेगा।

[धारा २६] न्यायालयों और अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियाँ —

(१) '[सरकारी गजट] में विज्ञप्ति द्वारा, राज्य सरकार

(क) किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार के सभी या कोई अधिकार

(ख) किसी तहसीलदार को सहायक कलक्टर के सभी या कोई अधिकार,

(ग) किसी सहायक कलक्टर को सब डिविजनल अधिकारी या भूलेख अधिकारी या भूप्रबन्ध अधिकारी या जिलाधीश के सभी अथवा आंशिक अधिकार

(घ) किसी सब डिविजनल अधिकारी को भूलेख अधिकारी या भूप्रबन्धाधिकारी या कलक्टर के सभी या आंशिक अधिकार,

(ङ) किसी भूलेखाधिकारी या भूप्रबन्धाधिकारी को सब डिविजनल अधिकारी या सहायक जिलाधीश या कलक्टर के सभी या कोई अधिकार

(च) किसी कलक्टर को भूप्रबन्धाधिकारी के सभी या कोई अधिकार,

(छ) (विलोपित)

(ज) किसी भूप्रबन्ध आयुक्त को भूलेख अध्यक्ष के सभी या कोई अधिकार प्रदान कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिये गये अधिकारों का किन्हीं ऐसे क्षेत्रों में और किन्हीं ऐसे विषयों या मामलों या विषयों या मामलों के समूह के सम्बन्ध में प्रयोग किया जायेगा जिनके लिए राज्य सरकार निर्देश करे।

(३) राज्य सरकार व्यक्तियों को उनके नाम से अथवा अधिकारियों को सामान्य रूप से उनके पदों के नाम द्वारा इस धारा के अधीन सशक्त बना सकती है।

यदि किसी तहसील, सब डिविजन जिले, अथवा अन्य किसी क्षेत्र का कोई पदाधिकारी, जिसको इस धारा के अन्तर्गत मनोनीत कोई अधिकार सौंप गये हों किसी समान प्रकृति एवं समान श्रेणी के पद पर किसी अन्य तहसील सब डिविजन जिले या क्षेत्र मे स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो भी वह, जब तक कि राज्य सरकार अन्य निर्देश न करे, ऐसे तहसील, सब डिविजन, जिले, अथवा क्षेत्र में इस धारा के अन्तर्गत उन्हीं (पूर्ववत्) अधिकारों से समाविष्ट अधिकारी माना जावेगा।

टिप्पणी—उक्त धारा में इस अधिनियम के अन्तगत उन अतिरिक्त अधिकारों का उल्लेख है जो अधिकारी अपने वास्तविक अधिकारों के अलावा प्रयोग में लायेगा। यह अधिकार स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दिये गये नये अधिकारों का प्रयोग अधिकारी स्थानान्तरण होने के बाद अपने नये क्षेत्र में भी करेगा जब तक सरकार उन अधिकारों को वापिस न ले ले।

[धारा २७] न्यायालयों एवं अधिकारियों के आत्म जात अधिकार — धारा २५ एवं २६ में निर्दिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त—

(क) राजस्व अपील प्राधिकारी को कलक्टर, सब डिविजनल अधिकारी, सहायक कलक्टर एवं तहसीलदार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

(ख) कलक्टर को सब डिविजनल अधिकारी सहायक कलक्टर और तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

(ग) सब डिविजनल अधिकारी को सहायक कलक्टर एवं तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे

(घ) सहायक कलक्टर को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे,

(ङ) तहसीलदार को नायब तहसीलदार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे, और

(च) भूलेख अधिकारी अथवा भूप्रबन्धाधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार अथवा अध्याय ७ या अध्याय ८ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी अधिकारी के समग्र अधिकार प्राप्त होंगे।

[धारा २८] स्थायी रिक्त स्थानों को अस्थायी काल के लिये अधिकारियों द्वारा सम्भालना —कलक्टर अथवा सब डिविजनल अधिकारी अथवा तहसीलदार के पद के स्थायी रूप से रिक्त हो जाने के कारण जब कोई अधिकारी जिले, सब डिविजन

या तहसील के जैसी भी अवस्था हो, मुख्य मन्त्राधिकारी प्रशासन का अस्थायी रूप से अधिकारी होगा है जब तक राज्य सरकार के आदेशों तक, [राज्य] में वर्तमान किसी भी प्रभावशील कानून द्वारा या उसके अधीन कलक्टर या सब डिविजनल अधिकारी या तहसीलदार को प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उस पर आरोपित सभी कर्त्तव्यों का क्रमगत प्रयोग तथा पालन करेगा।

(धारा २९) अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति —कोई अधिकारी जब अपने पद से अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो—

(१) उसके हैडक्वार्टर पर कार्यरत अन्य समान श्रेणी वाला अधिकारी या यदि कोई समान श्रेणी वाला अधिकारी न हो, इस प्रकार कार्यरत कोई अन्य ऊंची श्रेणी वाला अधिकारी अथवा यदि कोई ऐसा ऊंची श्रेणी वाला अधिकारी न हो कोई अन्य निम्न श्रेणी का इस प्रकार कार्यरत अधिकारी अपने साधारण पद एवं कर्त्तव्यों को निभाते हुये अनुपस्थित अधिकारी के पद का कार्यभार सम्भालेगा और उस पद पर विधिपूर्वक नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्यभार न ले लेने तक उस पद का कार्याधिपति बना रहेगा और कार्यवाहन की अवधि में अनुपस्थित अधिकारी के दैनिक कर्त्तव्यों की पूर्ति करेगा और

(२) यदि इस प्रकार के हैडक्वार्टर पर कोई समान उच्च या निम्न श्रेणी का अधिकारी कार्य न कर रहा हो अथवा स्वयं वह भी गैरहाजिर हो तो मुख्य सचिवालय कर्मचारी को समय समय पर किसी विषय, मामले या कार्यवाही का स्थगित करने का अधिकारी होगा।

टिप्पणी—इस धारा का आशय यह है कि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में, यदि इस कार्यालय में उसकी श्रेणी का कोई अन्य अधिकारी मौजूद नहीं हो तो, उससे ऊपर की श्रेणी का अथवा नीचे की श्रेणी का अधिकारी उसका कार्य सम्भालेगा। काम सम्भालने वाला अधिकारी केवल रोज का काम ही निपटावेगा और किसी नीति से सम्बन्धित मामले को सम्बन्धित अधिकारी के लिये छोड़ देगा।

(घ) पटवारी, कानूनगो और निरीक्षक

[धारा ३०] पटवारियों के मण्डलों का निर्माण एवं परिवर्तन —राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से भू लेख अयन, समय समय पर प्रत्येक जिले के ग्राम को पटवारी क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है और ऐसे मण्डलों की संख्या एवं सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

[धारा ३१] पटवारियों की नियुक्ति —इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के मातहत अध्याय ७ के अन्तर्गत वार्षिक पत्रिकायें एवं लेख समूह तैयार करने के लिये एवं उनमें सुधार करने के लिये अपना नियुक्ति के सर्कल के आसामियों एवं

भूमिधारियों से प्रगणा लगान, राजस्व और अन्य मतालबों के संग्रह के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किन्हीं अन्य कार्यों के लिये कलक्टर प्रत्येक क्षेत्र के लिये एक पटवारी नियुक्त करेगा।

[धारा ३२] भूलेख निरीक्षण सर्किलों का निर्माण एवं परिवर्तन —भूलेख अध्यक्ष राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, प्रत्येक जिले के पटवारी-सर्किलों को भूलेख-निरीक्षक क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित कर सकता है।

[धारा ३३] गिरदावर, कानूनगो या भूलेख निरीक्षक की नियुक्ति — कलक्टर प्रत्येक भूलेख निरीक्षक क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अध्याय ७ के अन्तर्गत वार्षिक पत्रिकाओं एवं लेख संग्रह के निरीक्षण, प्रबन्ध एवं सुधार के लिये एक गिरदावर या कानूनगो या भूलेख निरीक्षक की नियुक्ति करेगा।

[धारा ३४] सदर कानूनगो —इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन भूलेखाध्यक्ष प्रत्येक जिले में गिरदावर, कानूनगो या भूलेख निरीक्षक के कार्य के निरीक्षण हेतु और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किन्हीं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक या एक से अधिक सदर कानूनगो की नियुक्ति करेगा।

[धारा ३५] पटवारी एवं कानूनगो की योग्यतायें आदि —पटवारी गिरदावर कानूनगो अथवा भूलेख निरीक्षक और सदर कानूनगो की योग्यताओं उनकी नौकरी की शर्तों एवं उनके कर्त्तव्यों का नियमन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार होगा।

[धारा ३६] भूलेख तैयार करने के लिये आवश्यक सूचना देने का उत्तरदायित्व —वर्तमान में प्रभावशील किसी विधान द्वारा या ऐसे विधानाधीन निर्मित किसी नियम द्वारा किसी पटवारी अथवा गिरदावर कानूनगो या भूलेख निरीक्षक अथवा सदर कानूनगो द्वारा किसी व्यक्ति का हित, अधिकार या उत्तरदायित्व सरकारी पत्रिका में दर्ज किया जाना आवश्यक हो तो उसके चाहने पर पत्रिका के ठीक संग्रह के लिये आवश्यक सभी सूचनाओं को देने के लिये ऐसा व्यक्ति स्वयं बाध्य होगा।

टिप्पणी —उस धारा के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भूमि के सम्बन्ध मे कोई हित अथवा अधिकार राज्य के वार्षिक रजिस्टर मे दर्ज करवाना चाहेगा तो यह उसका स्वयं का कर्तव्य होगा कि वह अपना व धार्मिक जिम्मेदारी समझते हुये सम्बन्धित अधिकारी को उसकी सूचना दे।

[धारा ३७] [विलोपित]

[धारा ३८] (विलोपित)

[धारा ३९] (विलोपित)

[धारा ४०] (निलोपित)

[धारा ४० का] लम्बरदारों की सेवाओं की समाप्ति —(१) राजस्थान जनरल क्लाजेज एक्ट, १९५५ राजस्थान एक्ट ८, सन् १९५५), या तत्समय प्रभावशील किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त या नियुक्त किये हुए समझे गये समस्त लम्बरदार, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम १९६३ के प्रारम्भ होने की तारीख से उस गाव या गावों के उस समुदाय, जिसके या जिनके लिए वे नियुक्त किये गये थे के लम्बरदार नहीं रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं उनको सौंप गये कार्य एवं कर्तव्यों को निभाना बन्द कर देंगे तथा लगान या लगान या राज्य के किसी भी अन्य बकाया की वसूली करने का कार्य जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे दे, हल्के के पटवारी द्वारा सम्पन्न किया जायगा।'

[धारा ४१] ग्राम सेवक —प्रत्येक गाव मे या गावों के समुदाय में निम्नांकित में से इतने एवं ऐसे कर्मचारी जैसे कलक्टर, राज्य सरकार के आदेशाधीन निर्देश करे, नियुक्त एवं व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात्—

(१) एक गाव का प्रहरी या चौकीदार

(२) एक गांव मामी, और

(३) ऐसे अन्य ग्राम सेवक जिनके विषय में समय समय पर राज्य सरकार [सरकारी गजट] में विज्ञप्ति प्रकाशित करे।

[धारा ४२] रिक्त स्थान —पटवारी जिसकी सर्किल मे ग्राम या ग्रामों का समूह हो पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर किसी ग्राम सेवक के निधन त्यागपत्र देन या पच्युत किये जाने अथवा अन्य किसी रीति से उसके स्थान के खाली होने की सूचना तहसीलदार को देगा। तत्पश्चात तहसीलदार नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

[धारा ४३] ग्राम सेवक पत्रिका —(१) प्रत्येक तहसीलदार अपनी तहसील के प्रत्येक गाव या गावों के समूह के लिये कलक्टर द्वारा नियत अवधि के भीतर प्राप्त मर्दुमशुमारी के आधार पर निर्धारित विवरणों सहित सभी ग्राम सेवकों की एक पत्रिका तैयार करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक रजिस्टर स्थायी रेकर्ड के बतौर अप-टू-डेट रखा एवं सुरक्षित किया जायगा और समय समय पर ग्राम सेवकों की संख्या में उनके व्यक्तियों में तथा अन्य विवरणों में किये जाने वाले सुधार उसमें ठीक ढंग से अंकित किये जायेंगे तथा कानूनी रूप से व प्रमाणित किये जायेंगे।

[धारा ४४] ग्राम सेवकों का पारिश्रमिक —धारा ४१ के अधीन नियुक्त

एवं व्यवस्थित किये जाने वाले ग्राम सेवक इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित परिमाण में तथा नियत तरीके से निर्दिष्ट पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे।

[धारा ४५] पारिश्रमिक, कुर्की एवं हस्तान्तरण से अप्रभावित रहेगा — किसी ग्राम सेवक का पारिश्रमिक चाहे वह भूमि के रूप में हो या भूमि से समाविष्ट हित के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो हस्तान्तरण या राजस्थान शासनकारी अधिनियम (संख्या ३, सन् १९५७) द्वारा प्रमाणित सीमा के अतिरिक्त किसी भी अन्य भार के योग्य नहीं होगा और किसी भी न्यायालय के लिये यह वैध नहीं होगा कि वह ऐसे पारिश्रमिक या उसके किसी अंश को कुर्क करे या बेचे।

—टिप्पणी—उक्त धारा में ग्राम सेवक का संरक्षण प्रदान किया गया है। पारिश्रमिक पर कोई न्यायालय किसी भी प्रकार की डिक्री नहीं दे सकता है। अतः यदि वह ऋण ग्रस्त और संकट ग्रस्त है तो भी ग्रामसेवक के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रख सकता है।

[धारा ४६] ग्रामसेवकों के कर्तव्य —(१) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक ग्रामसेवक, ग्राम चौकीदार के अतिरिक्त, इस अधिनियम के नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक ग्राम चौकीदार इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा दिये गये एवं आरोपित अथवा पुलिस सुपरिंटेण्डेण्ट द्वारा आयोजित अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्रमशः पालन तथा प्रयोग करेगा।

[धारा ४७] नियुक्तियां करने की प्रणाली —जब जिलाधीश यह निर्देश करे कि कोई ग्राम सेवक किसी गांव या गांवों के समुदाय के लिये नियुक्त किया जायगा अथवा जब कभी किसी ग्राम सेवक का पद रिक्त हो जाय तो ऐसे निर्देश के अथवा ऐसे पदों के रिक्त होने के पश्चात् ६ माह की अवधि के भीतर तहसीलदार उस पर नियुक्ति करेगा।

[धारा ४८] नियुक्ति के लिए अयोग्यतायें —ऐसा कोई व्यक्ति जो कि —

(क) वयस्क न हो या

(ख) अपने पद से सम्बद्ध कार्य करने के लिये आवश्यक मानसिक अथवा शारीरिक शक्ति से युक्त न हो या

(ग) उस क्षेत्र में निवास न करता हो जिसके लिये वह नियुक्त किया जा रहा हो, अथवा

(घ) किसी फौजदारी अदालत द्वारा नैतिक पतन युक्त दुराचरण के अपराध में अपराधी करार दे दिया गया हो।

टिप्पणी—उक्त धारा के अनुसार ग्राम सेवक के पद के लिए केवल वयस्क व्यक्तियों की ही नियुक्ति होगी। भारतीय वयस्क अधिनियम १८७५ की धारा ३ के अनुसार वयस्क होने के लिए १८ वर्ष की आयु निर्धारित की गई। वयस्कता के अलावा अन्य योग्यताएं भी ग्रामसेवक के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है जैसे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य उस ग्राम का अधिवास, सबसे आवश्यक नैतिक चरित्र, आदि हैं। किसी नैतिक अपराध में दण्डित व्यक्ति को भी इस पद के लिए अयोग्य समझा जावेगा।

(धारा ४९) लम्बरदारों तथा ग्राम सेवकों को दण्डित करना, मोअत्तिल करना और उनको नौकरी से हटाना —(१) अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से न निभाने के कारण दोषी ग्राम सेवक, तहसीलदार की आज्ञानुसार अधिक से अधिक तीस रुपये जुर्माने के तौर पर देने के लिये उत्तरदायी होगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किन्हीं नियमों के अधीन ग्रामसेवक या लम्बरदार यदि—

(१) इस तरह काम करने के लिये तैयार न हो अथवा काम करने के लिये शारीरिक रूप से योग्य न हो या

(२) किसी बड़े दुराचरण अथवा कर्त्तव्यों की अविरल एवं आश्चर्यमयी लापरवाही का दोषी हो, या

(३) अन्य किसी प्रणाली से अपने पद योग्य न रहे तो अपने आचरण का प्रमाण दिये जाने बाबत सुनवाई का मौका दिये जाने बाद मोअत्तिल किया जायेगा, पदच्युत किया जायेगा या पद से हटा दिया जायेगा।

[धारा ५०] ग्राम प्रहरी को पुलिस अधिकारियों के अन्तर्गत रखने का अधिकार —सरकार यह निदेश दे सकती है कि किसी ग्रामसेवक को (धारा ४७ और ४६ के अधीन) नौकरी देने या सजा देने के अधिकार किसी विशेष क्षेत्र में समस्त अथवा किसी एक ग्राम प्रहरी के सम्बन्ध में किसी पुलिस सुपरिटेंडेंट या पुलिस इंसपेक्टर द्वारा व्यवहार में लाये जांय, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में एक माह की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को पुनरावेदन पेश किया जाय।

अध्याय ४

राजस्व न्यायालय तथा अधिकारियों की कार्य प्रणाली

(धारा ५१) न्यायालय के बैठने अथवा जांच पड़ताल करने का स्थान —(१) अध्याय ३ के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी धारा २०-क में अन्तर्निष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने कार्यक्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी स्थान पर अपनी अदालत की बैठक रख सकता है और पूछताछ कर सकता है।

(२) स्वाह किये जाने योग्य कारणों के अलावा कोई भी ऐसा अधिकारी ऐसी सीमा के बाहर किसी भी स्थान पर न कोई मामला सुनेगा और न उसमें पूछताछ करेगा।

(धारा-५२) भूमि पर प्रवेश करने तथा पैमाइश का अधिकार —जब कभी मौखिक या लिखित रूप में अधिकृत किये जाय तो सभी राजस्व तथा ग्राम अधिकारी

और उनके सेवक एवं कर्मचारी किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकेंगे तथा वहां पैमाइश कर सकेंगे या सीमा के निशान बना सकेंगे तथा इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील अन्य कानून के अधीन प्रावधानित उनके कर्तव्यों से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य कर सकेंगे।

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी घर में या रिहायशी घर में जुड़े हुये किसी उद्यान या बाड़े वाले चबूतरे पर तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उस स्थान के काबिज से कम से कम २४ घण्टे की सूचना देकर अनुमति न ले ली गई हो और इस प्रकार के प्रवेश के समय मकान में रहने वालों की धार्मिक व सामाजिक भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये।

(धारा ५३) बोर्ड इत्यादि के मामलों को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी सरकारी अधिकार —राज्य सरकार या भूलेखाध्यक्ष भू प्रबन्ध से असंलग्न किसी भी गैर अदालती मामले या मामलों के समूह को और बोर्ड या भूप्रबन्ध आयुक्त या भूलेखाध्यक्ष किसी अदालती या भूप्रबन्ध सम्बन्धी मामले या ऐसे मामलों के समूह को किसी एक मातहत राजस्व अदालत या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य अदालत या अधिकारी को जो उस मामले में कार्यवाही करने के लिए सक्षम हो, स्थानान्तरित कर सकता है।

[धारा ५४] अधीनस्थों से अथवा अधीनस्थों के मामले स्थानान्तरित करने के अधिकार —सब डिविजनल अधिकारी, भूलेख अधिकारी अथवा भूप्रबन्धाधिकारी कलक्टर, तहसीलदार इस अधिनियम के अन्तर्गत खड़े होने वाले अथवा अन्यरूप में पूछताछ या निर्णय के लिए कोई मामला या मामले अपनी फाइल में से किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी के पास भेज सकता है जो कि उस मामले या मामलों की तजवीज के लिये योग्य हो अथवा किसी ऐसे राजस्व अधिकारी से किसी मामले या मामलों को वापिस ले ले और ऐसे मामले या मामलों का निपटारा खुद करे अथवा निपटारे हेतु उन्हें किसी ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी के पास भेज दे जिसको उन्हें सुनने एवं निपटाने का अधिकार प्राप्त हो।

परन्तु किसी मामले में पूछताछ के बाद किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश के लिए कोई रिपोर्ट पेश की जाती है तो बाद वाला अधिकारी अन्तिम आदेश जारी करने के पहले फरीकेन को सुनवाई का एक मौका देगा।

[धारा ५५] मामलों का एकीकरण —निर्णय हेतु जब मुख्यरूप से एक ही प्रश्न को अथवा एक ही आधार को लेकर एक से अधिक मामले किसी एक या अधिक राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन होंगे तो किसी भी फरीक द्वारा उस अदालत को जिसके अधीनस्थ अन्य अदालत या अदालतें हों इस विषय का आवेदनपत्र देने पर इन सब मामलों का एकीकरण एक ही अदालत में कर दिया जायेगा और वे सब मामले एक ही फैसले द्वारा तय कर दिये जायेंगे। ऐसे मामले उच्चतर न्यायालयों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

[धारा ५६] आवेदन पत्र उपस्थिति इत्यादि कौन दे ? '— वर्तमान' में प्रभावशील किसी विधि अधीन अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तगत किसी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी के समक्ष किये जाने वाले कार्य, दिये जाने वाले आवेदनपत्र एव उपस्थितिया प्रस्तुत की जा सकती है-

(क) फरीकेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से, या

(ख) उनके स्वीकृत प्रतिनिधियों द्वारा अथवा

(ग) विधि-व्यवसायियों द्वारा जो ऐसी अदालत में अधिकारी के समक्ष वकालत करने के लिए समर्थ हों तथा फरीकेन द्वारा विधिवत स्वीकृत हो—

परन्तु राजस्व अदालत या अधिकारी द्वारा किसी फरीक की उसके द्वारा स्वीकृत अभिकर्ता या वकील की नियुक्ति किये जाने के बावजूद भी व्यक्तिगत उपस्थित किसी कार्यवाही में वांछित हो सकती है।

[धारा ५६का] आवेदन पत्रों, अपीलों आदि का प्रस्तुत किया जाना—

(१) समस्त आवेदन-पत्र, अपीलें तथा कार्यवाहियां, प्रतिकूल प्रभाव रखने वाले प्रावधान के अभाव में, ऐसे न्यायालय अधिकारी अथवा प्राधिकारी को जिसमें या जिसको ऐसे आवेदन-पत्र, अपीलें या कार्यवाहियां इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा तत्समय प्रभावी किसी भी अन्य विधि या ऐसी विधि के अधीन बनाये गये नियमों के किसी भी प्रावधान के अधीन पेश होती है, प्रस्तुत की जायगी —

परन्तु यदि ऐसे किसी भी प्रावधान के अधीन कोइ भी आवेदन-पत्र, अपील या कार्यवाही राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश होती है तो ऐसा आवेदन-पत्र, अपील या कार्यवाही उस जिले—जिसमें कि ऐसे आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही के लिये पूर्णत या अशत वाद हेतु उत्पन्न होता है—के कलक्टर को प्रस्तुत की जा सकेगी या के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।

(२) उप धारा (१) के परन्तुक के अधीन आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही प्राप्त होने पर कलक्टर यह देखने के लिए उसकी जांच करेगा कि क्या उस पर यथोचित न्यायालय शुल्क दिया जा चुका है, क्या वह उसको उस समयावधि, यदि कोई हो के अन्दर अन्दर प्रस्तुत की गई है जो ऐसे प्रस्तुतीकरण के लिये निर्धारित की गई है, क्या निर्णयों, डिक्रियों और आज्ञाओं की समस्त आवश्यक प्रमाणीकृत प्रतियां उसके साथ संलग्न है तथा क्या धारा ५६ के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा उपयुक्त प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है और तत्पश्चात यदि आवेदन पत्र, अपील या कार्यवाही नियमानुकूल पाई जाय या कलक्टर द्वारा देखे गये दोष यदि कोई हो, जहां कहीं सम्भव हों, दूर कर दिए जाने के पश्चात्, कलक्टर आवेदन पत्र अपील या कार्यवाही को मामले के रसाइ सहित उसको सुनने तथा निपटान के लिए तत्समय सक्षम राजस्व अपील प्राधिकारी को भेजेगा।

[धारा ५७] राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों को व्यक्तियों की उपस्थिति और प्रपत्रों को प्रस्तुत करने तथा साक्षी ग्रहण करने के सम्बन्ध में शक्तियां —(१) जाब्ता दीवानी—(केन्द्रीय एक्ट संख्या ५ सन १९०८) की धारा

१३२ एवं १३३ तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राजस्व न्यायालय या अधिकारी को किसी व्यक्ति को बुलाने का अधिकार होगा जिसकी उपस्थिति या तो किसी मामले में पक्षकार के रूप में जांच करने के लिए या गवाही के रूप में या किसी मामले या जांच पड़ताल के सम्बन्ध में या कि इस अधिनियम के अन्तर्गत या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य कानून के अधीन पैदा हुई हो, किसी प्रपत्र के प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक समझी जायेगी।

(२) प्रपत्र प्रस्तुत करने के हेतु निकाला गया सम्मन किसी नाम निर्दिष्ट प्रपत्र को प्रस्तुत करने के लिये हो सकता है तथा बुलाये गये व्यक्ति के अधिकार में मौजूद किसी प्रकार के सभी प्रपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए भी हो सकता है।

(३) इस प्रकार बुलाये जाने वाले समस्त व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर या अभिकर्ता के द्वारा, जैसा भी सम्बन्धित अधिकारी या न्यायालय निर्देश करे उपस्थित होने के लिए और ऐसे विषय में जिसके लिए उनकी जांच की जा रही हो अथवा जिनके सम्बन्ध में वे बयान दे रहे हों सत्य भाषण के लिये तथा चाहे गये दस्तावेजों एवं अन्य पदार्थों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

(४) यदि कोई व्यक्ति जिस पर कि सम्मन तामील हो चुका है सम्मन की आज्ञा पालन करने में असफल रहता है, तो सम्मन जारी करने वाला अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारन्ट जारी कर सकता है।

(५) कोई भी राजस्व अधिकारी या न्यायालय उपस्थित हुए किसी भी व्यक्ति से साक्षी देने का आग्रह कर सकता है तथा उस समय उसके अधिकार या कब्जे में होने वाले किसी दस्तावेज को पेश करने की हिदायत कर सकता है।

[धारा ५८] सम्मन हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होंगे —प्रत्येक सम्मन की लिखित में दो परतें आवश्यक हैं तथा उसे निकालने वाले अधिकारी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के जिसे वह इस विषय में प्राधिकृत करे उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य है और मुद्रा भी होगी तथा उसमें किसी व्यक्ति के उपस्थित होने का स्थान व समय भी अंकित होगा और यह भी लिखा होगा कि वह साक्षी देने के लिये बुलाया जा रहा है अथवा कोई प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये।

[धारा ५९] सम्मनों की तामील —प्रत्येक सम्मन की तामील कराई जायेगी

(१) एक प्रतिलिपि भेजकर या देकर—

(क) बुलाये गये व्यक्ति को अथवा

(ख) उसके मान्य प्रतिनिधि को या वकील को या

(ग) सामान्यतः उसके साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य, या

(२) यदि उपर्युक्त व्यक्तियों में से कोई भी न मिले या अस्वीकृत करदे तो उसके सामान्यतः या अन्तिम बार के मकान पर सरलता से दिखाई देने वाले स्थान पर सम्मन की एक प्रतिलिपि चिपका कर, या

(३) ऐसा व्यक्ति यदि किसी अन्य जिले में रहता हो तो उस जिले के कलक्टर को ऐसा सम्मन खण्ड (१) या खण्ड (२) के अनुसार तामील कराये जाने के लिये डाक द्वारा भेजकर, या

(२) कारण रकर्ड करने के पश्चात् राजस्व न्यायालय या अधिकारी यदि कोई निर्देश दे तो सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसे सम्मन की एक प्रति तामील के किसी अन्य तरीके के बजाय या उसके अलावा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर।

[धारा ६०] नोटिस की तामील करने की प्रणाली — सम्बन्धित व्यक्ति को सम्मन की एक प्रति सुपुर्द कर या देकर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक सूचनापत्र की तामील या भारतीय डाक अधिनियम १८९८ (केन्द्रीय एक्ट संख्या ६ सन् १८९८) के अधीन एक रजिस्टर्ड लिफाफे में डाक द्वारा भेजकर कराई जायगी अथवा यदि उपरोक्त तरीके से तामील नहीं कराई जा सकी तो अन्तिम रूप से ज्ञात उसके निवासस्थान पर या उस गांव में जिसमें नोटिस सम्बन्धित जमीन हो, आम लोगों के उठने बैठने की जगह पर, उस सम्मन की एक प्रतिलिपि चिपका कर तामील की जायगी।

[धारा ६१] घोषणा प्रकाशित करने की प्रणाली — इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई घोषणा की जायगी तो उसे करने वाले अधिकारी के कार्यालय में उस तहसील के कार्यालय में जिसमें घोषणा से सम्बन्धित जमीन स्थित हो और सम्बन्धित जमीन पर या उसके समीप आम लोगों के उठने बैठने के किसी स्थान पर उस घोषणा की प्रतियां चिपकाई जायेंगी और यदि घोषणा जारी करने वाला अधिकारी निर्देश करे तो सम्बन्धित भूमि पर या उसके आस पास डोंडी पिटवा कर भी घोषणा करवाई जा सकेगी।

[धारा ६२] कोई नोटिस घोषणा या सूचना पत्र अमान्य नहीं होंगे — कोई भी सूचनापत्र या घोषणा उसमें लिखे किसी व्यक्ति के नाम विवरण या पद अथवा प्रमाणित किसी भूमि के विवरण में त्रुटि रह जाने के कारण अमान्य तब तक नहीं होगी जब तक कि इस प्रकार की त्रुटि से कोई वास्तविक अन्याय न हुआ हो।

[धारा ६३] पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई करना — (१) यदि राजस्व न्यायालय या अधिकारी के समक्ष किसी मामले या कार्यवाही में पेशी की तारीख पर अथवा उसकी पश्चात्वर्ती किसी तारीख या किन्हीं तारीखों पर जिन पर सुनवाई को नियत किया गया हो कोई पक्षकार उपस्थित न हो तो मामला या कार्यवाही उसकी अनुपस्थिति में सुनी व निर्णीत की जा सकती है अथवा अनुपस्थिति के कारण खारिज की जा सकती है।

(२) कोई राजस्व न्यायालय या अधिकारी किसी मामले या कार्यवाही की सुनवाई की तारीख पर यह पाए कि किसी पार्टी पर उसके खिलाफ पार्टी द्वारा सम्मन की तामील आदि के लिए अनिवार्य खर्चा व फीस दाखिल नहीं कराये जाने से सम्मन या सूचनापत्र तामील नहीं किये जा सके हैं तो वह ऐसी प्रक्रिया सम्बन्धी शुल्क जमा न कराने के अपराध में मामले या कार्यवाही को निरस्त कर सकता है।

[धारा ६४] सुनवाई को स्थगित करना — (१) कोई भी अधिकारी या राजस्व न्यायालय समय २ पर किसी भी मामले या कार्यवाही की सुनवाई को स्थगित कर सकता है।

(२) किसी मामले या कार्यवाही की एसी स्थगित की गई सुनवाई के समय और स्थान की सूचना स्थगन के समय मौजूद पक्षकार को साक्षियों को नहीं दी जावेगी।

[धारा ६५] धारा ६३ के अधीन निकाले गये आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जावेगी —(१) किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा योग्य पर निर्णीत मामले या कार्यवाही के अतिरिक्त, धारा ६३ के अधीन दिये गये किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं होगी।

(२) ऐसा कोई भी पक्षकार जिसके विरुद्ध धारा ६३ के अन्तर्गत आदेश दिया गया हो, ऐसे आदेश के बाद ३० दिन की अवधि के भीतर, यह प्रमाण देते हुए कि वह सुनवाई के दिन पर्याप्त कारणवश उपस्थित होने से अथवा खिलाफ पार्टी पर सम्मन या नोटिस तलब कराने के लिये आवश्यक शुल्क जमा कराने से विरत रहा, उक्त आदेश को समाप्त कराने के लिये एक आवेदन पत्र दे सकता है और राजस्व अधिकारी या खिलाफ पार्टी को नोटिस देने तथा आवश्यक समझी जाने योग्य जांच करने के पश्चात् निकाले गये आदेश को समाप्त कर सकता है।

[धारा ६६] व्यय दिलाने और वितरण करने का अधिकार —(१) किसी मामले या कार्यवाही में हुए व्यय को कोई भी राजस्व अदालत या अधिकारी किसी ऐसी सीमा तक और किसी ऐसी रीति से दे और बांट सकता है जो कि उसके विचार में समुचित हो।

(२) राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य पक्षकार को खर्चा दिलाने बाबत उपधारा (१) अन्तर्गत जारी किया गया आदेश इस प्रकार पालन योग्य होगा मानों वह किसी राजस्व न्यायालय द्वारा दी गई रुपया की डिक्री हो।

[धारा ६७] त्रुटि अथवा भूल का संशोधन —कोई भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई आज्ञा किसी कार्यवाही में दी हो अपनी इच्छा से अथवा किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर आवश्यक फरीकैन को मामले में सूचना देने के उपरान्त अपने आदेश की किसी भी कोई भूल अथवा त्रुटि को मामले के किसी भी महत्वपूर्ण अंश को प्रभावित किये बिना, सुधार सकता है।

[धारा ६८] पंच निर्णय के लिये मामला भेजने का अधिकार —राजस्व मण्डल, राजस्व अपील प्राधिकारी भूप्रबन्ध आयुक्त अतिरिक्त भूप्रबन्ध आयुक्त भूलेखाध्यक्ष अतिरिक्त या सहायक भूलेखाध्यक्ष अतिरिक्त कर संग्राहक सब डिविजनल आफिसर सहायक कर संग्राहक, भूलेखाधिकारी, भूप्रबन्धाधिकारी, तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार पक्षकार की स्वीकृति से अपने समक्ष रहे किसी भी विवाद को अपने आदेश द्वारा पंच निर्णय के लिये भेज सकते हैं।

[धारा ६९] पंच निर्णय के लिये प्रेषित मामलों की कार्यवाही — धारा ६८ के अधीन पंच निर्णय के लिए प्रेषित सभी मामलों में पंच निर्णय अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम संख्या १० सन् १९४०) के ऐसे सभी प्रावधान लागू होंगे जो इस अधिनियम में सम्मिलित किसी भी बात से असंगत न हो।

[धारा ७०] पचनिर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन पत्र—तीस दिन की अवधि के भीतर (पच निर्णय के दिन से) पच निर्णय को रद्द करने के लिये प्रत्येक आवेदनपत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

टिप्पणी—यदि किसी पक्षकार को किसी पचायत का फैसला मजूर न हो तो वे उन्हें प्राप्त सूचना के दिन से ३० दिनों के भीतर ऐसे निर्णय को रद्द करने के लिये आवेदन पत्र कर सकेंगे।

[धारा ७१] पच निर्णय के अनुरूप निर्णय देना—यदि पच-निर्णय के लिये मामला प्रेषित करने वाला राजस्व अधिकारी या न्यायालय पच-निर्णय को अथवा पंच निर्णय हेतु प्रेषित किसी भी विषय पर द्वितीय बार विचार करने के लिये लौटाने का पर्याप्त कारण अनुभव नहीं करे और पच निर्णय को रद्द करने के लिये कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो अथवा ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया गया हो ऐसा न्यायालय या अधिकारी विचार का फैसला उस पंच निर्णय के अनुसार कर देगा और यदि पचनिर्णय किसी विशेष मामले के रूप में पेश किया गया हो तो ऐसे मामले में उसकी अथवा स्वयं अपनी सम्मति के अनुसार ऐसा निर्णय करेगा।

[धारा ७२] दीवानी अदालत में पुनरावेदन अथवा वाद दायर करने पर बन्धन—जब तक कि वह निर्णय पचनिर्णय के अनुसार न हो या उसका उल्लंघन करता हो या जब तक उस मामले में यथार्थ में कानूनी रूप में पचनिर्णय वैध नहीं है ऐसा निर्णय तत्काल प्रभावित किया जायेगा और उस सम्बन्ध में कोई अपील नहीं होगी।

एवं कोई भी व्यक्ति किसी भी दीवानी अदालत में पच निर्णय को रद्द कराने के अभिप्राय से या ऐसा पच निर्णय देने के कारण पचों के विरुद्ध कोई भी वाद दायर नहीं कर सकेगा।

[धारा ७३] अचल सम्पत्ति का अधिकार समर्पण—आज्ञा देने वाला न्यायालय या अधिकारी यदि अचल सम्पत्ति के कब्जे के समर्पण का आलय मामले का निर्णय हो तो उस आदेश के अनुसार प्रतितोष या उस ही अन्य कार्यों के सिलसिले में उस अधिकार पर प्रणालियाँ प्रयुक्त करते हुए जो दीवानी अदालत अपनी डिक्रियों के इजराय में विधिवत प्रयोग में लाती है अधिपत्य दिला सकता है।

अध्याय ५

पुनरावेदन, अभिदेश, निगरानी तथा नजरसानी

[धारा ७४] इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत अपील—इस अधिनियम में प्रावधानित प्रणाली के अतिरिक्त, राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी पुनरावेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा चाहे वर्तमान में कोई भी कानून प्रभावशील हो।

[धारा ७५] प्रथम पुनरावेदन—सिवाय इसके कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावहित किया जाय, प्रथम पुनरावेदन प्रस्तुत किया जायेगा।।

[(क) तहसीलदार द्वारा दी गई मूल आज्ञा से, जो भूप्रबन्ध या भूलेख के मामलों से सम्बन्धित नहीं हो, कलक्टर को

(ख) असिस्टेंट कलक्टर या सब डिविजनल आफिसर या कलक्टर द्वारा दी गई मूल आज्ञा से जो भूप्रबन्ध से सम्बन्धित नहीं हो, राजस्व अपील प्राधिकारी को।

[अब डिविजनल कमिश्नर के पद समाप्त हो जाने के कारण इस धारा में परिवर्तन किया जायगा]

(ग) उसके अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी की मूल आज्ञा के विरुद्ध भूप्रबन्ध अधिकारी को।

(घ) उसके अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या अधिकारी की मूल आज्ञा के विरुद्ध भूलेखाधिकारी को।

(ङ) भूप्रबन्धायुक्त को भूप्रबन्ध के मामलों में कलक्टर या भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के खिलाफ।

(च) भूलेख संग्रह के सम्बन्ध में भूलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरुद्ध भूलेख अध्यक्ष को और

(छ) बोर्ड को राजस्व अपील प्राधिकारी भूप्रबन्ध आयुक्त या भूलेखाध्यक्ष की मूल आज्ञा के विरुद्ध।

(धारा ७६) द्वितीय पुनरावदन —पुनरावदन में दी गई (आज्ञा) के विरुद्ध पुनरावदन किया जायेगा—

(क) भूप्रबन्ध या भूलेख से असम्बद्ध मामला में क्लक्टर द्वारा पास किये गये मामलों के विरुद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी को या

(ख) भूप्रबन्ध अधिकारी या धारा १८१ के अधीन काम करते हुए कलक्टर द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध भूप्रबन्ध आयुक्त को, या

(ग) भूलेखाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध भूलेखाध्यक्ष को, या

(घ) राजस्व अपील अधिकारी xx या भूप्रबंधायुक्त द्वारा दी गई आज्ञा के विरुद्ध बोर्ड को

(२) [विलोपित-]

धारा ७७] कुछ मामलों में पुनरावेदन का निषेध —

(क) भारतीय मियाद विधि १६०८ (केन्द्रीय अधिनियम संख्या ६ सन् १६०८) की धारा ५ में निर्दिष्ट आधार पर किसी पुनरावदन या आवेदन पत्र को स्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध अथवा

(ख) किसी आवेदन पत्र को निगरानी या नजरसानी के लिये अस्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध या

(ग) किसी [x x] आज्ञा के विरुद्ध जो इस अधिनियम में स्पष्टतः अंतिम बनाई गई है—

कोई अपील नहीं हो सकेगी।

[धारा ७८] पुनरावेदन के लिये अवधि —

(क) कलक्टर या भूलेख अधिकारी या भूप्रबन्धकारी के पास ऐसी आज्ञा के, जिसका विरोध किया जा रहा हो, जारी होने की तारीख के बाद तीस दिन की समाप्ति पर,

(ख) राजस्व अपील प्राधिकारी या भूप्रबन्ध आयुक्त या भूलेखायुक्त के पास ऐसी तारीख के बाद साठ दिनों की समाप्ति पर, या

(ग) बोर्ड के पास ऐसी तारीख के बाद नब्बे दिनों की समाप्ति पर—
कोई पुनरावेदन नहीं किया जा सकेगा।

[धारा ७९] विवादग्रस्त आदेश की प्रतिलिपि को अपील के साथ सम्मिलित करना —जब तक कि प्रतिलिपि का प्रस्तुत किया जाना किसी आज्ञा द्वारा अनावश्यक न कर दिया जाय पुनरावेदन के प्रत्येक आवेदनपत्र के साथ ऐसी आज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाती रहेगी।

टिप्पणी —इस धारा से यह मतलब है कि जब कभी किसी मामले में अपील की जाय तो अपील व आवेदनपत्र के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जाय। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का कार्य तथा सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने का कार्य अवधि के अन्दर ही होना चाहिये।

[धारा ८०] अपीलेट अथोरिटी की शक्तियां —(१) यदि अपीलेट अथारिटी चाहे तो अपील स्वीकार कर सकती है या रेकार्ड मंगवा कर तथा पुनरावेदक को सुनवाई का एक मौका देने के उपरान्त सरसरी तौर पर उसे अस्वीकृत कर सकती है।

परन्तु जब अपील अवधि के बाहर हो अथवा अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती हो तो अभिलेख मंगाने के लिए अपीलेट अथारिटी बाध्य नहीं होगी।

(२) यदि अपील स्वीकार करली जायगी तो सुनवाई की कोई तारीख तय की जायेगी जिसकी सूचना प्रतिवादी को दी जायेगी।

(३) यदि पक्षकार उपस्थित हो तो उनको सुनने के बाद अपीलेट अथॉरिटी विचार ग्रस्त अपील की पुष्टि कर सकती है उसमें संशोधन कर सकती है या उसे पलट सकती है, या

किसी विशेष जांच पड़ताल या किसी अतिरिक्त साक्षी को सुनने के लिये जैसा वह उचित समझे, निर्देश कर सकती है या

वह स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्षी को सुने, या इसे विषयों की, ऐसे निर्देश सहित जो वह उचित समझे निपटारे के लिये वापस लौटा सकती है।

[धारा ८१] अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा के इजराय को रोकने की शक्ति — (१) यदि कोई अपील स्वीकृत करली जाती है तो अपीलेट अथॉरिटी अपील के निर्णय किये जाने तक ऐसी आज्ञा के जिसकी अपील की गई हो इजराय को रोकने का निर्देश कर सकती है।

(२) कोई भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी जिसने की आज्ञा दी हो ऐसी आज्ञा के इजराय को अपील के लिये नियत अवधि की समाप्ति के पहले किसी भी समय यदि अपील दायर नहीं की गई हो रोकने के लिये आदेश दे सकती है।

यदि उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अन्तर्गत किसी आज्ञा के ईजराय को रोक दिया गया हो तो ऐसी जमानत ली जा सकती है अथवा ऐसी शर्तें लगाई जा सकती हैं जो कि अपीलेट अथोरिटी या राजस्व न्यायालय या अधिकारी उचित समझे।

[धारा ८२] कमिश्नर के अभिलेख (RECORD) आदि मंगवाने के अधिकार और सरकार अथवा बोर्ड को मामला विचारार्थ भेजना — किसी आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बन्ध में और किसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपने आप को सन्तुष्ट करने के अर्थ से कोई भी आयुक्त या भू-प्रबन्ध आयुक्त या भूलेखाध्यक्ष या कलक्टर अपने अधिनस्थ किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा तय किये गये मामले या पूरी की गई कार्यवाही के रेकार्ड को मंगवाकर उसकी जांच पड़ताल कर सकता है ❀

साथ ही यदि उसका मत यह हो कि ऐसे अधिनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश या की गई कार्यवाहियां परिवर्तित, निरसित या उलटी जानी चाहिये

❀ सरकार बनाम मागया—१९६७ आर० आर० डी ४१ में बोर्ड ने तय किया कि बोर्ड रेफरेंस को सुन सकता है बावजूद इसके कि किसी मामले में बोर्ड को अपील पेश होती हो।

तो वह अपनी राय के साथ ऐसे मामले को बोर्ड के पास आदेश के लिये भेज देगा, किन्तु शर्त यह है कि मामला अदालत के योग्य हो अथवा भूप्रबन्ध से सम्बन्धित हो अथवा यदि मामला गैर अदालती हो कर भूप्रबन्ध से सम्बन्धित न हो तो राज्य सरकार को आदेश हेतु प्रेषित करेगा,

और बोर्ड अथवा राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, इसके पश्चात् ऐसे आदेश जारी करेगी जो कि उसकी राय में ठीक हो।

[धारा ८३] रेकर्ड मंगवाने एवं आदेशों के पुनर्वाचन की सरकार की शक्ति —राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी से भूप्रबन्ध से असम्बद्ध किसी गैर अदालती कार्यवाही के रेकर्ड को मंगवा सकती है और उस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

[धारा ८४] रेकार्ड मंगवाने तथा आदेश पर पुनर्वाचन करने सम्बन्धी बोर्ड के अधिकार —बोर्ड अदालती ढङ्ग के अथवा भूप्रबन्ध से सम्बन्धित किसी विषय का जिसके सम्बन्ध में बोर्ड में कोई पुनरावेदन नहीं किया जा सकता हो, रेकार्ड मंगवा सकता है यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला तय किया जाय ऐसा विचाराधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं किया गया है अथवा निहित किये गये किसी विचाराधिकार के प्रयोग करने में असफल रहा है अथवा अपने विचाराधिकार के प्रयोग में गैर कानूनी ढग से या महत्वपूर्ण अनियमितता से काम लिया है और उस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

[धारा ८५] सुनवाई—धारा ८२ या धारा ८३ या धारा ८४ के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उसे सुनवाई का एक मौका न दे दिया जाय।

टिप्पणी —यह धारा उस पक्षकार को सुनवाई का अधिकार देती है जिस पर रेकर्ड संशोधन, जांच पड़ताल आदि की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप कोई असर होने वाला हो। पक्षकार के विचार मालूम किये बिना किसी भी प्रकार की आज्ञा उस पर लागू नहीं होगी।

[धारा ८५ अ] राज्य सरकार द्वारा नजरसानी —राज्य सरकार अपने आप स्वयं की इच्छा से अथवा वाद से सम्बन्धित किसी के आवेदन-पत्र देने पर नजरसानी कर सकती है या रोक, बदल कर सकती है या किसी आज्ञा को जो इस कानून के अधीन दी गई हो बहाल रख सकती है।

टिप्पणी —[राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (एमेण्डमेन्ट) एक्ट १९६० (एक्ट २९ सन् १९६०) जो राजस्थान गजट विशेषांक भाग ४ ब दिनांक १४-९ १० को प्रकाशित हुआ के अनुसार प्रावधान सम्मिलित हुआ]

(३) यदि पराकार उचित हो तो उसकी सुनवाई के बाद अपीलेट अथॉरिटी विचार ग्रस्त अपील की पुष्टि कर सकती है उनमें संशोधन कर सकती है या उसे पलट सकती है, या

किसी विशेष जांच पड़ताल या किसी अतिरिक्त साक्षी को सुनने के लिये जैसा वह उचित समझे, निदेश कर सकती है या

वह स्वयं ऐसी अतिरिक्त साक्षी को सुने, या उसे विषयों की, ऐसे निदेश सहित जो वह उचित समझे निपटारे के लिये वापस लौटा सकती है।

[धारा ८१] अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा के इजराय को रोकने की शक्ति — (१) यदि कोई अपील स्वीकृत करली जाती है तो अपीलेट अथॉरिटी अपील के निर्णय किये जाने तक ऐसी आज्ञा के जिसकी अपील की गई हो इजराय को रोकने का निर्देश कर सकती है।

(२) कोई भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी जिसने की आज्ञा दी हो ऐसी आज्ञा के इजराय को अपील के लिये नियत अवधि की समाप्ति के पहले किसी भी समय, यदि अपील दायर नहीं की गई हो, रोकने के लिये आदेश दे सकती है।

यदि उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अन्तर्गत किसी आज्ञा के ईजराय को रोक दिया गया हो तो ऐसी जमानत ली जा सकती है अथवा ऐसी शर्तें लगाई जा सकती है जो कि अपीलेट अथोरिटी या राजस्व न्यायालय या अधिकारी उचित समझे।

[धारा ८२] कमिश्नर के अभिलेख (RECORD) आदि मंगवाने के अधिकार और सरकार अथवा बोर्ड को मामला विचारार्थ भेजना — किसी आदेश की वैधता एवं महत्ता के सम्बन्ध में और किसी कार्यवाही की नियमितता के सम्बन्ध में अपने आप को सन्तुष्ट करने के अर्थ से कोई भी आयुक्त या भूप्रबन्ध आयुक्त या भूलेखाध्यक्ष या कलक्टर अपने अधिनस्थ किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा तय किये गये मामले या पूरी की गई कार्यवाही के रेकार्ड को मंगवाकर उसकी जांच पड़ताल कर सकता है *

साथ ही यदि उसका मत यह हो कि ऐसे अधिनस्थ न्यायालय या अधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश या की गई कार्यवाहियां परिवर्तित निरसित या उलटी जानी चाहिये

* सरकार बनाम मांगया—१९६७ आर० आर० डी ४१ में बोर्ड ने तय किया कि बोर्ड रेफरेंस को सुन सकता है बावजूद इसके कि किसी मामले में बोर्ड को अपील पेश होती हो।

तो वह अपनी राय के साथ ऐसे मामले को बोर्ड के पास आदेश के लिये भेज देगा, किन्तु शर्त यह है कि मामला अदालत के योग्य हो अथवा भूप्रबन्ध से सम्बन्धित हो अथवा यदि मामला गैर अदालती हो कर भूप्रबन्ध से सम्बन्धित न हो तो राज्य सरकार को आदेश हेतु प्रेषित करेगा,

और बोर्ड अथवा राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, इसके पश्चात् ऐसे आदेश जारी करेगी जो कि उसकी राय में ठीक हो।

[धारा ८३] रेकर्ड मंगवाने एवं आदेशों के पुनर्वाचन की सरकार की शक्ति —राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी से भूप्रबन्ध से असम्बद्ध किसी गैर अदालती कार्यवाही के रेकर्ड को मंगवा सकती है और उस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

[धारा ८४] रेकार्ड मंगवाने तथा आदेश पर पुनर्वाचन करने सम्बन्धी बोर्ड के अधिकार —बोर्ड अदालती ढङ्ग के अथवा भूप्रबन्ध से सम्बन्धित किसी विषय का, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड में कोई पुनरावेदन नहीं किया जा सकता हो, रेकार्ड मंगवा सकता है यदि ऐसा प्रतीत हो कि उस न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला तय किया जाय ऐसा क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं किया गया है अथवा निहित किये गये किसी क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने में असफल रहा है अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में गैर कानूनी ढंग से या महत्वपूर्ण अनियमितता से काम लिया है और उस मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

[धारा ८६] बोर्ड एवं न्यायालयों द्वारा पुनर्विचार—(१) बोर्ड अपनी इच्छा से अथवा मामले या कार्यवाही के किसी पक्ष के प्रार्थनापत्र पर अपने द्वारा या अपने सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा दी गई आज्ञा पर पुनर्विचार कर सकता है और उसे रद्द, संशोधित या पुष्ट कर सकता है।

(२) प्रत्येक अन्य राजस्व न्यायालय या अधिकारी इच्छा से अथवा स्वार्थ रखने वाले किसी व्यक्ति के आवेदनपत्र पर अपने ही द्वारा अथवा अपने पूर्वगामी पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आज्ञा का पुनर्विचार कर सकता है तथा उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे किन्तु शर्त यह है कि—

(१) कोई भी आज्ञा उस समय तक संशोधित या परिवर्तित नहीं की जायगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने एवं ऐसी आज्ञा के पक्ष में कुछ कहने का मौका नहीं दे दिया जायेगा,

(२) किसी भी आज्ञा पर जिसके विरुद्ध अपील करदी गई हो अथवा जो निगरानी की कार्यवाही का विषय हो, उस समय तक पुनर्विचार नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसी अपील या कार्यवाही विचाराधीन हो,

(३) किसी भी आज्ञा की जो निजी व्यक्तियों के बीच किसी अधिकार के प्रश्न पर प्रभाव करती हो, कार्यवाही में सम्मिलित पक्ष के प्रार्थनापत्र देने के अलावा पुनर्विचार नहीं किया जायेगा और इस प्रकार के पुनर्विचार का कोई भी आवेदनपत्र ऐसी आज्ञा के जारी होने के उपरान्त नब्बे दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।

(३) इस धारा के अधीन पुनर्विचार के लिए आवेदनपत्र जाब्ता दीवानी (केन्द्रीय एक्ट सं० ५ सन् १९०८) अधिनियम की प्रथम अनुसूची के आदेश ४७ के नियम १ में बताये गये आधारों में से किसी पर भी दी जा सकती है और उपधारा (१) एवं (२) के अधीन उक्त आदेश के प्रावधान प्रयोग में लाये जायगे।

टिप्पणी—उक्त धारा यह प्रकट करती है कि कि बोर्ड, पुनर्विचार कर किसी सदस्य का आज्ञा को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन, परिवर्तन कर सकता है। यह अधिकार राजस्व अधिकारी का भी प्राप्त है। पुनर्विचार, न्यायालय अथवा अधिकारी कभी कभी अपनी इच्छा से भी कर सकता है किन्तु व्यक्तिगत मामलों में यह कार्य स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र देने पर ही किया जायेगा।

(धारा ८७) एक्ट सं० ९ सन् १९०८ का प्रभाव—भारतीय अवधि अधिनियम १९०८ (केन्द्रिय एक्ट सं० ९ सन् १९०८) के प्रावधान इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली अपील एवं पुनर्विचार पर लागू होंगे।

अध्याय ६

भूमि

(धारा ८८) जिन पर किसी दूसरे का अधिकार न हो वे समस्त मार्ग व समस्त भूमि राज्य की सम्पत्ति होंगे—(१) समस्त आम सड़कें, गलियां रास्ते पुल

एवं गड्ढे, तथा ऊपर या उनके चारों ओर की सभी बाड़ें समस्त नदियां, निर्झर, नाले झीलें व तालाब, सभी नहरें तथा जल प्रणालियां सभी स्थिर एवं प्रवहमान जल और कहीं भी स्थित सभी जमीन जो कि किन्हीं व्यक्तियों या पुरुषों समूह की जो सम्पत्ति रखने के लिए वैधानिक रूप से अधिकारी है, सम्पत्ति नहीं हो राज्य सरकार की सम्पत्ति है केवल उस हद तक कि उस पर उन व्यक्तियों या निकायों का कोई अधिकार स्थापित किया जाय और केवल उस हद तक जो किसी अन्य प्रभावशील कानून के द्वारा उस सम्बन्ध में मंजूर की जाय तथा इसके द्वारा घोषणा की जाती है कि ऐसी समस्त सम्पत्तियों पर या उनमें समाविष्ट अधिकार तथा उनसे संलग्न सम्पत्तियों पर अधिकारी भी राज्य सरकार में समाहित होंगे और राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत कलक्टर के लिए यह उचित होगा कि वह निर्धारित रीति से उनका निस्तारा करे किन्तु, रास्तों के हक एवं कानूनन अधिकारी व्यक्तियों एवं आम जनता के अधिकारों का सदैव ध्यान रखा जायेगा।

(२) किसी सम्पत्ति में या उस पर सरकार द्वारा उसकी ओर से अथवा सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अधिकारी या अंश का जब कभी दावा दायर किया जाय तो कलक्टर को यह हक होगा कि वह ऐसी आम जांच पड़ताल के पश्चात् जिसकी सूचना दी गई हो ऐसे दावे के तय करने हेतु आवश्यक आदेश निकाले।

(३) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अधीन दिये गए आदेश की तारीख के पश्चात् या यदि अवधि के बीच एक या एक से अधिक अपीलें ऐसे आदेश के विरुद्ध पेश की गई हों तब ऐसी तारीख के पश्चात् जबकि अन्तिम पुनरावेदन अधिकारी आदेश एक वर्ष के उपरान्त दायर किया गया दावा खारिज कर दिया जायगा (अवधि को रक्षा का साधन न बना गया हो) यदि दावा ऐसे आदेश को खण्डित करने हेतु दायर किया जाय अथवा मांगी गई सहायता इसके विरुद्ध हो।

परन्तु उपधारा (२) के अधीन निकाले गए आदेश की अवस्था में मुद्दई को अनिवार्य सूचना प्राप्त हो गई हो।

(४) किसी आदेश या जांच पड़ताल की आवश्यक सूचना उस धारा के अधीन व्यक्ति को होगी, यदि इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार कोई सूचना दी जायगी।

(५) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निकाला किया गया प्रत्येक आदेश का कलक्टर, नियत प्रणाली से इन्दराज करायेगा।

(धारा ८६) खनिज पदार्थों, खान खोदने और मछली पकड़ने का अधिकार —(१) नदियों में मछली निकालना नौकानयन या सिंचाई के सभी प्रबन्धों पर शिकारों सभी खनिज पदार्थों, खानों एवं पत्थर की खानों पर राज्य सरकार का हक होगा और राज्य सरकार का, ऐसे अधिकार के पूर्ण प्रयोग के लिए, सभी हक सम्मिलित होंगे।

(२) पत्थर की खानों तथा अन्य खनिज खानों के हक में खोदने के काम एवं पत्थर की तुड़वाई के लिए उस भूमि पर पहुंचने का अधिकार भी शामिल होगा तथा निकटवर्ती भूमि को कब्जे में लेने का अधिकार भी होगा कि जो खोदने के काम से संलग्न कार्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो जैसे कि कार्यालय के मकानात बनाने, मजदूरों के निवास गृह एवं मशीनघरों के बनाने, खनिज पदार्थों के संग्रह के लिये गोदाम बनाने तथा कूड़े को भरने के स्थान बनाने, रेल या ट्राम सड़क के निर्माण करने और किसी अन्य कार्य करने के लिए जिसे राज्य सरकार खोदने के काम एवं पत्थर तुड़वाई से संलग्न घोषित करे।

( ) यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को खनिज पदार्थ खानों एवं पत्थर की तुड़वाई सम्बन्धी अपने अधिकार सौंपे और यदि ऐसे हक के प्रयोग के लिए उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट सभी या किसी अधिकार का ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो कलक्टर एक लिखित आदेश द्वारा, स्वनिर्धारित शर्तों एवं आरक्षणों के अन्तर्गत उस व्यक्ति को शक्तियां सौंप सकता है जिसको कि अधिकार सौंप दिये गये होंगे।

परन्तु ऐसा कोई समर्पण नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में उनके जब तक सम्बन्धित भूमि में अधिकार रखने वाले अन्य व्यक्तियों को सूचित नहीं कर दिया हो द्वारा उठाई आपत्तियों की सुनवाई न करली गई हो।

(४) यदि पूर्वलिखित किसी अधिकारी के उपयोग के कारण किसी ऐसी भूमि की सतह को अधिकार में लेने या अन्य प्रकार से उपरोध पैदा करने से किसी के अधिकारों पर हमला हुआ तो राज्य सरकार या उसका ग्रहण करने वाला ऐसे व्यक्तियों को ऐसे आघात के लिए क्षतिपूरण देगा और ऐसे क्षतिपूरण की रकम का हिसाब कलक्टर द्वारा तय किया जायेगा अथवा यदि उसका निर्णय अस्वीकृत रहे तो दीवानी अदालत द्वारा जहां तक हो सके राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम १९५३ (राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम संख्या २४ सन् १९५३) के प्रावधानों के अनुकूल ही क्षतिपूरण का हिसाब निपटाया जायेगा।

(५) राज्य सरकार का कोई भी गृहीता कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी भूमि सतह पर न प्रवेश कर सकेगा और न हक ही जब तक क्षतिपूरण तय नहीं कर लिया गया हो और उस व्यक्ति को दे न दिया गया हो जिसके अधिकारों में हस्तक्षेप हुआ हो।

(६) उपधारा (४) के अधीन प्रावधानित क्षतिपूरण देने में यदि राज्य सरकार का कोई गृहीता असफल रहे तो कलक्टर उस क्षतिपूरण के हकदार के निमित्त उस गृहिता से ऐसा क्षतिपूरण वसूल करने की भांति कार्यवाही करेगा मानो वह कोई भूराजस्व का ही लगान हो।

(७) बिना किसी वैध अधिकार के यदि कोई किसी खान पत्थर की खान से खनिज पदार्थ निकालता है या हटाता है जिसका अधिकार राज्य सरकार में समाहित हो और जो किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा नहीं गया हो किसी अन्य कार्यवाही के लिए

जाने पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हुए, कलक्टर के लिखित आदेश पर ऐसे निकाले गये या हटाये गये खनिज पदार्थ के प्रत्येक टन या उसके किसी अंग पर अधिकतम ५०) रु० के हिसाब से शास्ति रकम का उत्तरदायी होगा।

परन्तु यदि इस प्रकार हिसाब लगाई गई रकम एक हजार से कम होगी तो शास्ति ऐसी कोई अधिक रकम होगी जो कलक्टर द्वारा आरोपित की जाय लेकिन यह रकम एक हजार से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण – 'खनिज पदार्थ' शब्द के अन्तर्गत इस धारा में किसी भी प्रकार की बालू मिट्टी भी शामिल होगी जिसका आम जनता के उपयोग का होना या व्यापारिक विशेषता का होना राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया हो।

टिप्पणी —यह धारा भूमि पर, खानों पर तथा नदियों पर राज्य सरकार के अधिकार को प्रकट करती है। राज्य सरकार ऐसे अधिकार अन्य व्यक्तियों को रायल्टी लेकर पट्टों पर दे सकती है। यदि राज्य सरकार अथवा उसके पट्टेदार खान खोदते समय या सिंचाई करते समय अन्य व्यक्तियों को भूमि का नुकसान पहुँचाते हैं तो वह उन व्यक्तियों को क्षति देंगे। आवश्यकता पड़ने पर यह क्षति सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकार दिलवा सकती है। जो व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के खान खोदे या पत्थर हटाये तो उस पर फौजदारी कार्यवाही के अतिरिक्त ५१) रु० प्रति टन के हिसाब से शास्ति लगाई जावेगी। यह शास्ति अधिक से अधिक १०००) रु० तक हो सकती है।

[धारा ९०] राजस्व या लगान की अदायगी या उत्तरदायित्व समग्र भूमि पर —(१) सिवाय इसके कि ऐसी भूमि राज्य सरकार के किसी विशेष अनुदान के अन्तर्गत तथा सरकार के साथ किये गये किसी संविदा के अनुसार अथवा वर्तमान में प्रभावित किसी कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसे अनुदान से पूर्ण रूपेण मुक्त हो, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के रहते हुए समस्त भूमि चाहे वह किन्हीं पर अवस्थित हो और चाहे किसी कार्य से प्रयुक्त हो, राज्य सरकार को देय राजस्व एवं लगान के लिये प्रतिबन्धित होगी।

(२) राजस्व या लगान की अदायगी से ऐसी भूमि को न भूमि के आधिपत्य का दीर्घ अवधि बचा सकती है और न किसी सम्पत्ति धारक द्वारा प्रदत्त अनुदान ही।

(३) राज्य सरकार किसी विशेष अनुदान या संविदा द्वारा या वर्तमान में प्रभावशाली किसी कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी भूमि में ऐसी अदायगी की जुम्मेदारी से मुक्त कर सकती है।

(४) इसके अतिरिक्त कि ऐसा राजस्व या लगान उसके सुपुर्दगी, मुक्ति समझौता अथवा पुनरोद्धार के कारण राज्य सरकार को देय नहीं हो, राजस्व या लगान सभी भूमि पर निर्धारित किया जायेगा।

[धारा ९० क] कृषि की भूमि को गैर कृषि कार्यों में प्रयोग —(१) कोई व्यक्ति, जो कृषि प्रयोजन हेतु किसी भूमि को रखता हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि या भूमि का हिस्सा तबादला की गई हो, उस भूमि को या भूमि के हिस्से को उस पर इमारत बनाने के प्रयोग में अथवा अन्य किसी प्रयोजन में नहीं लावेगा सिवाय इसके कि वह राज्य सरकार से लिखित में यथा बताई गई प्रणाली के अनुसार तथा अन्य प्रकार दी गई आज्ञा की शर्तों के अनुसार अनुमति प्राप्त नहीं कर ले।

(२) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसी भूमि को या भूमि के हिस्से को गैर कृषि के किसी अन्य कार्य में प्रयोग में लाने का इच्छुक हो तो वह वांछित इजाजत के लिये वांछित प्रणाली से और वांछित अधिकारी को दरखास्त देगा और ऐसा दरखास्त में वांछित विवरण दिया हुआ होगा।

(३) राज्य सरकार नियत प्रणाली द्वारा उचित जांच करके या जांच का प्रकार की कार्यवाही करके या तो इजाजत देने से नामंजूरी कर देगी अथवा नियत शर्तों व निबन्धनों पर स्वीकृति प्रदान कर देगी।

(४) जब कभी ऐसी भूमि या भूमि के हिस्से के विषय में किसी व्यक्ति को गैर कृषि कार्य के प्रयोग के लिए इजाजत देदी जावे तो उस व्यक्ति को जिसे ऐसी इजाजत मिली हो राज्य सरकार को उस भूमि के लिए,

(क) राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये नियमों में बताई गई रेट और बयान किये गये तरीके से नगर सुधार कर (अरबन असेसमेन्ट), जो लागू किया गया हो, या

(ख) राज्य सरकार से नियत की गई रकम प्रीमियम के रूप में, या

(ग) दोनों,

देने होंगे।

(५) यदि ऐसी कोई भूमि—

(क) राज्य सरकार की लिखित अनुमति पहले प्राप्त किये बिना, या

(ख) उक्त अनुमति के निबन्धनों तथा शर्तों का अनुसरण न करते हुए अन्य प्रकार से, या

(ग) ऐसी अनुमति दी जाने से उपधारा (३) के अधीन इन्कार कर दिया जाने के बाद, या

(घ) उप धारा (४) में निर्दिष्ट भुगतानों में से किसी का भी भुगतान किये बिना, उक्त रूप से काम में लाई जाय तो, वह व्यक्ति जो उस भूमि को प्रारम्भतः कृषि के लिये धारण करता हो तथा समस्त अनुवर्ती हस्तान्तरिती यदि कोई हो, यथास्थिति, अतिक्रमणकारी (ट्रेसपासर) समझा जायगा/समझे जायेंगे और धारा ९१ के अनुसार उसे/उन्हें इस प्रकार बेदखल किया जा सकेगा मानो उसका/उनका बिना वैध अधिकार के उस भूमि पर कब्जा

था/या कब्जा जारी रहा था और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, १९५५ (राजस्थान एक्ट स० ३, सन् १९५५) की धारा २१२ के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानों वह भूमि नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा अयक्रान्त किये जाने के खतर में थी

किन्तु राज्य सरकार, वैसे व्यक्ति तथा अनुवर्ती हस्तान्तरितियों को सम्बन्धित भूमि से उपरोक्त भांति बेदखल किए जाने के बजाय, उस दशा में जब कि वह/वे यथा स्थिति, राज्य सरकार को, उप धारा (४) के अधीन देय नगर सुधार कर (Urban Assessment) तथा प्रीमियम अदा करने के अलावा जतौर शास्ति ऐसा जुर्माना जो निर्धारित किया जाय चुका दे/दें, उक्त भूमि को रखने और कृषि से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करने की अनुमति दे सकेगी।

[धारा ९१] भूमि पर अनाधिकृत आधिपत्य —यदि कोई किसी भूमि पर अवैध कब्जा करता है अथवा कब्जा चालू रखता है तो उसे अतिक्रमी समझा जावेगा और तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छानुसार अथवा उस स्थानीय संस्था के आवेदन पत्र पर जिसकी देखरेख में ऐसी भूमि सौंपी गई है, ऐसा अतिक्रमी भूमि से तत्काल बाहर किया जा सकता है और उस भूमि पर [x x x x] बनाया गया कोई मकान या अन्य ढाचा अथवा संग्रहित कोई वस्तु, तहसीलदार द्वारा समय-समय पर उसको हटाने के सम्बन्ध में दिये गये उचित समय में नहीं हटाये जाने पर, राज्य सरकार के हक में जब्त करली जायेगी और कलक्टर के निर्देशानुसार फैसला कर दिया जायेगा।

परन्तु तहसीलदार किसी ऐसे मकान या अन्य ढाचे को अधिकृत करने के बजाय उसे या उसके किसी हिस्से को गिराने का भी हुक्म द सकता है।

(२) ऐसा अतिक्रमणकारी साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष के लिये या वर्षांश के लिये उक्त रूपेण कब्जा धारण किया हो शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भागी होगा जो सालाना लगान या कर निर्धारण यथा स्थिति के पन्द्रह गुना तक हो सकती है और उक्त रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायगी किन्तु उक्त शास्ति का भुगतान करने पर उसे किसी अन एकत्रित फसल का परिपोषण करने एकत्रण करने तथा हटाने का अधिकार होगा।

(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत अतिक्रामी को निष्कासित करने की कार्यवाही करने से पूर्व तहसीलदार उस व्यक्ति पर जिसके सम्बन्ध में गैर कानूनी तौर पर भूमि के कब्जे में रखने जाने या रखने की रिपोर्ट की जाय एक सूचना तामील करावेगा जिसमें उस भूमि का उल्लेख होगा तथा ऐसी भूमि का किसा निश्चित तारीख तक खाली

का अथवा हाजिर होकर अपने उपभोग शून्य नहीं किये जाने के पक्ष में कारण पेश करने के लिये भी निर्देश देगा।

(४) किसी भी निम्नांकित मामले में, अर्थात्

(१) जब कि उपधारा (३) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के जवाब में अतिक्रामी न तो भूमि को छोड़े और न हाजिर ही हो, या

(२) जब कि ऐसे नोटिस के उत्तर में अतिक्रामी भूमि नहीं छोड़े और हाजिर न हो, किन्तु —

(क) कोई कारण सामने नहीं रखे, अथवा

(ख) विषय की परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तुत किया गया प्रतिनिधित्व आवश्यक अनुसंधान एवं सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया जाय तो तहसीलदार केवल इसके खण्ड (२) के विषय में अतिक्रामी को एक सप्ताह में जमीन खाली करने की आज्ञा दे और उसे छोड़ दे, अतिक्रामी को हटाने का आदेश देगा और उसे हटायेगा या किसी व्यक्ति को उसे उस भूमि से हटाने को और कब्जा करने को भेजेगा और यदि तहसीलदार या उसके द्वारा प्रेषित व्यक्ति के द्वारा भूमि का आधिपत्य लेने में विरोध या बाधा डाली जाय तो तहसीलदार क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास आवेदन पत्र भेजेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि की वापिसी किये जाने की कार्यवाही करायेगा।

(५) यदि ऐसी भूमि, उपरोक्त उपधाराओं में उल्लिखित किसी भी बात के अतिरिक्त धारा ६७ के प्रतिबन्ध के खण्ड (२) में वर्णित वर्ग में सम्मिलित होगी तो तहसीलदार सब डिविजनल अधिकारी की सहमति से अतिक्रमित को बेच देगा जब कि उसके द्वारा ऐसी उपधारा (२) के अधीन अवैधानिक कब्जे की सम्पूर्ण अवधि के लिये वसूल किए जाने योग्य शास्ति तथा धारा ६६ के अधीन निर्धारित प्रीमियम जमा करायेगा।

[धारा ९२] विशेष कार्यार्थ भूमि को विलग करना —(१) कलक्टर किसी विशेष कार्य के लिए राज्य सरकार के आम सामान्य आदेश के अधीन जैसे कि चौपायों की मुफ्त चराई वन संरक्षण आबादी के विकास या किसी अन्य आम या म्युनिसिपल काम के लिए कोई भूमि अलग से छोड़ सकता है और ऐसी भूमि कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के अलावा अन्य काम के उपयोग में नहीं लाई जायगी।

[धारा ९३] चारागाह के उपयोग का नियमन —चरागाह भूमि पर चराई का अधिकार गांव या गांव के केवल उन्हीं चौपाये पशुओं तक रहेगा जिनके लिए वह भूमि छोड़ी गई होगी और राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के मुताबिक उसका नियमन होगा।

[धारा ९४क] सड़क के किनारे के वृक्ष :—(१) तमाम सड़क के किनारे के वृक्ष जिनको सरकार के आदेश से अथवा खर्च से लगाया गया है या पाला गया है, और ऐसे तमाम वृक्ष जिनको स्थानीय मद या रकम से उगाया, और पाला गया है, जो किसी सड़क के किनारे खड़े हों, तथा जो राज्य सरकार के हों, उन पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।

(२) ऐसे वृक्षों के मर जाने पर अथवा हवा आदि, से गिर जाने अथवा जिलाधीश के आदेश से काटे जाने पर उनकी सारी राज्य सरकार की मिल्कियत होगी।

[धारा ९४ख] अनधिकृत रूप से काम म लिए गए बिना आज्ञा के पेड़ों आदि की रकम की वसूली :—(१) कोई भी व्यक्ति जो, बिना आज्ञा के, सड़क के किनारे के पेड़ या उसके किसी हिस्से को, अनधिकृत रूप से बेच देगा अथवा, अन्य प्रकार से उपयोग मे लेगा, अथवा उस पेड़ की प्राकृतिक उपज को हटा लेगा तो उससे उस वस्तु की कीमत राज्य, सरकार वसूल कर सकेगी, और ऐसी वसूली, भूमिकर, का बकाया की भांति ही वसूल की जा सकेगी। यह रकम उस, दण्ड, के अलावा होगी, जो कि किसी कानून के अन्तगत, उस व्यक्ति को देनी पड़े।

(२ जिलाधीश का निर्णय ऐसे पेड़ अथवा हिस्से अथवा उपज की कीमत, के विषय में, अन्तिम होगा।

[धारा ९५] आबादी का विकास :—राज्य सरकार आबादी के विकास के लिए अलग छोड़ी गई भूमि की रिजर्व करने के लिए अथवा ऐसी भूमि के बांटे जाने के बारे में या ऐसी भूमि के सम्बन्ध मे कोई अदायगी के सम्बन्ध मे और इस प्रकार के विभाजन के अधिकारों की घोषणा हेतु नजूल भूमि के अलाटमेन्ट करने के लिए या अलग छोड़ी गई ऐसी भूमि के लिए नियम बना सकती है।

(२) कोई भी व्यक्ति [x x x] आबादी क्षेत्र की कोई भी जमीन, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित रूप से कोई प्रतिफल दिये बिना, कोई भी जमीन कब्जे में नहीं लेगा।

(३) आबादी की भूमि मे, ऐसा प्रतिफल दे देने के बाद ही सर्वांग पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

(४) इस अधिनियम के प्रभावशील होने के वक्त किसी व्यक्ति के वैध आधिपत्य में होने वाली [x x x किसी आबादी के क्षेत्र पर इस धारा की कोई भी शर्त लागू नहीं होगी।

(५) जहां इस अधिनियम के लागू होने के समय कोई व्यक्ति [x x x] आबादी के क्षेत्र की किसी भूमि को मौलिक अधिकारों सहित अपने अधिकार म रखे हुए होगा, वह उस भूमि म पूर्णाधिकार प्राप्त कर सकेगा किन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा प्रतिफल अदा करे कि जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निश्चय किया जाय।

(६) इस अधिनियम के प्रभावशाल होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो, उपधारा () के प्रावधानों के अनुसार के अतिरिक्त या उपधारा (१) के अधीन निर्मित नियमों के बाहर कोई भूमि आबादी क्षेत्र में ग्रहण करता है अथवा बिना किसी समुचित अधिकार के ऐसो भूमि पर अलग से अथवा अपने पड़ोसी की जमीन पर पहल से स्थित किसी इमारत या ढाचे को बढ़ाते हुए कोई ढांचा तैयार करवाता है या इसी प्रभावशीलता के पश्चात् किसी उचित अधिकार के अलावा तरीके से उपधारा (५) में संदर्भित भूमि पर अथवा ऐसी भूमि एवं अपने आधिपत्य म उचित या अन्य रीति से रखी हुई भूमि, किसी अन्य भूमि पर कोई ढाचा बनाता है, अतिरिक्त माना जायगा। और उसे किसी भूमि को बिना किसी वैध अधिकार के अधिवास म रखने वाला या अधिवास में रखना चालू रखने वाला व्यक्ति समझा जायेगा।

(७) उपधारा (६) मे उल्लिखित पुरुष भूमि एव ढाचों पर धारा ९१ के प्रावधान प्रभावशील होंगे—

परन्तु शत यह है कि—

(१) धारा ९१ की उपधारा (१) (२) (३) और (४) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार, उसके द्वारा [x x x x] आबादी की भूमि के बारे में या किसी अन्य भूमि के बारे में जो चौपाये की मुफ्त चराई के लिए अथवा आबादी के विकास के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक एव आबादी के प्रबन्ध के उपयोग के लिए अलग रखी हुई भूमि जो कि धारा ९२ की उपधारा (२) के अन्तर्गत या अन्य रीति से किसी स्थानीय सस्था के प्रबन्ध में धारा १०२ के अनुसार रखी गई हों उसके पास ऐसी सस्था द्वारा अर्जी दिये जाने पर प्रयोग मे लाय जायेगे। या स्वत और जबकि तहसीलदार स्वत कार्यवाही करने का विचार करे वह अपने उक्त विचार की सूचना सम्बद्ध स्थानीय सत्ता को देगा।

(२) इन उपधाराओं के अधीन अतिक्रामक पर शास्तिया लगाकर ऐसी स्थानीय सस्था के फण्ड में जमा की जायेगी, और

(३) धारा ९१ की उपधारा (५) के अधीन तहसीलदार द्वारा प्रयोज्य अधिकार, पूर्ववत् किसी स्थानीय सस्था के जिम्मे रखी गई भूमि के प्रबन्ध में ऐसी स्थानीय संस्था द्वारा किसी अधिकारी की अनुमति के बिना ही प्रयोग में लाये जायेंगे।

[धारा ९६] प्रीमियम की दरें कलक्टर नियत करेगा —(१) राज्य सरकार सरकारी गजट म विज्ञप्ति प्रकाशित कर नजूल या दूसरी भूमि के लिय जो आबादी के क्षेत्र मे ही प्रीमियम की दरें नियत करेगी तथा समय समय उ ह दोहरायेगी।

(२) ऐसी दर उसी गाव कस्बों या शहर या गावों कस्बों व शहरों के समूह के अन्दर अन्य विभिन्न क्षेत्रों की तथा भूमि की स्थिति की कीमत को ध्यान म रखते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों की संगति में तय की जायेगी।

[धारा ६७] आबादी की भूमि की निलामी—जब कि [x x] आबादी के क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के टुकड़े के लिये एक से अधिक आवेदक हो, तो ऐसे सभी मामलों में वह नीलाम से सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचा जायेगा—

परन्तु शर्त यह है कि—

(१) कलक्टर किन्हीं कारणों के लेखबद्ध किये जाने पर किसी बोली को अस्वीकृत कर सकता है।

( ) धारा ६६ की उपधारा (१) और ( ) के अधीन निश्चय की गई दरों पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति लेकर मौजूदा इमारतों के पड़ौस की भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दिये जा सकेंगे, और

इस धारा के अन्तर्गत नियम की कार्यवाही इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत नियमित की जायगी।

[धारा ६८] घास भरने के कोठे तथा कूड़ा करकट भरने की भूमि—(१) राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत, इस विषय में सब डिविजनल आफिसर द्वारा प्रिमियम तथा लगान तथा लगान से मुक्त किसी गाँव, कस्बे या शहर के अन्दर इतना लम्बाई चौड़ाई की भूमि जोकि घरों के कूड़ा करकट, घुड़साल की लीद और चौपायों के गोबर तथा अन्य कूड़े करकट एकत्र करने रखने तथा चौपायों के चारा भरने के लिए आवश्यक कोठों के काम के लिए निर्धारित की जाय, दे सकती है—

परन्तु शर्त यह है कि—

(१) इस प्रकार की भूमि का अधिकार के रूप में नहीं मांगा जायेगा और ऐसी भूमि तभी दी जा सकेगी जबकि वह प्राप्य होगी,

( ) कलक्टर ऐसी भूमि पुनर्ग्रहण बिना क्षतिपूरण किये कर सकेगा

( ) वह व्यक्ति जिसको ऐसी भूमि दी जाय, ऐसी भूमि का विनिमय विक्रय रहन वसीयत या उपहार के रूप में स्थानान्तर नहीं कर सकेगा, और

(४) वह व्यक्ति, जिसको ऐसी भूमि दी जाय इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन जारी किये गये समस्त आज्ञाओं का पालन करने के लिये बाध्य रहेगा।

( ) उपधारा (१) के अन्तर्गत दी गई भूमि तहसीलदार के दर्जे के या उससे उपर के रेवेन्यू आफिसर की आज्ञा के अन्तर्गत पुनर्ग्रहण की जा सकती है, यदि और जब कि इसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस धारा या इसके अन्तर्गत निर्मित किसी भी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

टिप्पणी—उक्त धारा के अनुसार सरकार जन सुविधा व स्वास्थ्य के लिए कुछ ऐसी भूमि छोड़ सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। साथ ही सरकार अतिरिक्त तौर पर भी खाद, कूड़ा करकट के लिये लोगों को भूमि दे सकता है।

(vii) स्थानीय अधिकारी के अधिकार म आई हुई आबादी क्षेत्र के अन्दर की भूमि अथवा सेक्शन ९२ के अन्तगत आरक्षित अथवा विशेष उपयोग के लिए अलग रक्खी हुई भूमि,

और ऐसी भूमि से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ तथा अन्य वस्तुएँ जो उस मिट्टी में लगी हुई हो, या स्थाई रूप से उसम जुड़ी हुई हो, अर

(ख) आबादी अथवा 'आबादी क्षेत्र या 'आबादी भूमि का तात्पर्य गाव, कस्बे अथवा शहर के मनुष्यो से बसे हुए क्षेत्र से है तथा इसमें गाव, कस्बे, शहर का मौके की स्थिति (Site) सेक्शन ९२ के अन्तगत आरक्षित अथवा अलग रक्खी हुई भूमि जो कि उस आबादी क्षेत्र के विकास के लिए हो और उसके अन्दर का वह भूमि, जो भवन निर्माण आदि के लिए रक्खी गई हो उसमे भवन निमाण किया गया हो अथवा नहीं य सभी सम्मिलित हैं।

[धारा १०४] स्थानीय सस्थाओं द्वारा जिन मामलों म राजस्व अधिकारियों के अधिकार प्रयोग म लाये जायेंगे —जब धारा १०२ क के अधीन या अन्य किसी रूपमे किसी गाव या कस्बे की आबादी की कोइ भूमि अथवा पशुओ को मुफ्त चराइ हेतु या आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य ग्राम या नगरपालिका के उपयोग के लिये अलग से छोडी गई नजूल भूमि या भूमि किसी स्थानीय सस्था को सुपुर्द करदी जाय तो धारा ९७ और ९८ के अन्तगत जिलाधीश अथवा अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा प्रयोज्य अधिकार इस विषय मे राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमो के अधीन सम्बन्धित स्थानीय सस्था द्वारा एकाधिकार के रूप मे प्रयोग मे लाये जा सकेंगे।

[धारा १०५] राजस्थान टैनेन्सी अधिनियम सख्या ३ आफ १९५५ की धारा ३१ क अधीन आसामियों द्वारा प्राप्त अधिकार अप्रभावित —धारा ९५ ९६, ९७ ९८ और १०० की कोई भी बात किसी भी भाति राजस्थान टैनेन्सी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सख्या ३ सन् १९५५) की धारा ३१ द्वारा आसामियों को बिना किसी चार्ज के गाव की आबादी के हल्के मे रिहायशी मकान के लिये भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रदत्त अधिकारो को न कम करेगा और उन्हें समाप्त ही करेगा।

अध्याय ७

भूमि मापन और अभिलेख सग्रह

(क) सामान्य

[धारा १०६] भूमापन अथवा पुन भूमापन —सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार निर्देश कर सकती है कि किसी स्थानीय क्षेत्र का भूमि मापन अथवा पुन भूमिमापन किया जाय और ऐसा प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र किसी ऐसी विज्ञप्ति

(२) इस धारा के अधीन, किसी विषय के अनुसन्धान के समय यदि भूलेख अधिकारी यह तय करने में विफल रहे कि कौनसा पक्ष अधिपत्य वाला था या यह बताया जाय कि उसका वैधानिक कब्जेदार के। उसको तरीके से बदखल करके दिया गया है और यदि ऐसा आधिपत्य ऐसे अनुसन्धान के तत्काल ३ मास के अन्दर प्राप्त किया गया हो तो भूलेखाधिकारी मामूली पूछताछ द्वारा यह तय करेगा कि कौनसा पक्ष इस सम्बन्ध में सर्वोत्तम अधिकार रखता है और उसी के अनुसार सीमा चिन्ह तैयार करेगा।

(ग) नक्शा एवं खसरा

[धारा ११२] नक्शा एवं खसरा बनाना —प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी खण्ड के बारे में जो कि भूमापन या भूलेख कार्य के अन्तर्गत हो, भूलेखाधिकारी इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार प्रत्येक गांव या उसके किसी भाग के लिये जो कि ऐसे क्षेत्र में हो या उसके हिस्से में हो एक नक्शा और एक खसरा तैयार करायेगा।

(घ) अधिकार अभिलेख

[धारा ११३] अधिकार अभिलेख —(क) भूमापन और लेखा कार्यक्रम या केवल लेखा कार्यक्रम के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के बारे में भूलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र में शामिल किसी गांव या उसके किसी हिस्से के लिये अधिकार अभिलेख बनवायेगा।

[धारा ११४] अधिकार अभिलेख के अंग —अधिकार अभिलेख का निर्माण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जायेगा और उसमें निम्नांकित बातें शामिल होंगी—

(क) खेवत —अर्थात् भूमापन और भूलेख कार्य अथवा भूलेख कार्य के प्रभाव क्षेत्र में अवस्थित समस्त सम्पत्तिधारकों का रजिस्टर जिसमें प्रत्येक सम्पत्ति धारक और उसके सभी हिस्सेदार, उसके कब्जेदार और उसके अन्तर्गत गैर भूमिदार के रूप में भूमिधारण करने वाले लोगों के, यदि कोई है, हितों की सीमा और उनकी प्रकृति का निर्देश किया जायेगा।

(ख) खतौनी —अर्थात् ऐसे क्षेत्र में भूमि पर खेती करने वाले या किसी अन्य रूप में भूमि पर कब्जा रखने वाले या उसे धारण करने वालों का एक रजिस्टर जिसमें धारा १११ द्वारा याचित सभी विवरण शामिल किये जायगे

(ग) ऐसे क्षेत्र में राजस्व अथवा लगान से मुक्त भूमि को धारण करने वाले लोगों का एक रजिस्टर या

(घ) ऐसे अन्य रजिस्टर जो निर्धारित किये जाय।

[धारा ११५] ऐसी भूमि के सम्बन्ध में वाद आमंत्रित करना जिसका कोई स्वामी न हो—(१) जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र भूमापन और भूलेख कार्य या केवल भूलेख कार्यक्रम के अधीन हो भूलेख अधिकारी ऐसे क्षेत्र में स्थित ऐसी भूमि की सूचि तैयार करेगा जोकि उसको किसी वैध सम्पत्ति होना प्रतीत न हो और तत्पश्चात् ऐसी भूमि को राज्य की सम्पत्ति के रूप में चिह्नित करने के विचार की सूचना सहित और ऐसे उस भूमि से सम्बन्धित किसी प्रकार के वाद रखने वाले लोगों को निमन्त्रण देते हुये एक आम घोषणा प्रकाशित करेगा। ऐसी घोषणा की तारीख के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर, ऐसे वाद अधिकारी, आधार के निर्देश के सहित अपनी अर्जी पेश करेगा।

(२) यदि कोई ऐसी अर्जी प्रस्तुत हो तो भूलेख अधिकारी उचित पूछताछ के बाद उसे सरसरी तौर पर निर्णीत करेगा।

[धारा ११६] अनाधिकृत भूमि को सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त किये जाने की प्रक्रिया—भूलेख अधिकारी यदि धारा ११५ में बताई गई भूमि के लिये कोई वाद प्रस्तुत न किया जाय या वह राज्य सरकार की सम्पत्ति तय करदी जाय किन्तु आसपास के गांव या गांवों के निवासी यह साबित करदें कि वे ऐसे निर्णय के पूर्व उस भूमि को चराई अथवा अन्य कृषि कार्यों के उपयोग में लेते रहे हैं, ऐसे गांव या गांवों को ऐसी भूमि के ऐसे अंश जो कि वह ऐसे कार्य के लिये आवश्यक समझे, सुपुर्द कर देगा और शेष भूमि को राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित करेगा तथा तदनुरूप चिह्नित करेगा।

[धारा ११७] ऐसी भूमि पर सीमित अधिकार होने की दशा में कार्यवाही—यदि धारा ११५ के अधीन जारी की गई घोषणा उल्लिखित भूमि में उससे या उस पर किसी ऐसे अधिकार के उपभोग किये जाने या प्रयोग किये जाने जो कि स्वाधिकार का प्रयोग करते नहीं साबित हो जाय तो भूलेख अधिकारी वादअधिकारी को ऐसी भूमि के कोई निश्चित ऐसे बनाने पर बगैर उसकी सम्पत्ति को सौंप सकता है अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति से अन्यथा रूप में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम १९५३ (राजस्थान एक्ट संख्या २४ सन् १९५३) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वाद अधिकारी की क्षतिपूर्ति कर सकता है और ऐसा क्षतिपूरण ऐसे उपभोग या प्रयोग के कारण उत्पन्न सभी वादों की समाप्ति कर देगा।

[धारा ११८] निर्धारित एवं सुरक्षित भूमि का रकबा—भूलेख अधिकारी नुकसान के बगैर धारा का वह समस्त भूमि की सीमा का निर्धारण अथवा निरूपण करेगा और उसको उस रूप में लेखबद्ध करेगा।

[धारा ११९] किसी गांव की आबादी का निर्धारण—प्रत्येक आबाद गांव के विषय में भूलेखाधिकार उसके निवासियों के रहने के लिये तथा उनकी निवास से सम्बद्ध कार्यों के लिये आरक्षित किये जाने वाले क्षेत्र का निर्धारण व निरूपण करेगा और और ऐसा क्षेत्र उसे गांव की आबादी में समझा जायेगा।

टिप्पणी —इस धारा में भूलेख अधिकारी के कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। भूलेख अधिकारी गांव में रहने वालों के लिये रहने तथा पशु पालन के बाड़े आदि के लिये भूमि का आरक्षण करेगा—ऐसे कार्यों के लिये भूमि सुरक्षित रहेगा।

[धारा १२०] ग्राम पत्रिका —किसी प्रपत्र में भूमापन और भूलेख कार्यक्रम अथवा भूलेख कार्यक्रम के अधीन होने वाले गांव की एक सूची भूलेख अधिकारी तैयार करेगा जिसमें कि वह निर्धारित रीति से दिखायेगा—

(क) प्रत्येक धारा से प्रभावित होने वाला क्षेत्र,

(ख) अनिश्चित खेती वाला क्षेत्र।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित राजस्व या लगान तथा उसके अदा करने वाले व्यक्ति, एवं—

(घ) ऐसे क्षेत्र जिनका राजस्व और लगान का सम्पूर्ण भाग या कोई अंश जो अमल किया गया हो, छोड़ दिया गया हो सौंपा गया हो, लगान मुक्त किया गया हो या उस विषय में समझौता किया गया हो तो उससे सम्बद्ध शर्ता एवं प्राधिकारों का उल्लेख।

[धारा १२१] खतौनी में दर्ज किये जाने वाले विवरण —(१) धारा ११४ के खण्ड (ख) द्वारा नियत किसी भूमि के जोतने वाले अथवा अन्यथा प्रकार से उसको धारण करने या उसमें अधिवास करने वाले लोगों के रजिस्टर में प्रत्येक आसामी के लिये निम्नांकित विवरण दर्ज किये जायेंगे, अर्थात्—

(क) राजस्थान [1][x x x x x x x] टिनैंसी अधिनियम १९५५ (राजस्थान कानून ३ आफ १९५५) के प्रावधानों के अनुसार निरूपित उसके भू प्रबन्ध प्रणाली की प्रकृति एवं श्रेणी एवं [2][या अन्य किसी दूसरे कानून या प्रावधान के अनुसार जो उस वक्त राज्य भर में या किसी हिस्से में लागू हो।],

(ख) खतौनी की सीमा की अप्राप्ति हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिफल की रकम यदि कोई हो,

(ग) खतौनी के पच की तारीख और स्थानान्तरण यदि कोई हो जो कि इसके द्वारा किये हों, उनसे सम्बद्ध विवरणों सहित,

(घ) उसकी जोत में एवं तत्सम्बन्धित क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक खेत का खसरा नम्बर,

(ङ) वार्षिक लगान जो उसके द्वारा देय हो,

(च) भूप्रबन्ध प्रणाली की कोई अन्य शर्तें जो चाहे लिखित पट्टे में सम्मिलित हो अथवा न हो, और

(छ) खातेदार आसामियों के अलावा व्यक्तियों के मामले में उस भूमि के उसके अधिपत्य होने का समय २ वर्षो में और,

(ज) ऐसे अन्य विवरण जो समय समय निर्धारित किये जाय।

(२) ऐसे भूमिधारियो का जो कि [3][x x x x x x राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम १९५५ (राजस्थान एक्ट ३ आफ १९५५) [4][या अन्य किसी दूसरे कानून या प्रावधान के अनुसार जो उस वक्त राज्य भर में या किसी हिस्से में लागू हो] की प्रणाली के अनुसार खुद काश्त के लिये कोई भूमि धारण किये हुये हो रजिस्टर में उल्लेख किया जायेगा और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उन वर्षों का निर्देश किया जावेगा जिनमें वह भूमि इस प्रकार धारण की गई होगी।

टिप्पणी—राजस्थान एक्ट न २ आफ १९५८ के खण्ड ४ की प्रथम सूचि द्वारा जो राजस्थान गजट खण्ड ४-अ दिनांक १३-१-५८ को प्रकाशित हुआ (१) (३) लोपित किया गया व (२) (४) सम्मिलित किया गया।

[धारा १२२] इन्द्राजों का सत्यापन और झगड़ों का निर्णय—समस्त अधिकार अभिलेख की समस्त विवाद रहित इन्द्राजों में रुचि रखने वाले पक्षों का सत्यापन करेंगे व ऐसे इन्द्राजों के सम्बन्ध में समस्त वाद चाहे वे मूलेख अधिकारी द्वारा स्वयं लिये हों अथवा किसी अभिरुचि रखने वाले पक्ष के आवेदनपत्र पर उठाये गये हों, मूलेख अधिकारी द्वारा धारा १२३ १२४ और १२५ के प्रावधानों के अनुसार निपटारा किया जावेगा।

[धारा १२३] आसामी के वर्ग का निर्धारण—(१) किसी आसामी के वर्ग अथवा भूप्रबन्ध प्रणाली से सम्बन्धित मामले में मूलेख अधिकारी राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, १९५५ में स्थापित सिद्धान्तों पर निर्णय करेगा।

(२) वाद के निपटाने में इस धारा के अधीन, मूलेखाधिकारी ऐसे ढंग से काम लेगा जो इस अधिनियम के अन्तर्गत नियत किया जाय।

[धारा १२४] देय राजस्व अथवा लगान से सम्बद्ध विवाद—मूलेख अधिकारी किसी राजस्व या लगान से सम्बद्ध किसी विवाद में, वाद को तय नहीं करेगा किन्तु अधिकार पत्रिकावली में वर्ष में देय लगान या राजस्व के रूप में पूर्व वर्ष में देय राजस्व या लगान का रकम दर्ज करेगा किन्तु शर्त यह है कि यह ऐसे अधिनियम अथवा राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत किसी संविदा, डिग्री या आज्ञा द्वारा कम या ज्यादा न कर दिया गया हो।

[धारा १२५] अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों के विषय में उठाये गये झगड़ों का निपटारा—(१) अधिकार अभिलेख की प्रविष्टियों से सम्बद्ध में उठाये गये अन्य समस्त विवाद अधिपत्य के आधार पर तय किये जावेंगे।

(२) इस धारा के अधीन भूलेख अधिकारी किसी विवाद की पृच्छाओं के समय यह तय न कर सके कि कौनसा पक्ष अधिपत्य पाता है तो वह सरसरी पृच्छाओं के द्वारा यह तय करेगा कि कौन व्यक्ति सर्वोत्तम अधिकारी है और तदनुसार विवाद का निपटायेगा।

(३) इस धारा के अधीन दिया गया कोई भी आदेश किसी व्यक्ति पर अधिकार रखने वाला दीवानी अथवा माल अदालत में किसी भूमि पर अपने अधिकार का होना साबित करने पर पाबन्दी नहीं लगायेगा।

[धारा १२६] वर्तमान लेख संग्रह का प्रयोग—जब तक धारा ११२ के अधीन नया भूमापन एवं खसरा मानचित्र तैयार न हो अथवा जब तक धारा ११२ के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार न हो, वर्तमान खसरा मानचित्र और अधिकार अभिलेख यदि कोई हो सम्बद्ध क्षेत्र के लिए खसरा मानचित्र या अधिकार अभिलेख कहलायेगा।

[धारा १२७] भूमापन एवं भू-लेख कार्यक्रम की समाप्ति पर विचाराधीन विवाद—जब कभी धारा १०६ या १०७ के अधीन विज्ञप्ति जारी कर भूमापन और लेख संग्रह का अथवा भूलेख संग्रह का कार्य, जैसी भी अवस्था हो, बन्द कर दिया जाय तो उस समय अतिरिक्त भूलेख अधिकारी द्वारा अनिर्णीत मामले यदि कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया हो तो कलक्टर को स्थानान्तरित कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी—इस धारा के अनुसार जब भूमापन या खसरा मानचित्र का कार्य राज्य सरकार बन्द कर देती है तो बाद बचे हुए मामले या तो अतिरिक्त अधिकारी को नियुक्त कर निपटाये जाते है अथवा कलक्टर को सौंप दिये जाते है।

(ह) मानचित्र-खसरे की सुरक्षा

[धारा १२८] सीमा सम्बन्धी विवाद—सीमा के सम्बन्ध सभी विवाद धारा ११९ में उल्लिखित प्रणाली द्वारा भूलेख अधिकारी तय करेगा।

परन्तु शर्त यह है कि खेतों की ऐसी सीमा सम्बन्धी दस्तावेज जहाँ यद्यपि सीमा सम्बन्धी विवाद न हों किन्तु सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवादों की काफी सम्भावना हो सकती हैं तहसीलदार को ही पेश की जायगी तथा उसी के द्वारा तय की जावेगी।

[धारा १२९] सीमा चिन्ह के सम्बन्ध में भूमिधारियों का उत्तरदायित्व—(१) ग्राम-सम्पत्ति और खेतों के समस्त सधारक ऐसे गाव खेत या सम्पत्ति पर कानूनी रूप से बनाये गये सीमा के स्थायी चिन्हों को अपने खर्च पर ठीक अवस्था में रखने तथा उनकी व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी होंगे और भूलेख अधिकारी किसी भी समय ऐसे भूधारियों को आदेश दे सकता है कि—

(क) वे इस प्रकार के गावों, सम्पत्तियों या खेतों पर उचित सीमा चिन्ह लगायें अथवा

(ख) उन पर उचित रूप से बनाये गये समस्त सीमा चिन्हों के ऐसे रूप में और ऐसी सामग्री से मरम्मत करावें या उनका पुन: निर्माण करावें जोकि इस अवस्था में निर्धारित किये जावें।

(२) यदि ऐसे आदेश का पालन उसके जारी होने के बाद अन्दर मयाद ३० दिन नहीं किया जाय तो ऐसा अधिकारी ऐसे सीमा चिन्ह को बनवाने उनकी मरम्मत करवाने अथवा उनका पुन: निर्माण करवाने की कार्यवाही कर सकेगा और ऐसा अधिकारी सम्बन्धित भूधारियों से ऐसे अनुपात में, जो वह उचित समझे खर्च किये गये दाम वसूल करेगा।

(३) खेतों की सीमा सम्बन्धी मामलों में, जहा सीमा सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है, वहां उपधारा (१) व (२) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा उस दरख्वास्त के प्रस्तुत होने पर या अन्यथा भी कार्यवाही की जावेगी।

[धारा १३०] सीमा चिन्हों को नष्ट करने या हटाने पर शास्ति— किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसके द्वारा इच्छापूर्वक किसी भूमापन या सीमा के चिन्हों को हटाया जाना, हानि पहुँचाना या नष्ट किया जाना सिद्ध हो जाय तो भूलेख अधिकारी यह आदेश दे सकता है कि वह किसी ऐसे प्रत्येक हटाये, हानि पहुचाये या मिटाये गये चिन्ह के बारे में अधिक से अधिक ५०) तक की शास्ति दे, जितनी कि खण्डित चिन्ह के पुनर्निर्माण हेतु अथवा सूचना देने वाले को पारितोषिक देने के लिये अनिवार्य हो। भूलेख अधिकारी ऐसे निशान का मरम्मत करावेगा और तत्सम्बन्धी खर्चे आसपास के गावों, सम्पत्तियों या खेतों के मधारकों से जैसी भी अवस्था हो, वसूल कर लेगा जैसा भी उचित समझे यदि ऐसी रकम प्राप्त नहीं की जा सके या ऐसा दोषी नहीं ढूढा जा सके।

[धारा १३१] मानचित्र खसरे का प्रबन्ध —भूलेख अधिकारी, भूमापन और भूलेख संग्रह के कार्य की समाप्ति पर इस विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, सुरक्षा करेगा और वह उनमें वार्षिक अथवा नीचे के अवकाशों में जिनको कि राज्य सरकार निर्धारण करे, सभी परिवर्तन जो कि किसी गांव के हिस्से, सम्पत्ति या खेतों में होने वाले परिवर्तनों को लेकर दर्ज करेगा और ऐसे मानचित्र खसरे में सीमा में पाई गई भूलों का सुधार करेगा।

टिप्पणी,—इस धारा के अनुसार मानचित्र खसरे के निर्माण के साथ ही उसकी भूलों का सुधार किया जाना दिया जावेगा क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।

(च) वार्षिक पत्रिका

[धारा १३२] वार्षिक पत्रिका —(१) भूलेखाधिकारी अधिकार अभिलेख की सुरक्षा करेगा तथा उसके लिये वार्षिक रूप में अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि

में धारा ११४ एवं १२० में परिभाषित पत्रिकाओं का एक भाग या संशोधित भाग, जैसी भी अवस्था हो, तैयार करेगा और इस प्रकार तैयार किये गये रजिस्टर वार्षिक पत्रिका कहलायेंगे।

(२) निर्धारित ढंग से होने वाली सभी परिवर्तनों एवं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव डालने वाली कार्यवाहियों का अभिलेखन वार्षिक पत्रकों में करने का कर्त्तव्य भूअभिलेख अधिकारी का होगा।

[धारा १३३] उत्तराधिकारी तथा कब्जे के हस्तान्तरण की रिपोर्ट — (१) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा तदन्तर विनिर्मित वार्षिक रजिस्टरों में प्रविष्ट की जाने योग्य भूमि या उसके लाभ में किसी सम्पत्ति का विरासत, इन्तकाल या अन्य रीति से किसी भी प्रकार का अधिकार या हित या कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सम्बन्ध तथ्य का ज्ञान गांव के पटवारी को कराय तथा उस सम्बन्ध का रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को दे दे जिसमें कि वह भूमि स्थित हो चाहे ऐसी रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को दे जिसमें कि वह भूमि स्थित हो, चाहे ऐसी रिपोर्ट ग्राम पटवारी के मार्फत या भूलेख निरीक्षक के मार्फत दी जाय किन्तु ऐसे कब्जे की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन माह की अवधि के भीतर ऐसी रिपोर्ट दे दी जानी चाहिये।

(२) यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है अथवा अन्य रीति से अयोग्य है तो उसका संरक्षक या उसकी सम्पत्ति की देख रेख करने वाला व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट देगा।

[धारा १३४] रिपोर्ट देने में लापरवाही करने पर दण्ड — धारा १३३ द्वारा याचित रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लापरवाही करने वाले पर अधिक से अधिक १०) रु० तक का दण्ड किया जा सकता है।

[धारा १३५] रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर कार्यवाही — (१) ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अथवा अन्य प्रणाली से इस विषय में जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार आवश्यक जाँच पड़ताल करेगा और निर्विवाद मामलों में यदि विरासत हस्तान्तरण या अन्य रूप से अधिकार होना प्रतीत हो तो उसका अभिलेखन वार्षिक रजिस्टरों में करेगा।

(२) यदि हस्तान्तरण, विरासत या अन्य अधिकार विवाद ग्रस्त हो तो इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सामर्थ्य प्राप्त होने पर तहसीलदार विधि के अनुसार ऐसे मामले तय करेगा और यदि इस सम्बन्ध में क्षमता प्राप्त न हो तो ऐसे मामले को सक्षम अधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजेगा।

[धारा १३६] विवादों पर निर्णय — देय लगान या राजस्व से सम्बन्धित या किसी कृषक के भूमि अधिकारों अथवा वर्ग से सम्बन्धित या वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों के विषय में उठाये गये सभी विवाद धारा १२३ या धारा १२४ या धारा १२५ के अन्तर्गत अवस्था के अनुसार निर्णीत होंगे।

[धारा १३७] सम्पत्तियों की विरासत —इस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी बात के होने पर भी किसी सम्पत्ति का उत्तराधिकार या हस्तान्तरण सम्पत्ति वाले क्षेत्र मे प्रचलित किसी सामाजिक रिवाज या प्रथा अथवा प्रभावशील विधि के अनुसार निष्पन्न किया जायगा एवं उसके द्वारा शासित एवं नियमित होगा तथा ऐसा कानून सामाजिक रिवाज या प्रथा धारा २६३ के प्रावधानों के रहते हुवे भी, उपरोक्त प्रयोजन के लिये प्रभावशील रहेंगे।

टिप्पणी —यह धारा स्पष्ट करता है कि भूमि वाले क्षेत्र में प्रभावशील विधियां विरासत तथा भूमि के हस्तान्तरण के बारे में प्रभावशील रहेंगे और उनके प्रावधानों के अनुसार ही उनके सम्बन्ध के विवाद निर्णीत होंगे यद्यपि धारा २६३ के अन्तर्गत कुछ विधियां रद्द कर दी गई हैं।

(छ) विविध

[धारा १३८] अभिलेखों का निरीक्षण —समस्त भूमापन मानचित्र खसरे व रजिस्टर जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जायेंगे, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय, स्थान एवं निबन्धनाओं पर जनता के निरीक्षण के लिए सदैव निशुल्क खुले रहेंगे।

[धारा १३९] प्रविष्टियों की नकल —इस अध्याय के अन्तर्गत व्यवस्थित रजिस्टरों तथा अभिलेखों की प्रविष्टियों की नकल राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क के चुकाने पर, जब कभी आवश्यक हो तैयार करेगा और एसी प्रतिलिपियों को निर्धारित रीति से प्रमाणित किया जायेगा।

[धारा १४०] प्रविष्टियों के विषय में कल्पना —अधिकार अभिलेख में समाविष्ट समस्त प्रविष्टियां सत्य मानी जायेंगी किन्तु शर्त यह है कि उन्हें अन्यथा प्रमाणित न कर दिया गया गया हो।

[१४० क] खुदकाश्त के इन्द्राजात सम्बन्धित विवादग्रस्त प्रविष्टियां —धारा १२४ व १३६ में निहित किसी बात के होते हुए भी किसी जागीरदार द्वारा घास के आरक्षण हेतु रखी हुई और चराई के हेतु दी हुई, ओड अथवा बीड़ की भूमि के विषय,मे, घास काटे जा चुकने के पश्चात् अथवा घास हटाने या उसके पहले चाहे वह भूमि चराई की फीस लेकर दी हुई हो अथवा बिना ऐसी फीस के दी हुई हो, खुदकाश्त के विषय में, हका के रकाडे मे की गई इन्द्राज की शुद्धि अथवा अशुद्धि के विषय में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावे, तो ऐसी विवादास्पद भूमि का निर्णय खुदकाश्तकी जमीन के अधिकरण (Possession) पर आधारित होगा और यह खुदकाश्त की भूमि के आवटन व विभागीकरण (Demarcation) कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा, जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु शर्त यह है कि कोई भी एस इन्द्राज पर आपत्ति उठाई नही जा सकेगी यदि खुदकाश्त का कुल क्षेत्र जो जागीरदार के कब्जे में हो कम से कम उस परिमाण से दुगने

से अधिक न हो जो भत्र राजस्थान टीनेंसी एक्ट १९५५ (राजस्थान अधिनियम ३, १९५५) की धारा १८० की उपधारा (१) खण्ड (अ) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अथवा नियत की गई हो।

(२) शुद्धकरण सम्बन्धी न्यूनता जो इस प्रकार रखा न किया हुआ हो उसकी शुद्धि हेतु उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही, राजस्थान भू राजस्व (संशोधन) अधिनियम १९५६ के चलन से पहले अथवा उक्त कानून चलने के ५ वर्ष के अन्दर ही प्रस्तुत की जानी चाहिए और उक्त अवधि के बाद नहीं।

[धारा १४१] निर्णय राजस्व न्यायालयों को मान्य होंगे —धारा १२५ का उपधारा (३) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन विवादों में दिये गये सभी निर्णय उस समय तक विवाद के विषय के बारे में सभी राजस्व न्यायालयों को मान्य होंगे जब तक कि ऐसा विवाद आसामी द्वारा देय लगान अथवा राजस्व के सम्बन्ध में न होगा।

अध्याय ७क

आबादी क्षेत्रों का सर्वेक्षण (पैमाइश)

[धारा १४१क] परिभाषायें —इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, जब तक विषय या सदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आबादी क्षेत्र" का अर्थ वही होगा जो उसे धारा १०३ के खण्ड (ख) द्वारा दिया गया है

(ख) भूमि का अर्थ वही होगा जो उसे धारा १०३ के खण्ड (क) द्वारा दिया गया है,

(ग) 'स्वामी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(१) वह व्यक्ति जिसका किसी भूमि या भू-गृहादि मे स्थायी हित हो या
(२) ऐसे व्यक्ति का एजेन्ट या उसकी ओर से प्रबन्धक (मैनेजर) या
(३) ऐसे व्यक्ति का न्यासी या
(४) ऐसा निगम निकाय जिसमें कोई भूमि या भू गृहादि तत्समय निहित है या
(५) किसी भूमि या भू-गृहादि का तत्समय अधिवासी

(घ) 'भू-गृहादि' से तात्पर्य इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये किसी अभिलेख मे या किसी अन्य पूर्व के मौजूद अभिलेख मे इस प्रकार वर्णित किसी भूमि या भवन से है।

(ङ) 'सर्वेक्षण' में सीमाओं का अभिज्ञान तथा सर्वेक्षण की प्रायगिक या इससे सम्बन्धित समस्त अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित हैं।

[धारा १४१ख] सर्वेक्षण की आज्ञा देने की शक्ति —(१) राज्य सरकार जब कभी यह उचित समझे सरकारी राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा आज्ञा दे सकेगी कि राज्य के भीतर किसी भी आबादी क्षेत्र का या ऐसी आबादी क्षेत्र के किसी भाग का सर्वेक्षण किया जाय और तदपरान्त प्रत्येक ऐसा आबादी क्षेत्र या उसका भाग सर्वेक्षणाधीन समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार उसी विज्ञप्ति द्वारा या तत्पश्चात् विज्ञप्ति द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसा स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) जिसका ऐसे आबादी क्षेत्र या उसके भाग पर अधिकार क्षेत्र हो, इस प्रकार आज्ञा दिए गए सर्वेक्षण का इन्चार्ज होगा।

(३) ऐसे सर्वेक्षण का इन्चार्ज स्थानीय प्राधिकारी उसके सम्बन्ध में, इस अध्याय के अधीन या अन्यथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो उपधारा (२) में निर्दिष्ट विज्ञप्ति में निर्धारित किये जाय।

(४) जहां उपधारा (१) के अधीन आज्ञा दिये गये किसी सर्वेक्षण के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी को इन्चार्ज होने का निदेश नहीं दिया गया हो, तो जिले का कलक्टर ऐसे सर्वेक्षण का इन्चार्ज होगा।

(५) उपधारा (१) के अधीन आज्ञा दिया गया सर्वेक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी (Additional Land Record officer) के दर्जे से नीचे का नहीं होगा, निर्धारित रीति से किया जायगा और ऐसा अधिकारी तदुपरान्त सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी कहा जायगा।

(६) राज्य सरकार सर्वेक्षण का सचालन करने हेतु उतनी संख्या में सहायक अभिलेख अधिकारी (Assistat Recoros officer), और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह उपधारा (५) के अधीन नियुक्त अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक समझे।

(७) उपधारा (६) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा इन कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो निर्धारित किये जाय या जो सर्वेक्षण का सचालन करने वाले अधिकारी द्वारा उसे सुपुर्द की जाय।

[धारा १४१ग] भूमि में प्रवेश —सर्वेक्षण का सचालन करने वाले अधिकारी को इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र या उसके भाग के अन्दर किसी भूमि या भू-गृहादि में, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच के घण्टों में, स्वयं या सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रवेश करने की शक्ति होगी और (यह) प्रवेश के कारण या ऐसी भूमि अथवा भू-गृहादि में, इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसरण में किये गये किसी कार्य के कारण उसके विरुद्ध कोई भी वैधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसी किसी भी भूमि या भू-गृहादि में जहां तत्समय कोई निवास कर रहा हो उस समय तक इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायगा जब तक कि उसके अधिवासी की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो अथवा उक्त अधिवासी को इस प्रकार प्रवेश के आशय का एक नोटिस २४ घण्टे पूर्व नहीं दे दिया गया हो।

[धारा १४१ घा] सर्वेक्षण का नोटिस पहिले दिया जाना —सर्वेक्षण के प्रयोजना के लिए किसी भूमि या भू-गृहादि में प्रवेश करने के पूर्व सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी सर्वेक्षण की जाने वाली भूमि या भू-गृहादि के स्वामी पर और एकड़ सीमा वाली भूमियां या भू-गृहादि के स्वामियों पर अपने हस्ताक्षराधीन लिखित में एक नोटिस तामील करायगा जिसमें उनको ऐसी भूमि या भू-गृहादि में उसके समक्ष या ऐसे अधिकारी के समक्ष जो उसके द्वारा इस ओर प्राधिकृत किया गया हो निर्धारित अवधि (जो ऐसी नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् तीन दिन से कम नहीं होगी) के भीतर २ सीमाओं को बतलाने के प्रयोजनार्थ और ऐसी सूचना देने के लिए जो इस अध्याय के प्रयोजना के लिए आवश्यक हो, या तो वैयक्तिक रूप से या अपने एजेन्ट द्वारा उपस्थित होने के लिए कहा जायगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिस पर ऐसा नोटिस तामील किया जायगा वैधिक रूप से उपस्थित होने जैसा कि नोटिस द्वारा अपेक्षित है, और कोई भी ऐसी सूचना देने के लिए जो अपेक्षित है और जहां तक वह उसे देने के योग्य है बाध्य होगा।

[धारा १४१ ङा] धारा १४१ घा के अधीन नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् सर्वेक्षण-कार्य का प्रारम्भ किया जाना —धारा १४१ घा के अधीन जारी किये गये नोटिस की उचित तामील होने के पश्चात्—

(१) सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस ओर प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर सकेगा चाहे वे व्यक्ति जिन पर ऐसा नोटिस तामील किया गया है, उपस्थित हो या न हों और

(२) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार उपस्थित होने में विफल रहता है या जो इस प्रकार उपस्थित नहीं है, सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा उस रीति से तथा उसी सीमा तक बाध्य होगा मानों सर्वेक्षण उसकी उपस्थिति में किया गया था।

[धारा १४१चा] सर्वेक्षण का नक्शा तथा रजिस्टर —(१) सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी, सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र या उसके भाग का एक नक्शा तैयार करेगा।

(२) ऐसे आबादी क्षेत्र या उसके भाग के अन्दर की भूमियों और भू-गृहादि को नक्शे में निर्धारित रीति में पृथक पृथक दिखलाया जायगा।

(३) भूमि के प्रत्येक टुकड़े और प्रत्येक ऐसे भू-गृहादि को जो नक्शे में पृथक दिखलाया गया है संकेतात्मक (Indicative) सर्वेक्षण संख्या दी जायगी।

(४) सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी सर्वेक्षणाधीन आसामी क्षेत्र या उसके भाग के लिये, भी उसमे स्थित ऐसी समस्त भूमियों तथा भू-गृहादि का, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, एक रजिस्टर तैयार करेगा।

(५) उप धारा (४) के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में, उप धारा (३) के अधीन दी गई प्रत्येक सर्वेक्षण सर्वेक्षण संख्या के सम्बन्ध में, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जो सर्वेक्षण के समय उसके स्वामी के रूप मे उपस्थित हुए हो और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किये जायें लिये जायेंगे।

[धारा १४१छा] सीमा चिन्हों का लगाया जाना ।—सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी, किसी भी समय, किसी भी भूमि पर, जिसका इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण किया जाता है या किया गया है, ऐसे प्रकार तथा ऐसी संख्या एवं रीति मे, जिसे वह सर्वेक्षण के प्रयोजना के लिए पर्याप्त होना निर्धारित करे, अस्थायी या स्थायी सीमा चिन्ह लगवायेगा।

परन्तु शर्त यह है कि सीमा को स्थायी भवन दीवार या भाडी द्वारा परिमापित किये जाने की दशा में, कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं लगाये जायेंगे।

[धारा १४१ जा] अस्थायी सीमा चिन्हों का सधारण —(१) जब धारा १४१ छा के अधीन कोई अस्थायी सीमा चिन्ह लगाये गये हों तो सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी उस भूमि या भू गृहादि जिस पर या जिससे सलग्न ऐसी सीमा चिन्ह स्थित है के स्वामी पर उसके हस्ताक्षराधीन लिखित मे एक नोटिस तामील करवायेगा जिसमें उससे जब तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो जाय, ऐसे सीमा चिन्ह का सधारण तथा मरम्मत करने की अपेक्षा की जायगी।

(२) यदि ऐसा स्वामी ऐसे नोटिस की तामील नहीं करे तो सर्वेक्षण का सचालन करने वाला अधिकारी, सीमा चिन्ह का मरम्मत करवा सकेगा और इस कार्य के करने पर हुआ व्यय ऐसे स्वामी से भू राजस्व की बकाया के रूप मे वसूली योग्य होगा।

[धारा १४१ भा] सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद —(१) इस अध्याय के अधीन सर्वेक्षण कार्य किये जाने के दौरान यदि सर्वेक्षण की जाने वाली किसी भूमि या भूगृहादि की सीमाओं के सम्बन्ध मे किसी विवाद का मौजूद होना पाया जाय तो ऐसे विवाद का निर्णय हेतु इस विषय में प्राधिकृत किसी सहायक अभिलेख अधिकारी (Assistant Record officer) द्वारा जाच की जायगी।

( ) उक्त सहायक अभिलेख अधिकारी, अपने हस्ताक्षराधीन लिखित मे एक नोटिस सम्बन्धित पक्षों पर तामील करवायेगा जिसमे उनसे उसके समक्ष स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा किसी निश्चित दिन को उपस्थित होने और विवाद ग्रस्त भूमि या भू-गृहादि पर अधिकार होने का सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा जायगा।

प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसी साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा तथा ऐसी और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे और विवाद ग्रस्त भूमि या भू-गृहादि के कब्जे के आधार पर, उक्त पक्षों में से किसी भी पक्ष के स्वत्व (Claim) के गुण दोषों का निर्देश (Reference) किए बिना, यह निर्णय करेगा कि कौन से पक्ष का सर्वेक्षण के समय, उक्त भूमि या भू-गृहादि पर कब्जा है।

(४) उपरोक्त जांच के प्रयोजनार्थ, सहायक अभिलेख अधिकारी को साक्षियों को बुलाने और उनके उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, और उनकी परीक्षा करने तथा उसी रीति में जैसा कि सिविल प्रोसीजर कोड, १९०८ (सेन्ट्रल एक्ट संख्या ५ सन् १९०८) के अधीन, न्यायालय के किसी मुकदमे के लिए आवश्यक है दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी।

(५) जांच पूरी हो जाने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी, लिखित में ऐसा आज्ञा पारित करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से विवाद का विषय बतलायगा और उस पर अपना निर्णय तथा ऐसे निर्णय के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा।

(धारा १४१ आ] कलक्टर को अपील की जाना —धारा १४१ भ के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित की गई आज्ञा के विरुद्ध अपील कलक्टर के पास की जायगी और वह ऐसी आज्ञा की तारीख से ३० दिन के भीतर २ की जा सकेगा।

[धारा १४१ टा] पंचाट को निर्णय हेतु भेजने की शक्ति —(१) विवाद ग्रस्त सीमाओं के प्रत्येक मामले में, जांच करने के लिए प्राधिकृत सहायक अभिलेख अधिकारी, पक्षों द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत करने पर विवाद को एक या उससे अधिक पंचों (arbitrators) जो क्रमश पक्षकारों द्वारा मनोनीत किये गए हों, के पास निर्णय हेतु भेज सकेगा और पंच निर्णय देने के लिए ऐसा समय निश्चित करेगा और उतनी अवधि के लिए समय को बढ़ावेगा जितना उचित हो—

परन्तु शर्त यह है कि यदि सहायक अभिलेख अधिकारी को यह प्रतीत हो कि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे किसी विवाद में हित रखते हैं तो वह इस प्रकार निर्देश (reference) करने से मना कर देगा।

(२) उप धारा (१) के अधीन किये गए प्रत्येक निर्देश (reference) और तदन्तर्गत मनोनीत किये गये प्रत्येक पंच पर आरबिट्रेशन एक्ट, १९४० (सेन्ट्रल एक्ट १० सन् १९४०) के प्रावधान, जहां तक सम्भव हो सकेगा लागू होंगे।

[धारा १४१ठा] सर्वेक्षण से सम्बन्धित दस्तावेजों को, सर्वेक्षण अधिकारी या इन्चार्ज अधिकारी के पास भेजा जाना —(१) सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र या उसके किसी भाग का सर्वेक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् सर्वेक्षण का संचालन करने वाला अधिकारी, ऐसे सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त नक्शे रजिस्टर और अन्य दस्तावेज, उसके इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी को भेजेगा।

(२) ऐसे नक्शे, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति की सूचना ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा सरकारी राजपत्र में विज्ञापित की जायगी और कोई भी व्यक्ति जो सर्वेक्षण में हित रखता हो, ऐसी विज्ञप्ति की तारीख से दो मास के भीतर किसी भी समय, ऐसे नक्शा, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों का नि शुल्क निरीक्षण कर सकेगा।

(३) यदि उक्त अवधि के भीतर सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, सर्वेक्षण के इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी के पास कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है तो ऐसी आपत्ति पर निर्णय उस अधिकारी द्वारा किया जायगा जिसे राज्य सरकार इस विषय में नियुक्त करे या जहां कोई स्थानीय प्राधिकारी सर्वेक्षण का इन्चार्ज हो तो, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से, निर्णय किया जायगा।

(४) उप धारा (३) के अधीन प्रस्तुत समस्त आपत्तियों पर निर्णय लिए जाने के पश्चात सर्वेक्षण का इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, सर्वेक्षण से सम्बन्धित नक्शों, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों को, ऐसे निर्णय के अनुसार सही करवायेगा और समस्त कागजात अपनी सिफारिश के सहित राज्य सरकार के पास सर्वेक्षण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर देगा।

(५) यदि राज्य सरकार सर्वेक्षण की स्वीकृति दे देती है तो ऐसी स्वीकृति सरकारी राजपत्र म विज्ञापित की जायगी।

[धारा १५१ टा] नक्शों तथा रजिस्टरों का संधारण —(१) धारा १८१ठा की उप धारा (५) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त नक्शे रजिस्टर और अन्य दस्तावेज सर्वेक्षण के इन्चार्ज अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय मे जमा कराये जायेंगे।

(२) समस्त ऐसे नक्शे, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रीति म संधारित किए जायेंगे।

(३) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे नक्शों मे ऐसे अधिकारी द्वारा जो इस ओर राज्य सरकार द्वारा या उसकी स्वीकृति से नियुक्त किया जाय, निर्धारित रीति से और निश्चित समयांतरों पर संशोधन करवायगा और ऐसे रजिस्टरों म की गई प्रविष्टियों को सही करवायगा।

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी व्यक्ति को, ऐसे संशोधन या शुद्धि (Correction) के प्रयोजनार्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को किसी भूमि या भू-गृहादि में उसके द्वारा हित की प्राप्ति के सम्बन्ध म नोटिस देने के लिए नहीं कहा जायगा।

(४) किसी नक्शे में संशोधन करने या किसी रजिस्टर म प्रविष्टियों को सही करने के, प्रयोजनार्थ उप धारा (३) के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो निर्धारित की जायें।

प्राधिकारी को सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी सीमा तक एवं ऐसी दर से तथा ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार निधारित करे, सर्वेक्षण शुल्क के भुगतान करने का भागी होगा और कोई भी सर्वेक्षण शुल्क जिसका भुगतान नहीं किया गया है, भू राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा

परन्तु शर्त यह है कि—

(क) सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र या उसके भाग की भूमियों तथा भू-गृहादि के स्वामियों से वसूल किये जाने वाले सर्वेक्षण शुल्क का कुल राशि, सर्वेक्षण के कुल खर्च के १/३ से अधिक नहीं होगी, और

(ख) निम्नलिखित द्वारा कोई भी सर्वेक्षण शुल्क भुगतान योग्य नहीं होगा —

[१] राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या

[२] सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र या उसके भाग की किसी ऐसी भूमि या भू-गृहादि के सम्बन्ध में जो ऐसे क्षेत्र या मूल्य में ऐसी सीमाओं जो निधारित की जाय से, अधिक है या

(२) भूमि या भू-गृहादि का प्रत्येक स्वामी जिसने इस धारा के अधीन सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान कर दिया है नि शुल्क तथा भूमि या भू गृहादि का प्रत्येक स्वामी जो ऐसे सर्वेक्षण शुल्क के भुगतान का भागी नहीं है, ऐसे प्रभारों (Charges) का जो निर्धारित किये जाय, भुगतान करने पर इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये नक्शे से तथा रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण (Extract), जहा तक वे ऐसी भूमि या भू-गृहादि से सम्बन्धित हैं प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

[धारा १४१ख] सर्वेक्षण का खर्चा —धारा १४१ क में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, इस अध्याय के अधीन किये गये प्रत्येक सर्वेक्षण का खर्चा —

[१] ऐसे सर्वेक्षण का इन्चार्ज स्थानीय प्राधिकारी के होने की दशा में ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा और

[२] अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा

पूरा किया जायगा

परन्तु शर्त यह है कि खण्ड (१) के अधीन आने वाले मामले में राज्य सरकार —

(क) राज्य की सघनित निधि (Consolidated Fund) में से ऐसे खर्चे के भाग का भुगतान करना स्वीकार कर सकेगी या

(ख) ऐसे खर्च की पूर्ति के लिए, स्थानीय प्राधिकारी को ब्याज की दर पुन भुगतान की अवधि और प्रतिभूति तथा तत्सदृश सिक्यूरिटी जो दोनों (पक्षों) द्वारा स्वीकार की जाय के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों तथा प्रतिबन्धों पर अग्रिम रूप में ऋण देना स्वीकार कर सकेगी।

[धारा १४१ता] नोटिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल रहने पर शास्ति —जो कोई भी इस अध्याय के अधीन जारी किये गये तथा यथाविधि तामील किये गये नोटिस में निहित आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, ऐसे अर्थ दण्ड से जो एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा, दण्डित होगा।

[धारा १४१ था] नक्शों, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और उनके उद्धरणों की प्रतिया –(१)धारा १४१ डा की उपधारा (१) में निर्दिष्ट समस्त नक्शों रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों का ऐसी रीति तथा ऐसे घण्टों के बीच, ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए एवं ऐसे शुल्कों का भुगतान करने पर जिन्हें राज्य सरकार निधारित करे, सार्वजनिक रूप मे निरीक्षण किया जा सकेगा।

(२) ऐसे नक्शों रजिस्टरों तथा दस्तावेजों की या उसके उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ऐसे प्रतिलिपि शुल्कों का भुगतान करने पर तथा ऐसी रीति में जिसे राज्य सरकार निधारित करे मञ्जूरी की जायेगी।

[धारा १४१दा] नियम —राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध मे ऐसे नियम बना सकेगी जो इस अध्याय के प्रावधानों से असंगत न हो —

[१] सर्वेक्षणाधीन आबादी क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या भू-गृहादि के सम्बन्ध मे नक्शे तथा रजिस्टर तैयार करने उसका रूप तथा संग्रहण और सूचना को रखा करने,

[२] इस अध्याय के अधीन की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां का विनियमन करने

[३] सद्नगर की जाने वाला समस्त जांच का रीति

[४] समस्त ऐसे मामलों के विनियमन के लिए जिनका इस अध्याय के अधीन निधारण किया जाना अपेक्षित है या जो निधारित किया जायेगा और

[५] सामान्यतया तदन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां के उचित संचालन के लिए और इसके प्रयोजना तथा प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए।

[धारा १४१ धा] कार्यवाहियां अनौपचारिकता (Informality) द्वारा प्रभावित नहीं होंगी—इस अध्याय के अधीन की गई कोई भी कार्यवाहियां किसी अनौपचारिकता के कारण प्रभावित नहीं होगा बशर्ते कि उसके प्रावधानों का सारत: एवं प्रभावपूर्ण रूप से मामाल हो गई हो और इस अध्याय के अधीन की गई कार्यवाहियां इस कारण से प्रभावित नहीं होगा कि इस अध्याय के द्वारा या अधीन जारी तथा तामील किए जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

[धारा १४१ना] नक्शों तथा रजिस्टरों में प्रविष्टियों के सम्बन्ध में अनुमान —इस अध्याय के अधीन तैयार किये गये समस्त नक्शे तथा रजिस्टरों में की गई समस्त प्रविष्टियां सही समझी जायेंगी जब तक कि उसके विपरीत साबित न कर दिया जाय

परन्तु शर्त यह है कि ऐसा कोई नक्शा या प्रविष्टि किसी व्यक्ति के किसी भूमि या भू-गृहादि के या में अधिकार स्वत्व या हित को प्रभावित नहीं करेगी या उसे ऐसे अधिकार स्वत्व या हित को विधि अनुसार किसी सक्षम न्यायालय में प्राभावान्वित (enforcing) कराने से नहीं रोकगी।

अध्याय ८

भूप्रबन्ध कार्य

(क) सामान्य

[धारा १४२ भू प्रबन्ध तथा पुनर्भू प्रबन्ध—(१) सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार किसी जिले या अन्य क्षेत्र को बन्दोबस्त अथवा पुन-बन्दोबस्त में, जैसी भी अवस्था हो, रखने की आज्ञा दे सकती है।

(२) उपधारा (२) के अधीन निकाले गये इश्तिहार की तारीख से ऐसे क्षेत्र बन्दोबस्त के अन्तर्गत, बन्दोबस्त की कार्यवाही के अन्त की विज्ञप्ति निकाले जाने तक समझा जायेगा।

[धारा १४३] पुन बन्दोबस्त के अनुमानत परिणाम —राज्य सरकार धारा १४८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत, जब किसी जिले या अन्य क्षेत्र के सम्बन्ध में राजस्व की वसूली के लिये नियत किया गया समय समाप्त होने को होगा, विज्ञप्ति प्रकाशित करने के पूर्व दुबारा बन्दोबस्त के अनुमानत परिणामों का भविष्याकन करवा दिया है।

[धारा १४४] पुन बन्दोबस्त के औचित्य को तय करने का कारण (CONSIDERATION) —कोई जिला या क्षेत्र पुन बन्दोबस्त के कार्यक्रमान्तर्गत लिया जाय या नहीं, इसका निर्णय करने के लिये राज्य सरकार विचार करेगी।

(१) यह कि राजस्व में कोई विचारणीय कमीवेशी होने वाली है या नहीं,

(२) कि ऐसी वृद्धि होने की अवस्था में पुन बन्दोबस्त को स्थगित करने के संतोषप्रदायक कारण हैं कि नहीं

(३) कि वर्तमान राजस्व का निर्धारण अनुचित हो गया है या ऐसे पर्याप्त कारण वर्तमान हैं कि नहीं जिनकी वजह से भविष्य में राजस्व वृद्धि की कोई संभावना न होते हुये भी पुन बन्दोबस्त करना उचित होगा।

परन्तु शर्त यह है कि राजस्व की ऐसी वृद्धि समीचीन मानी जायेगी कि जो पुन बन्दोबस्त की कार्यवाही में किये गये समस्त खर्चा को दस वर्ष के अर्से में बेबाक करदे।

टिप्पणी —यह धारा प्रावधान करती है कि यदि राज्य सरकार उचित समझे तो किसी क्षेत्र अथवा जिले का पुन बन्दोबस्त के कार्यक्रम में ले सकता है।

[धारा १४५] भूप्रबन्धाधिकारी —धारा १०२ की उपधारा (१) के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करने पर, राज्य सरकार—

(१) जब तक कि पूर्वोक्त कार्य के लिए प्रत्येक जिले या क्षेत्र में कोई स्थायी भूप्रबन्ध अधिकारी नियत न हो जाय, धारा १०२ की उपधारा (२) में उल्लिखित कार्यवाहियों के लिए एक भूप्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति करेगी और

(२) आवश्यकतानुसार सहायक भूप्रबन्धाधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

[धारा १४६] भूप्रबन्धाधिकारी को भूलेख अधिकारी के कर्तव्यों का हस्तान्तरण —जब कभी कोई जिला अथवा कोई स्थानीय क्षेत्र भूप्रबन्ध कार्य के अधीन होगा नक्शे खसरे की व्यवस्था तथा वार्षिक रजिस्टरों के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के आदेशानुसार भूलेखाधिकारी से भूप्रबन्धाधिकारी को हस्तान्तरित किये जा सकते हैं और वह अध्याय ७ द्वारा भूलेखाधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का व्यवहार करेगा।

[धारा १४७] नियम —राजस्थान सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर राज्य सरकार, भूप्रबन्ध के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में भूप्रबन्धाधिकारी की प्रक्रिया के लिए नियम बना सकती है।

(ख) लगान की दरें—

[धारा १४८] आर्थिक सर्वेक्षण —जब कोई जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र भूप्रबन्ध के अन्तर्गत रखा जायगा, भूप्रबन्ध अधिकारी ऐसे जिले या क्षेत्र के काश्तकारों की आर्थिक अवस्था के बारे में सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सर्वेक्षण के मध्य निम्नांकित बातों का विशेषत ध्यान रखेगा—तथा

(क) वह सीमा जिस तक कोई जिला या क्षेत्र सिंचाई से लाभ नहीं उठता है और विगत भूप्रबन्ध से तत्समय तक सिंचाई की सुविधाओं में किया गया विकास यदि कोई हो,

(ख) कृषि का स्तर, और विगत भूप्रबन्ध से तत्समय तक कृषि की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल की वृद्धि या कमी

(ग) कृषि व्यय तथा कृषक एवं उसके परिवार के सम्मिलित खर्च,

(घ) बन्दोबस्त के अधीन क्षेत्र में अथवा उसके आसपास मौजूद बाजार,

(ङ) आयागमन के साधन और विगत भूप्रबन्ध के पश्चात् उनमें होने वाला विकास यदि कोई हो,

(च) जोत की लम्बाई चौड़ाई।

(छ) आसामियों की पर्णगारी का परिणाम और ग्रहण की सुविधायें—

[धारा १४९] कर निर्धारण क्षेत्र या वर्ग —(१) धारा १४८ में उल्लिखित आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ या उसके समाप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही भूप्रबन्धाधिकारी कर निर्धारण के क्षेत्र या कर निर्धारण वर्ग प्रत्येक तैसे निले और क्षेत्र में तैयार करेगा जो कि बन्दोबस्त के अधीन होगा।

(२) धारा १४८ में उल्लिखित विषयों एवं अन्य निम्नांकित विषयों के मध्य एकता बनाये रखने का भी, कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग बनाने के समय ध्यान रखा जायेगा—

(क) प्राकृतिक बाह्याकार,

(ख) जलवायु एवं वर्षा

(ग) जनसंख्या एवं श्रम की प्राप्ति

(घ) कृषि के साधन,

(ङ) बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उनकी उपज की मात्रा तथा बाजार में प्रचलित उनके भाव

(च) जोत के लिए देय लगान की दर, और

(छ) विगत भूप्रबन्ध के समय निर्मित कर निर्धारण के क्षेत्र या कर निर्धारण वर्ग, यदि कोइ हो।

[धारा १५०] मिट्टी का वर्गीकरण —धारा १४९ के अधीन बनाये गये कर निर्धारण के क्षेत्रों अथवा कर निर्धारण वर्गों में स्थित गांवों को भूप्रबन्धाधिकारी, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार मिट्टी को विभिन्न वर्गों में बांटेगा।

[धारा १५१] लगान की दरों का विकास —भूप्रबन्धाधिकारी प्रत्येक कर निर्धारण के क्षेत्र या वर्ग में, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त मिट्टी की प्रत्येक श्रेणी के उचित लगान-दरों का विकास करेगा।

[धारा १५२] लगान दरों का आधार —(१) धारा १५१ के अन्तर्गत किसी उचित एवं ठीक लगान दर के निर्धारण हेतु भूप्रबन्ध अधिकारी निम्नांकित का ध्यान रखेगा —

(क) बन्दोबस्त के तत्कालपूर्व २० वर्षों में लगान अथवा लगान की सूरत में प्राप्य अभिदेय के द्वारा प्राप्त रकम। राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा असाधारण घोषित वर्षों को इन २० वर्षों में से घटाया लिया जायेगा।

(ख) बन्दोबस्त के तत्कालपूर्व २० वर्षों में कृषि उपज के सम्बन्ध में प्रचलित औसतन भाव। ऐसे तीस वर्षों में ऐसे वर्ष शेष कर दिये जायेंगे जोकि राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति निकाल कर असाधारण घोषित कर दिये हैं,

(ग) बोई जाने वाली फसलें और उनकी उपज का परिमाण,

(घ) खण्ड (ख) में उल्लिखित औसत भाव के आधार पर ऐसी उपज का मूल्य,

(ङ) कृषि व्यय तथा कृषक एवं उसके परिवार के खर्च,

(च) प्रत्येक जोत का वह भाग जिसमें प्रति वर्ष जुताई नहीं की जाती है, जुताई छोड़ने का क्रम तथा ऐसी जुताई छोड़न की अवधि,

(छ) कर-मुक्ति, कर-स्थगन एवं कर के न्यून-संग्रह की अन्य सूचना,

(ज) विगत बन्दोबस्त की लगान दरें यदि कोई हों और उपज का अंश तथा परिगणित भाव जिन पर ऐसी दरें विकसित की गई हों, और

(झ) लगान दरें, यदि कोई हों, जोकि आसपास के क्षेत्रों में स्थित समान श्रेणी की भूमि के विषय में तय की गई हों।

(२) भूप्रबन्धाधिकारी द्वारा विकसित की जाने वाली दरें, उनसे सम्बद्ध भूमि में धारा (१) खण्ड (घ) में निर्दिष्ट उपज के प्रचलित मूल्य का अधिकतम छठवां भाग होगी।

[धारा १५३] दरों का संशोधन—भूप्रबन्धाधिकारी इस विषय में भी कि उसके द्वारा विकसित लगान दरें इस सम्पूर्ण भाग या उसके किसी निर्दिष्ट अंश या उसकी मिट्टी की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए बिना किसी संशोधन के लागू होने के योग्य है अथवा उनमें किसी सीमा तक संशोधन की आवश्यकता है प्रत्येक भाग के लिए टिप्पणी लिखेगा।

टिप्पणी—यह धारा स्पष्ट करती है कि यद्यपि लगान दरें बन्दोबस्त अधिकारी तय करता है कि किन्तु इस सम्बन्ध की अन्तिम शक्ति सरकार में ही निहित है। सरकार चाहे तो बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नियत लगान दरों को बदल सकता है।

[धारा १५४] निश्चित एवं अभिलेख्य मामले—इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी निश्चयन एवं रेकर्ड करेगा—

(क) कि कर एक किश्त में देय हो अथवा अधिक में

(ख) कर के एक से अधिक किश्तों में देय होने की अवस्था—

(१) ऐसा किश्तों का संख्या,

(२) ऐसा अंश जो प्रत्येक किश्त अदा किया जायेगा

(ग) लगान अथवा उसकी किश्त की, जैसी भी अवस्था हो अदायगी की तारीखें, और

(घ) ऐसा अन्य विषय जिसके निश्चय एवं अभिलेख किये जाने के लिए उसे ऐसे नियम निर्देशित हों।

[धारा १५५] प्रस्तावों का प्रकाशन तथा प्रस्तुतीकरण —(१) जब धारा १५४ और १५३ के अनुसार लगान दरों का निर्णय हो जाय, भूप्रबन्ध अधिकारी उस सम्बन्ध मे निर्धारित रीति से प्रस्ताव प्रकाशित करेगा और उनके साथ ऐसे आधार भी प्रकाशित करेगा जिन पर ऐसी लगान दर नियत की गई हो।

(२) तदन्तर बन्दोबस्त अधिकारी निर्धारित रीति से जन सूचना देगा तथा उस जन सूचना मे निर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रकाशित प्रस्तावों पर विरोध प्रस्तुत करने की मांग करेगा।

(३) यदि उपधारा (२) में निर्धारित समय के अन्दर कोई आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी तो बन्दोबस्त अधिकारी उन पर विचार करेगा और ऐसी रीति से जोकि वह उचित समझे, अपने प्रस्तावों म संशोधन कर सकता है।

(४) इसके पश्चात भूप्रबन्ध अधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियां एवं उन पर जारी किये गये आदेशों सहित अपने सुझाव भूप्रबन्ध आयुक्त को प्रस्तुत करेगा।

[धारा १५६] प्रस्तावों की स्वीकृति —धारा १४५ के अधीन प्राप्त किये गये प्रस्तावों का सेटिलमेन्ट कमिश्नर अनुशीलन करेगा और उनमें विहित विषयों में ऐसी पूछताछ करेगा जोकि वह आवश्यक समझे—

(२) तदन्तर वह अपने रिमार्क तथा सुझावों के साथ उन प्रस्तावों को बोर्ड के पास प्रस्तुत करेगा।

(३) उपधारा (२) के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्तावों की प्राप्ति पर बोर्ड उनम निहित किसी भी मामले म और जाच कर सकता है।

(४) ऐसी और जाच के पश्चात यदि कोई हो, जो कि उपधारा (३) म उल्लिखित है। बोर्ड ऐसे प्रस्तावों म संशोधन किये बिना ही अथवा लिखित म कारणों के लिखे जाने पर प्रस्तावित कर निर्धारण क्षेत्र या वर्ग म या मिट्टी की श्रेणियां तथा लगान दरों में ऐसा परिष्कार करते हुये, जो वह उचित समझे, उन प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भेजेगा।

(५) राज्य सरकार—

(१) बोर्ड द्वारा भेजे गये प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है या

(२) निर्देश दे सकता है कि कोई उचित जाच की जाय, या

(३) बोर्ड को पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव लौटा दे, या

(४) ऐसे परिष्कारों के उपरान्त जो वह उचित समझे, प्रस्ताव स्वीकार करे और इस प्रकार स्वीकृत लगान दरें 'स्वीकृत लगान दरें' कहलायेंगी।

(ग) लगान का निरूपण

[धारा १५७] लगान का निर्धारण —स्वीकृत लगान दरों के आधार पर भूप्रबन्ध अधिकारी देय लगान का निर्धारण करेगा जो तत्समय वर्तमान लगान को कम करने बढ़ाने, उसम परिवर्तन करने अथवा अन्य किसी रूप से पूर्ण करेगा। बन्दोबस्त के अधीन क्षेत्र अथवा प्रत्येक जिले के लिये ऐसा निर्धारण किया जायेगा।

जोत एवं बोये जाने वाले क्षेत्र का, सूखी जोती जाने वाली एवं प्रतिवर्ष वाली छोड़ी जाने वाली भूमि का ध्यान रखा जायेगा और ऐसा लगान चाही सूखी और भूमि के लिये ग्रहण की गई स्वीकृत दरों के अनुसार गत पांच वर्षों में चाही, सूखी या ऊसर जोतों के क्षेत्र के सिलसिले में निर्धारित लगान के पूर्णांश के रूप में होगा।

(२) ऐसी किसी साभिप्राय सूखी जोती गई अथवा बंजर छोड़ी गई जमीन पर उपधारा (१) की कोई भी बात, लागू नहीं होगी जो कि इस प्रकार सही लगान के निर्धारण से बचने के लिए छोड़ी गई होगी और ऐसा क्षेत्र लगान निर्धारण के बारे में चाही के रूप में जोता गया समझा जायगा।

[धारा १६४] पर्चों का निर्माण तथा वितरण—(१) उपरोक्त रीति से लगान के निर्धारण के पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी बन्दोबस्त के अधीन किसी जिले या क्षेत्र की जोतों के लिये लगान निर्धारण के पर्चे तैयार करवायेगा।

(२) किसी जोत के लगान निर्धारण पर्चे में निम्नांकित विवरण होंगे—

(क) जोत की अवस्था,

(ख) उसके प्रत्येक खेत का खसरा नम्बर और उसका क्षेत्रफल,

(ग) जोत में अन्तर्निहित प्रत्येक खेत की मिट्टी का वर्गीकरण,

(घ) मिट्टी की श्रेणियों के लिये पृथक् पृथक् लगान दरें,

(ङ) ऐसी जोत की मिट्टी की ऐसी श्रेणी के लिए धारा १८० के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान,

(च) धारा १८६ के अन्तर्गत छूट दिये गये कोई विन्यास, यदि हो, और

(छ) प्रत्येक जोत के लिये निर्धारित लगान की कुल जोड़ और धारा १६१ और १६२ के अन्तर्गत दिये गये तत्सम्बन्धि समाधान अथवा आदेश।

(३) इस प्रकार निर्मित पर्चा नियत प्रणाली से सम्बन्धित आसामी को भेजा जायेगा तथा उसकी एक नक्ल भूमिधारी को, यदि कोई हो भेजी जायेगी।

(४) उपधारा (२) में और उसके अधीन निर्धारित प्रणाली से सभी लगान निर्धारण पर्चे बांट दिये जाय तब बन्दोबस्त अधिकारी तत्सम्बन्धी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिये जनसूचना प्रकाशित करेगा।

[धारा १६५] पैदावारी लगान की वसूली पर अन्तरिम अवरोध—(१) यदि किसी वक्त कृषि वर्ष आरम्भ होने के उपरान्त किसी जिले क्षेत्र के सम्बन्ध में धारा १६४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लगान निर्धारण के पर्चे बांटे जाने की सम्भावना हो और बन्दोबस्त अधिकारी इससे सन्तुष्ट हो कि भूमाधारियों एवं कृषकों के बीच में तनावपूर्ण मामले के कारण अथवा अन्य किसी कारण ऐसे जिले या क्षेत्र में

फसल की पैदावारी के आधार पर वसूल किये जाने वाले लगान पर अवरोध लगाना उचित होगा तो वह इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सिफारिश करेगा।

(२) बन्दोबस्त आयुक्त बन्दोबस्त अधिकारी की ऐसी सिफारिश राज्य सरकार को अपनी ऐसी टिप्पणी के साथ भेजेगा जो वह उचित समझे।

(३) राज्य सरकार, यदि उचित समझेगी, इस सिफारिश को स्वीकार कर तत्सम्बन्धी आज्ञा दे सकती है।

(४) उपधारा (३) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया राज्य सरकार या किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में पैदावार के आधार पर किये जाने वाले लगान की वसूली पर अवरोध लगाने वाला आदेश निर्धारित प्रणाली से प्रकाशित किया जायेगा और उसमें निर्देशित होगा—

(क) कि उस फसली वर्ष के प्रारम्भ से, ऐसे जिले या हल्के में कोई भी भूमिधारी लगान पैदावार के आधार पर वसूल नहीं करेगा और

(ख) कि धारा १६६ के अन्तर्गत विचाराधीन नकदी लगान के निर्णित होने तक, ऐसे जिले या क्षेत्र में भूमिधारी प्रत्येक जोत के लिये फसली लगान की अपेक्षा ऐसा नकदी लगान वसूल करे कि जो लगान निर्धारण के पर्चे में उस सम्बन्ध में निर्धारित मात्रा लगान के रूप में उल्लिखित किया गया हो

परन्तु शर्त यह है कि इस भांति वसूल किये जाने वाला नगदी लगान धारा १६६ के अन्तर्गत निर्णित किये जाने वाला नगदी लगान के पेटे समायोजित किया जायेगा।

(५) पैदावारी लगान की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धि आज्ञा तभी निकाले जायेंगे जब आदेश वाले वर्ष में खरीफ की फसल का किराया वसूल नहीं किया गया हो।

[धारा १६६] आपत्तियों की सुनवाई तथा लगान का निर्धारण—यदि धारा १६४ की उपधारा (४) के अन्तर्गत प्रकाशित घोषणा के पश्चात् तीस दिन की अवधि के अन्दर यदि कृषक अथवा भूमिधारी आपत्ति प्रस्तुत कर तो भूप्रबन्ध अधिकारी इसकी सुनवाई करने के उपरान्त कानून के अनुसार उसका निपटारा करेगा तथा अपने आदेश का अभिलेखन करने के बाद जोत का लगान तय करेगा।

[धारा १६७] लगान किस दिनांक से देय होगा;—धारा १६५ के प्रावधानों व धारा १६६ के भूप्रबन्ध अधिकारी के आदेश द्वारा निर्धारित लगान, बन्दोबस्त की अवधि चालू होने की तारीख से ही देय होगा किन्तु शर्त यह है कि ऐसे कारणों के

आधार पर, जो लेखबद्ध किये जायेंगे और जिन्हें बन्दोबस्त अधिकारी उचित समझते हुए यह आदेश दे कि ऐसा लगान किसी पूर्व की तारीख से ही प्रभावशील हो जायगा।

[धारा १६८] नियत लगान को अस्वीकृत करने का कृषक को विकल्प प्राप्त होगा,—जिस काश्तकार की जोत का लगान बन्दोबस्त अधिकारी ने धारा १६७ के अन्तर्गत तय किया हो, ऐसे आदेश के प्रकाशित होने के तीस दिन के अन्दर निर्धारित लगान की अस्वीकृति लिखित में दे सकता है।

[धारा १६९] अस्वीकृति का प्रतिफल —(१) निर्धारित लगान की अस्वीकृति पर कृषक उस जोत को खाली कर देगा।

(२) जोत को खाली न करने पर वह अतिक्रामक समझा जायेगा और वह उस जोत से राजस्थान टिनेंसी अधिनियम, १९५५ की धारा १८३ के प्रावधानों के अनुसार बेदखल किये जाने योग्य होगा।

टिप्पणी—यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि कृषक को निर्धारित लगान स्वीकार नहीं होगा तो उसे वह जोत खाली करनी पड़ेगी और तहसीलदार उसे बेदखल कर सकेगा।

[धारा १७०] जोत का अन्य व्यक्ति को दिया जाना,—धारा १६९ के अन्तर्गत जोत के खाली होने पर या जोत से बेदखल किये जाने पर वह किसी अन्य व्यक्ति के लिये सुलभ हो सकेगी और उसको कानून के अनुसार कृषक बनाने के लिए योग्य व्यक्ति को दिया भी जा सकेगा।

[धारा १७१] स्वीकृति के उपरान्त जोता —यदि धारा १६८ के प्रावधानों के अनुसार कृषक लगान स्वीकार करने से इन्कार न करे तो धारा १६६ के अन्तर्गत उसके द्वारा लगान का स्वीकार किया जाना परिकल्पित किया जायेगा और वह धारा १६७ के अनुसार उसकी अदायगी किये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

[धारा १७२] बन्दोबस्त की अवधि के भीतर लगान नहीं बदलेगा — धारा १६६ के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा किसी जोत के लिये तय किया गया लगान, धारा १७५ के अन्तर्गत तय किये गये बन्दोबस्त के कार्यकाल के बीच परिवर्तित नहीं किया जायेगा सिवाय ऐसी दशा के जब कि इस अधिनियम या राजस्थान टीनैन्सी अधिनियम, १९५५ के प्रावधानों द्वारा यह अपेक्षित हो।

[धारा १७३] ग्राम के दस्तूर का निर्माण—(१) बन्दोबस्त के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए एक उचित ग्राम दस्तूर का निर्माण करवायेगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी प्रत्येक ऐसे ग्राम दस्तूर में तय करेगा और उल्लिखित करेगा—

(क) सम्बन्धित गांव में प्रचलित प्रथा,

(१) वहां के निवासियों के अथवा गांव की सम्मिलित जमीनों में से जोत धारण करने वालों के और उसकी उपज तथा गांव की स्थिति के सम्बन्ध में, और

(२) सिंचाई के हेतु पानी के लिये अधिकारों तथा अन्य प्रयोजनों के सम्बन्ध में, और

(ख) बन्दोबस्त प्रशासन से सम्बद्ध कोई अधिकार, रिवाज या अन्य बात जिसका स्पष्ट किया जाना एवं 'ग्राम-दस्तूर' में प्रविष्ट किया जाना, इस अधिनियम के अन्तर्गत या अन्यथा रूप से राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

(३) जब ग्राम-दस्तूर तैयार हो जाय, तब सम्बन्धित गांव के निवासियों के सामने उसके पढ़े जाने की कोई तारीख बन्दोबस्त अधिकारी तय करेगा और निर्धारित रीति से ऐसी तारीख के कम से कम सात दिन पूर्व वह उस बारे में जन-सूचना प्रकाशित करेगा।

(४) उपधारा ३ के अधीन नियत किये गये दिन तथा समय पर उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाई गई दस्तूर गावाई को एकत्र ग्राम निवासियों के सामने बन्दोबस्त अधिकारी पढ़ेगा या उसे पढ़वायेगा।

(५) यदि उपधारा ४ के अधीन दस्तूर गावाई के पढ़े जाने के समय कोई व्यक्ति उसके किसी प्रविष्ट के सम्बन्ध में आपत्ति उठाये तो बन्दोबस्त अधिकारी उसे लेखबद्ध करेगा तथा उस आपत्ति पर अपना निर्णय देगा जो कि अन्तिम होगा।

[धारा १७४] बन्दोबस्त की प्रविष्टियों की परिकल्पना—धारा १७३ के अन्तर्गत निर्मित दस्तूर गावाई की प्रविष्टियां तब तक सत्य परिकल्पित की जायगी जब तक कि विपरीत सिद्ध न कर दी जाय।

(घ) बन्दोबस्त की अवधि

[धारा १७५] बन्दोबस्त की अवधि—इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रत्येक बन्दोबस्त की अवधि २० वर्ष की होगी।

परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकार भूमि पर अधिपति जातियों के भार, कृषि योग्य भूमि के विस्तार तथा लगान की पूर्णता का ध्यान में रखते हुए ऐसी अवधि बीस वर्ष से अधिक बढ़ा सकती है

एक शर्त और भी है कि लेखबद्ध किये जाने योग्य विशेष कारणों से भूमि की गहरी क्षति, सम्पत्ति की गम्भीर गोपनीयता अथवा कृषि के अभिप्राय एवं अधिक मात्रा में भूमि के बाहर फेंकने आदि किन्हीं अन्य पर्याप्त कारणों की अवस्था में अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार बन्दोबस्त की बीस वर्ष से कम कोई अवधि स्वीकार कर सकती है।

[धारा १७५क] बन्दोबस्त की अवधि की शुरुआत —प्रत्येक बन्दोबस्त की अवधि इस कानून के अन्तर्गत उस दिवस से चालू होगा जिस दिन से राज्य सरकार सरकारी गजट में, नोटीफिकेशन के द्वारा नियत करे।

टिप्पणी —राजस्थान अधिनियम २ आफ १९५८ के खण्ड ८ की प्रथम सूचि के अनुसार जो राजस्थान गजट खण्ड ४-क विशेषांक दिनांक १३ १ १९५८ द्वारा प्रकाशित हुआ, सम्मिलित की गई।]

[धारा १७६] बन्दोबस्त की पूर्व समाप्ति —(१) धारा १७५ में अन्तर्निहित किसी भी बात के होते हुये भी जब राज्य सरकार सन्तुष्ट हो जाय कि उस धारा के अधीन बन्दोबस्त के लिए रखी या तय की गई मयाद के पहले ही मूल्यों में तात्विक एवं विचारनीय कमी होने के कारण या उस क्षेत्र की स्वीकृत लगान दरों तथा उनसे संयुक्त क्षेत्र का ऐसी हा दरों के बीच कोई विशेष अन्तर होने के कारण अथवा और जाच से स्वीकृत लगान दरें अत्यधिक ज्यादा ज्ञात होने के कारण अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण से उसकी समाप्ति करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर वर्तमान बन्दोबस्त को समाप्त करने तथा तत्सम्बन्धी क्षेत्र को पुनः बन्दोबस्त के अधीन लेने का विचार प्रकट कर सकती।

(२) इस प्रकार की घोषणा से संलग्न अथवा उसके तत्काल पश्चात् एक ऐसी ही विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार ऐसी अवधि की समाप्ति की घोषणा कर सकती है और सम्बद्ध जिले या क्षेत्र के पुनः बन्दोबस्त में लिए जाने का आदेश दे सकती है तथा इस अध्याय के प्रावधान इस भांति प्रभावित होंगे मानों ऐसा जिला या क्षेत्र बन्दोबस्त की कार्यवाही के अधीन हो।

(३) [x x x x]

(४) [x x x x]

[ ] टिप्पणी —[(३) और (४) उप धारा दिनांक ३१ १२ ५६ के विशेषांक गजट में छपे राजस्थान अधिनियम संख्या ४४ आफ १९५६ के सेक्शन २ के अनुसार लोपित करदी गई।]

[धारा १७६क] बन्दोबस्त करने के दौरान में अन्तरिम सहायता —(१) जब कभी किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को धारा १८० की उपधारा १ अथवा धारा १७६ की उपधारा ( ) के अन्तर्गत पुनः बन्दोबस्त के अन्तर्गत लिए जाने के आदेश

दिए जावें, राज्य सरकार वहां के कृषकों को ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, अन्तरिम सहायता पहुँचाने के अर्थ से आज्ञा दे सकती है।

(२) जब किसी जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र को धारा १७८ की उपधारा (२) के अनुसार पुनः बन्दोबस्त कराने के लिए आदेश दिया जावे राज्य सरकार अपनी इच्छा से यह भी आज्ञा दे सकती है कि बन्दोबस्त अधिकारी को धारा १७८ के अन्तर्गत इकोनोमिक सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं होगा।

टिप्पणी—[धारा १७६ (१) (२) राजस्थान अधिनियम संख्या ४४ सन् १९५६ के अनुसार संशोधन ३ द्वारा जो राजस्थान गजट विशेषांक ४क दिनांक ३१.१२.५६ के अनुसार सम्मिलित की गई।]

[धारा १७७] समाप्त किये गये बन्दोबस्त के अन्तर्गत भूमि का नये बन्दोबस्त तक स्वरूप —धारा १७८अ की उपधारा (१) के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि को धारण करने वाले सभी व्यक्ति बन्दोबस्त की अवधि की समाप्ति अथवा गुणान्त के समय, उस बन्दोबस्त की शर्तों के अनुसार ही नये बन्दोबस्त के किए जाने तक उसी भूमि का धारण करेंगे।

टिप्पणी—राजस्थान एक्ट संख्या ४४, १९५६ के सेक्शन ४ के द्वारा जो राजस्थान गजट के खण्ड ४ अ विशेषांक, दिनांक ३१.१२.१९५६, को प्रकाशित हुआ सम्मिलित किया गया।

(ड) मध्यवर्ती पुनर्गोचन

[धारा १७८] अल्पकालीन बन्दोबस्त —जब धारा १७५ के द्वितीय अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए नियत की गई बन्दोबस्त की अवधि बन्दोबस्त के अधीन पूरे जिले या सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में नियत की गई अवधि से कम हो और ऐसी अवधि समाप्त हो जाय तो कलक्टर अथवा किसी जिले जहां कि स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया हो, ऐसा बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार कर निर्धारण करेगा।

[धारा १७९] प्रवाह से हुए भू क्षय और कछार भूमि के बन्दोबस्त पर निर्धारण का पुनर्गोचन —(१) जोत में सम्मिलित होने वाली कछार भूमि का, इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अधीन कलक्टर या स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी, लगान निर्धारण करेगा।

( ) पानी के प्रवाह के कारण या अन्य रूप में कट कर, जब किसी जोत का कृषि योग्य खण्ड कम हो जाय तो कलक्टर या कोई स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी कर निर्धारण का पुनर्गोचन करेगा।

(३) स्थायी भूमि बन्दोबस्त अधिकारी या कलक्टर, जैसी भी अवस्था हो, की राय में किसी जोत या भूमि का मूल्य उसकी कृषि से गैर कारत के कामों में अथवा गैर कारत से कारत के कामों में उस समय से लिए जाने पर जब कि वह पिछली बार निर्धारित की गई थी तो कर निर्धारण का पुनर्गोचन किया जाकर इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार ऐसी जमीन के परिवर्तित मूल्य के प्रसंगानुसार उसका किराया कलक्टर अथवा स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा नियत किया जायगा।

(४) उपरोक्त उपधाराओं के अधीन किये गये पुनरावलोकन तब तक अन्तिम नहीं होंगे जब तक कि बन्दोबस्त आयुक्त उन्हें स्वीकार न करले।

[धारा १८०] सरकार का अतिरिक्त शहरी कर वसूल करने का अधिकार — इस अधिनियम में समाहित किसी भी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी भी वक्त सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आदेश दे सकता है कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में विकसित या शहरी भूमि इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार लगान के अतिरिक्त एक विशेष नागरिक कर देने के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) विविध

[धारा १८१] बन्दोबस्त के कार्य की समाप्ति के समय बन्दोबस्त अधिकारी के पास विचाराधीन प्रार्थना-पत्र एवं कार्यवाहियाँ — जब धारा १८ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर किसी क्षेत्र में बन्दोबस्त को बन्द कर दिया जाय तो उस समय बन्दोबस्त अधिकारी के विचाराधीन समस्त प्रार्थना पत्र कार्यवाहियां, जब तक कि कोई स्थायी बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया जा सके कलक्टर को भेज दी जायगी जो उनको निर्णय करने के सिलसिले में बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकारों को काम में ला सकेगा।

[धारा १८२] भूल चूक का संशोधन — स्वप्रेरणा अथवा अन्यथा प्रणाली से बन्दोबस्त अधिकारी किसी भूल चूक का संशोधन कर सकता है जो कि—

(क) कर निर्धारण के क्षेत्र या कर निर्धारण के वर्ग बनाने में, मिट्टी के वर्गीकरण में और लगान दरों के विकास में धारा १५६ की उपधारा (४) के अधीन तत्समय उसके प्रस्तावों की स्वीकृति के पूर्व किसी भी स्तर पर पाई जाय, और

(ख) जोतों के लगान निर्धारण में धारा १६६ के अधीन उसे लगानों के निश्चित किये जाने के पूर्व किसी भी स्तर पर पाई जाय।

[धारा १८३] स्वीकृत लगान दरों पर पुनर्विचार —(१) इस अध्याय में अथवा किसी विधान नियम, आज्ञा या प्रपत्र में जो कि अभी प्रभावशील हो किसी भी बात के रहते हुये और किसी प्रतिकूल प्रथा सामाजिक रिवाज या रीति के होते हुये भी राज्य सरकार यदि उसे धारा १७७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत बन्दोबस्त के कार्य को बन्द करने की विज्ञप्ति जारी करने के पूर्व यह संतोष हो जाय कि उसके द्वारा धारा १५६ की उपधारा (४) के अधीन स्वीकृत की गई लगान दरों में किसी भूल चूक के मालूम होने के कारण कि जो

(क) कर निर्धारण क्षेत्र या कर निर्धारण-वर्ग के निर्माण में, रही या

(ख) मिट्टी के वर्गीकरण में रही, या

(ग) मिट्टी के किसी वर्ग के निर्मित लगान दर के अन्तर्विकास में रही,

संशोधन करना आवश्यक है तो आदेश दे सकती है कि ऐसी लगान-स्वीकृत दरों का बन्दोबस्त अधिकारी पुनर्वाचन करे।

(२) तत्पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी अपने निजि परिष्कृत प्रस्ताव निर्धारित प्रणाली से बनायेगा और धारा १४८ एवं १४९ के प्रावधान उसके सम्बन्ध में प्रभावशील होंगे।

टिप्पणी —यह धारा स्पष्ट करती है कि यदि लगान निर्धारण में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं हो और बन्दोबस्त की सम्पत्ति के पूर्व कोई त्रुटि मालूम हो जाय तो राज्य सरकार शीघ्र ही परिष्कृत लगान दरों को लागू करने का आदेश दे सकती है।

अध्याय ९

सम्पत्तियों का विभाजन

[धारा १८४] विभाजन —विभाजन या बटवारे से प्रयोजन किसी विभाजन योग्य सम्पत्ति को एक से दो अथवा अधिक भागों में बांटने से है और प्रत्येक में एक अथवा अधिक हिस्से हो सकते हैं।

[धारा १८५] विभाजनीय सम्पत्तियाँ —सम्पूर्ण सम्पत्तियां अविभाज्य व विभाजित की जायेंगी किन्तु शर्त यह है कि उनका विभाजन होना प्रथा अथवा अन्य रूप से निषिद्ध न कर दिया जाय।

[धारा १८६] व्यक्ति जो कि विभाजन के अधिकारी होंगे — (१) विभाज्य सम्पत्ति का प्रत्येक हिस्सेदार ऐसी सम्पत्ति से अपने हिस्से का विभाजन मांग सकता है।

(२) ऐसे वाद में कई हिस्सेदार सम्मिलित हो सकते हैं।

[धारा १८७] विभाजन का आवेदन पत्र —विभाजन के आवेदनपत्र में निर्धारित विवरण होंगे तथा उसके साथ भूमिधारियों के वार्षिक रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि और ऐसे अन्य प्रपत्र जिन पर कि विभाजन का अधिकार निर्भर है साथ में पेश किये जायेंगे और वे उस सम्पत्ति के हिस्सेदार के रूप में अभिलिखित व्यक्तियों में से किसी एक या दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रस्तुत किये जा सकेंगे

परन्तु शर्त यह है कि जब कभी कोई हिस्सा नाबालिग महीला के अधिपत्य में होगा विभाजन का कोई भी आवेदनपत्र चाहे वह बालक कर्त्ता द्वारा पेश किया जाय अथवा बालकमहीला द्वारा तब तक नहीं सुना जायेगा जब तक दोनों ने सम्मिलित आवेदनपत्र न दे दिया हो या उनमें से किसी एक को विरोधी पक्ष न बनाया गया हो।

[धारा १८८] प्रार्थना पत्र कैसे प्रस्तुत हो —धारा १८७ के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाजन का आवेदन पत्र उस जिले के कलक्टर को प्रस्तुत किया जायगा जिसमें कि प्रस्तावित विभाजन से सम्बद्ध सम्पत्ति स्थित हो।

किन्तु शर्त यह है कि कलक्टर ऐसे किसी प्रार्थनापत्र को सुनवाई एवं निपटारे के लिये किसी सब डिविजनल अधिकारी अथवा सहायक कलक्टर को जो कि उसके

अधीनस्थ हो और उतना ही उससे आवेदन पत्र की सुनवाई एवं विनियोग के सम्बन्ध में शक्ति सम्पन्न हो, भेज देगा।

[धारा १८९] विभिन्न जिलों में अवस्थित सम्पत्तियों का बटवारा — जब कोई सम्पत्ति दो या दो से अधिक जिलों में अवस्थित हो तो किसी एक जिले में राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार विभाजन किया जायेगा।

[धारा १९०] मामलों का एकीकरण — जहां किसी एक ही सम्पत्ति के विभाजन के लिए विभिन्न अधिकारी पृथक पृथक वाद प्रस्तुत करें तो तजवीज के लिए उन सबका एकीकरण कर लिया जायगा तथा उन्हें एक ही वाद मानते हुये एक ही निर्णय से निर्णीत कर दिया जायगा।

[धारा १९१] सम्पत्ति के विभाजन को रोकने की शक्ति —(१) यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अथवा विवरण के किसी अन्य स्तर पर कोई पर्याप्त कारण सम्पत्ति के बटवारे की अस्वीकृति के लिए अथवा बटवारे को स्थगित करने के लिए प्रतीत हो तो कलक्टर सब-डिविजनल अधिकारी या सहायक कलक्टर जिसके पास एस प्रार्थना पत्र पेश किये गये हों या ऐसे प्रार्थनापत्र विचाराधीन हों विभाजन को स्थगित कर सकता है और तत्सम्बन्धी कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।

(२) कोई भी सम्पत्ति ऐसी रीति से विभाजित नहीं की जायेगा कि निधारित किये गये क्षेत्र से कम क्षेत्रफल वाली कोई एक या एक से अधिक सम्पत्ति उससे प्राप्त हो।

[धारा १९२] विभाजन के आवेदनपत्र की घोषणा — जब विभाजन के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाय तब यदि वे विधि सगत हुये और प्रत्यक्ष रूप में उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं हुई या धारा १९१ के अधीन अस्वीकृत अथवा दायरी से मना नहीं किये गये हों, कलक्टर इस सम्बन्ध में एक घोषणा निकालते हुये विभाज्य सम्पत्ति के भागीदार के रूप में अभिलिखित ऐसे व्यक्तियों को जो उन आवेदन पत्रों में सम्मिलित नहीं हुये होंगे अपने मामले व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि द्वारा किसी ऐसे दिन पर जो घोषणा की तारीख ३० दिन पूर्व या ६० दिन पश्चात् नहीं होंगे उपस्थित होकर और विभाजन के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां यदि कोई हों रखने का आमन्त्रण दे सकता है। घोषणा की प्रतिलिपि तहसीलदार को प्रेषित की जायेगी।

[धारा १९३] टाइटल के सम्बन्ध में आपत्ति —(१) यदि उक्त निश्चित दिन को अथवा उससे पूर्व किसी अभिलिखित हिस्सेदार द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाय और उसमें स्वामित्व के टाइटल का विवाद उठाया गया हो जो कि उस समय तक किसी सक्षम अधिक्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा निर्णीत न हुआ हो तो कलक्टर —

(क) आवेदनपत्र को स्वीकार करने में उदासीनता दिखा सकता है जब तक कि विवादास्पद प्रश्न सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत न होय, अथवा

(ख) किसी भी पक्षकार से आग्रह कर सकता है कि वह तीन मास की अवधि के भीतर किसी दीवानी न्यायालय में प्रश्न के निर्णय हेतु दावा प्रस्तुत कर, या

(ग) साधारण तौर पर ऐसे प्रश्न के मूल्यांकन के लिए पूछताछ करने की कार्यवाही करे।

(२) जब उपधारा (१) खण्ड (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही स्थगित करदी जाय और यदि वह पक्षकार आग्रह के अनुसार कार्य करने में असफल रहे तो कलक्टर उस प्रश्न को उसके विरुद्ध निर्णीत करेगा। यदि वह दावा दायर करता है तो कलक्टर दीवानी न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य सम्पादन करेगा।

(३) जब कलक्टर आपत्ति के तथ्यों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने की सोचे तो वह मूल अभियोग के निराकरण के सम्बन्ध में दीवानी प्रक्रिया संग्रह, १९०८ (केन्द्रीय एक्ट संख्या ५, सन् १९०८) में प्रावहित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित सभी डिक्रियाँ दीवानी अदालत की डिक्रियां मानी जायेंगी और उनकी अपील जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट में जैसी भी अवस्था हो, उन न्यायालयों की अपील के नियमों के अनुसार, दायर की जा सकती है।

[धारा १९४] अपील के निर्णय तक विभाजन पर रोक —अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय, अपील का निर्णय होने तक, कलक्टर को विभाजन को स्थगित रखने का निर्देश करते हुए एक विधि जारी कर सकता है। ऐसी अपील धारा १९१ (१) (ख) के अधीन किसी दीवानी न्यायालय के चाहे विरुद्ध हो या धारा १९१ के अन्तर्गत कलक्टर की अदालत के विरुद्ध हो।

[धारा १९५] विभाजन की पूर्णता के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की —(१) आवेदन पत्र के किसी भी स्तर पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हुए कलक्टर सम्पूर्ण सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है और विभाजन की समाप्ति होने तक सीधे अपने प्रबन्ध में रख सकता है।

(२) इस प्रकार की कुर्की के समय सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली रकम राजस्व के चुकारे में और व्यवस्था खर्च में और संग्रहीत रकम का दस प्रतिशत संग्रह शुल्क के लिये पहले दी जावेगी और तब वर्तमान सम्पत्ति या उसके किसी अंश पर मौजूदा भार स्वरूप किसी अन्य परिव्यय के चुकारे के लिए दी जायगी और अवशेष यदि कोई हो, उस भूमि में हिस्से रखने वाले जागीरदारों को उनके हिस्से को अनुपात से इस प्रकार बांट दी जायगी जैसे कि साधारणतः लाभ विभाजित किया जाता है।

[धारा १९६] वतनीत की प्रणाली —(१) कलक्टर पटवारी को निर्देश देगा कि—

(क) वह सम्पत्ति के मानचित्र पर किसी विशिष्ट रंग से विभाज्य विशेष क्षेत्र पर चिह्न लगावे,

(ग) वह इस सम्बन्ध में मिट्टी का विशेष वर्गीकरण बनाये,

(ग) वह विभाजन को पूर्ण करने के लिये अपने रास्ते और नालियों और अन्य विवरण के आवश्यक सारांश तैयार करे।

(घ) सुखभाग के रूप में धारण किये गये भूखण्डों कमी यदि कोई हो, वह एक सूची तैयार करे।

(ङ) वह उप धारकों की, यदि कोई हो, एक सूचि बनाये,

(च) वह विभाज्य भूखण्डों के मूल्यांकन हेतु कोई प्रणाली बनाये,

(छ) वह स्वामित्व तथा मूल्य सम्बन्धि समग्र विवरण दे कर पेड़ों की एक सूची तैयार कर,

(न) वनभूमि की आय अथवा अन्य साधनों को शामिल कर विवरण प्रस्तुत कर, और

(म) वह पक्के कुओं की एक सूचि यह दिखाते हुए कि वे कहां अवस्थित हैं, किन खेतों को सींचते हैं और किनके खर्चा से बनाये गये हैं तैयार करे।

(२) उपरोक्त काम को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए यदि कलक्टर उचित समझे, पटवारी के नीचे एक अस्थायी सहायक नियुक्त कर सकता है। ऐसे अस्थायी सहायक का व्यय प्रारम्भ वादी द्वारा दिया जायेगा। और तत्पश्चात् वाद-परिव्यय में सम्मलित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी—इस धारा से यह स्पष्ट होता है कि विभाजन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कलक्टर पटवारी को कतिपय आदेश देगा।

[धारा १९७] सिद्धान्त के निर्धारण व मूल्याकन की शर्तें—(१) राज्य सरकार द्वारा विनिर्मित नियमों के अधीन, इस सम्बन्ध में विभाजन करने हेतु सम्पत्ति में शामिल भूमियों के समस्त वर्गों के मूल्यांकन की शर्तें एवं साधारण सिद्धान्त के निर्धारण की कार्यवाही, कलक्टर इस विचार से करेगा कि उसमें निहित विभिन्न भूखण्डों का पारस्परिक मूल्य का अनुमान न्याय सम्मत हो। ऐसे मूल्य की भिन्नता केवल भूखण्डों के क्षेत्रफल के कारण ही न होकर मिट्टी के वर्ग सिंचाई की सुविधाओं, उसके भूप्रबन्ध की प्रगति उसके काश्तकारों की व्यक्तिगत विशेषताओं और मूल्य पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारणों के आधार पर होगी।

(२) मूल्यांकन की शर्तें तथा सामान्य सिद्धान्तों के निश्चित होने पर पटवारी उसके अनुसार प्रत्येक भूखण्ड के मूल्य का आंकड़ा बनायेगा।

[धारा १९८] विभाजन के लिये प्राथमिक आदेश—(१) कलक्टर यदि वह उसे या उससे पूर्ववर्ती किसी स्थिति पर आवेदनपत्र को खण्डित न कर तो धारा १९६ द्वारा नियत पृच्छताछ करने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में विभाजन के प्रत्येक अधिकारी के हिस्से की प्रकृति और मात्रा की घोषणा कर सम्पत्ति, जितनी अंशों में विभाजित होगी उनकी संख्या निर्दिष्ट करते हुये और प्रत्येक अंश की मात्रा बनाते हुए एवं ऐसे विभाजन

के विषय में उठाये गये विवादग्रस्त प्रश्नों को तय करते हुए और उस प्रणाली का जिसमे विभाजन किया जायेगा, विवरण देते हुये, एक प्रारम्भिक आदेश निकालेगा।

(२) कलक्टर किसी ऐसे आदेश द्वारा निर्देश कर सकता है कि किन्हीं दो या अधिक दावेदारों के अंश, यदि वे सहमत हो, विभाजन के अर्थ के लिये संयुक्त कर दिये जाय और उनके संयुक्त हिस्से के मूल्य के अनुपात में एक अन्य अंश सम्पूर्ण सम्पत्ति से विलग कर दिया जाय और ऐसी स्थिति में नवीनकृत सम्पत्ति में ऐसे हिस्सेदारों के पृथक पृथक अधिकारों के सम्बन्ध में उसी समय घोषणा करदी जायगी।

[धारा १९९] विभाजन कौन करेगा —विभाजन के प्राथमिक आदेश प्रकाशित होने पर कलक्टर विभाजन से सम्बन्धित पक्षों को विभाजन करने की आज्ञा देगा अथवा इस हेतु ऐसे कार्य के पंच नियुक्त करने की राय देगा।

[धारा २००] संविदा-सम्मत विभाजन'—यदि पक्षीक आपस में ही विभाजन करना स्वीकार करें तो—

(क) एक दिनांक नियत किया जायेगा और उस दिनाक तक विभाजन पूर्ण किया जायेगा।

(ख) सम्बद्ध अभिलेख की ऐसी प्रतिलिपिया जो वे चाहें उन्हें मुफ्त दी जायेंगी

(ग) पटवारी को यह निर्देश दिया जायगा कि वह उनको प्राथमिक आदेश के अनुसार विभाजन करने में और विभिन्न हिस्सों के सम्बन्ध में कलक्टर के सामने पेश किये जाने योग्य अभिलेख तैयार किये जाने मे आवश्यक सहयोग दे।

(घ) वे नियत तारीख पर उपस्थित होंगे और उपयुक्त भाति तैयार किये गये हिस्से के अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ जायदाद का नक्शा भी होगा इस नक्शे मे ऐसे अनेक हिस्सो को पृथक पृथक रंगों में दिखाया जायेगा जो अनेक हिस्सों मे प्रदर्शित किये गये हों।

(ङ) कलक्टर ऐसे सभी हिस्सों पर अपनी उपस्थिति मे सभी पक्षों अथवा उनके सम्बन्ध में यथाविधि स्वीकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर करा लेगा और

(च) खण्ड (ङ) के अन्तर्गत कार्य के पूर्ण होने पर वे हिस्से स्वीकार किये जायेंगे किन्तु शर्त यह है कि वे कानून के प्रावधानों के एवं प्रारम्भिक आदेश के अनुकूल हो।

[धारा २०१] पंचों द्वारा विभाजन —(१) विभाजन करने के लिये यदि पक्ष पंच नियुक्त करने पर तुले हुये हों और पंच नियुक्त कर तो भी कलक्टर को विभाजन को उन्हें पंच निर्णय हेतु सौंप देगा।

(२) आर्बिट्रेशन एक्ट १९४० (केन्द्रीय एक्ट संख्या १०, सन् १९४०) के प्रावधान ऐसे संविदा और पंच निर्णय हेतु किये गये अभिदेश और पंचों की नियुक्ति और

कार्यवाहियां और उनके द्वारा दिये जाने वाले फैसलों के बारे में यथासम्भव परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(३) धारा २०१ के प्रावधान उस प्रकार लागू होंगे माना शब्द 'पंचों' के स्थान पर पंच प्रतिस्थापित किया गया हो।

(४) व्यक्तिगत तौर पर पंचों का कलक्टर के समक्ष उपस्थित होना और अपने फैसले प्रस्तुत करना अथवा कलक्टर के सामने उस पर या बांट गये हिस्सों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु फैसले और हिस्सों पर व स्वयं हस्ताक्षर करेंगे न कि किसी स्वीकृति प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करायेगा। ऐसे हस्ताक्षर कलक्टर के समक्ष उनके प्रस्तुत किये जाने के पहले किये जायेंगे।

[धारा २०२] न्यायालय स्वयं कब विभाजन करेगा ? —जब पंच परस्पर विभाजन करने पर अथवा उस सम्बन्ध में पंच निर्णय करने में एक मत न हों अथवा जब पंच निर्णय अभिलेखित कर दिया जाय अथवा फैसला रद्द कर दिये जाय तो कलक्टर स्वयं विभाजन के विषय में निर्णय देगा।

[धारा २०३] विभाजन व्यय का अनुमान और उसकी वसूली —(१) जब धारा २०२ के अधीन कलक्टर स्वयं विभाजन करने का तय करले तो वह शीघ्र तत्सम्बन्धी खर्च के अनुमान का कार्यवाही करेगी और निर्देश देगी कि ऐसे खर्च प्रथमतः विभाजन के प्रार्थी अथवा सभी हिस्सेदारों से ऐसी किस्तों में और विभाजन की प्रगति के दरमियान ऐसे अवकाशों पर जो कि राज्य सरकार निर्धारित करे वसूल किया जावेगा।

(२) यदि पूर्व अनुमानित रकम अपर्याप्त पाई जाय तो पूरक अनुमान समय समय पर लगाये जा सकते हैं और उपरोक्त रीति से से ऐसी अतिरिक्त रकम वसूल की जायेगी।

(३) राज्य सरकार ऐसी मन्दा के निर्देश सहित जो कि ऐसे विभाजन के खर्च के निरूपण में अथवा उसके लिये सम्मिलित किये जाय नियम बनायेगी और राजस्व मण्डल ऐसे खर्चों के वितरण के विधान के निरूपण के लिये नियम बनायेगी।

[धारा २०४] अमीन आदि की नियुक्ति और वारण्ट जारी करना — जब विभाजन के सम्बन्ध में आखीरी खर्च आदि जमा कर दिये जाय तो एक अमीन अथवा अन्य उपयुक्त व्यक्ति विभाजन के कार्य के सम्पादन हेतु नियुक्त किया जायेगा और उस कार्य के लिये कलक्टर उसके नाम के कमीशन वारण्ट प्रकाशित करेगा तथा उसे समस्त आवश्यक पत्र तथा सूचनायें प्रदान करेगा।

[धारा २०५] वारण्ट निष्पादन की प्रणाली —(१) अमीन अथवा अन्य व्यक्ति उपरोक्त रीति से विभाजन के लिये नियुक्त किया गया हो कमीशन वारण्ट की प्राप्ति पर —

(१) डायरी रखेगा और उसमें वह वारन्ट प्राप्ति की तारीख, उसके निष्पादन हेतु उसके द्वारा किया गया दिन प्रतिदिन का विवरण, उस कार्य के लिये निरीक्षित स्थान उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये दावे एवं आपत्तियां ऐसे व्यक्ति एवं विधान जिनके द्वारा एवं जिस भांति व प्रस्तुत की गई और उस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के कारण प्रविष्ट किये जायेंगे।

(२) व्यक्तिगत निरीक्षण का कार्यक्रम बनायेगा और पक्षकारों को तत्सम्बन्धी एक पखवाड़े का नोटिस देगा।

(३) प्राथमिक आदेश की निर्देशनाओं के अनुसार जिनमें प्रत्येक अंश व अन्ततः एवं खण्ड बनाये जाने का विधान किया हो कि जिनमें जायदाद वितरित होगी एक प्रयोगात्मक सूची तैयार करेगा और उसे रिकार्ड पर रखेगा।

(४) उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार सम्बद्ध स्थल पर जायेगा, स्थल निरीक्षण करेगा, पक्षकारों को, यदि उपस्थित हों, सुनेगा और उनकी आपत्तियां पर विचार करेगा सम्पत्ति का बटवारा किये जाने वाले अंशों से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को एकत्र करेगा जिससे वे जुबानी या लिखित में अपने दावे अथवा आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर सकें और उसी जगह पर लम्बरदारों की उपस्थिति में ऐसे दावे एवं आपत्तियों का फैसला करेगा।

(५) ऐसा अमीन या व्यक्ति तब वारण्ट को अपने प्रतिवेदन के साथ लौटा देगा जिसमें वह वारण्ट के इकरार की प्रणाली प्रस्तावित विभाजन खण्ड, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो उन्हें धारण किये हों और ऐसे भूमध्य सहित पट्टे अथवा अनुज्ञापन जिनके अधीन व ग्रहण किये गये हैं, सभी का उसमें उल्लेख होगा, प्रतिवेदन के साथ पेश किये जायगे —

(क) उपधारा (१) के खण्ड (१) के अन्तर्गत रखी गई मूल डायरी

(ख) एक रंगीन नक्शा जिसका सन्दर्भ धारा २०० के खण्ड (घ) में दिया गया है और

(ग) ऐसे अन्य विवरण-पत्र एवं लेख जिनमें बोर्ड द्वारा निर्धारित विवरण हो।

टिप्पणी—यह धारा स्पष्ट करती है कि बटवारे की कार्यवाही सम्पूर्ण करने के लिए अमीन अथवा कोई दूसरा व्यक्ति भेजा जावेगा। वह सम्बन्धित पक्षकारों को बुलाकर उनका [illegible] करेगा। अमीन की कार्यवाही इस धारा के अनुसार अन्तिम नहीं है।

[धारा २०६] घोषणा करना—धारा २०४ की उपधारा (२) के विरुद्ध प्रस्तुत करने के लिये, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर कलक्टर एक घोषणा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को उसके लिये निश्चित की गई तारीख पर हाजिर होने के लिये एवं अपने दावे अथवा आपत्तियां, यदि कोई हों जारी करेगा और ऐसी घोषणा की प्रतिलिपियां सम्बन्धित फरीकैन को अपनी आपत्तियां यदि कोई हों, घोषणा के तामील के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करने के लिये भेजेगा।

[धारा २०७] प्रस्तावों पर विचार तथा दावों एवं आपत्तियों का निरूपण.—निश्चित तारीख पर कलक्टर

(क) क्रम से सुनेगा तथा फैसला करेगा—

(१) पक्षकारों द्वारा उठाई गई आपत्तियां और,

(२) अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश किये गये दावे एवं आपत्तियां और

(ख) तब यह देखने के लिये प्रस्तावों की परीक्षा करेगा कि वे प्राथमिक आदेश की शर्तों के अनुसार हैं और कानून के प्रावधानों की पूर्ति करते हैं।

[धारा २०८] कृषक की जोत का विभाजन —यथा सम्भव काश्तकार की जोत का बंटवारा नहीं किया जायेगा और जहां ऐसा करना अनिवार्य हुआ, प्रत्येक जोत का लगान उनके हिस्सों पर बांट दिया जायेगा।

[धारा २०९] खुद काश्त की भूमि —ऐसी भूमि जिसमें खुद काश्त के अधिकार पैदा हो गया हो और वर्तमान में मौजूद हों, अलग से विभाजित की जायेगी ताकि प्रत्येक विभाजित अंश मूल्य के समानता रखने वाले अन्य हिस्से के अनुपात में अंश के रूप में आवंटित किया जा सकेगा।

[धारा २१०] संयुक्त भूमि का आवंटन —धारा २०९ में सन्दर्भित भूमि के अलग संयुक्त भूमि का आवंटन इस ढंग से किया जायगा कि प्रत्येक भाग को उसका ऐसा अंश प्राप्त हो जो कि उसको बनाने वाले या अंश या अंशों के मूल्य अनुपात में बैठता हो।

(२) धारा २०९ में उल्लिखित भूमि के अलावा भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा धारण की गई भूमि यथा सम्भव उनको धारण करने वाले हिस्सेदार या हिस्सेदारों के मध्य वितरित करदी जायेगी।

[धारा २११] आवंटित भूमि पर किसी हिस्सेदार का मकान या बाड़ा आदि —जब विभाजन में हिस्सेदार या हिस्सेदारों को दिये जाने वाले हिस्सों में किसी अन्य हिस्सेदारों के आधिपत्य में स्थित किसी रहने के मकान अथवा अन्य भवन अथवा बगीचों या वाटिकाओं द्वारा घेरी गई भूमि का सम्मिलित किया जाना आवश्यक हो या जो ऐसे अन्य हिस्सेदार के लिये वहां पर उसके व्यय से किये गये विकास के फलस्वरूप कोई विशेष मूल्य रखते हों तो बाद वाला व्यक्ति ग्राउण्ड-रेण्ट देने के पश्चात् ऐसी इमारतों, ऐसे बगीचों एवं वाटिकाओं एवं विकासों द्वारा आवृत भूमि को धारण कर सकेगा। ऐसी भूमि एवं तत्सम्बन्धी लगान की सीमा कलक्टर तय करेगा और ऐसे सब मामलों में यथा सम्भव एक नियत किया गया भाग मकानों, बगीचों वाटिकाओं अथवा विकासों के जैसी भी अवस्था हो, मालिक के लिये आम सड़क से वहां पहुंचने हेतु सुरक्षित करेगा अथवा किसी अन्य सम्पत्ति का कोई अंश उसे अलग से आवंटित किया जायेगा।

(ग) प्रत्येक भागीदार के हिस्से की प्रकृति एवं सीमा के विवरण सहित ऐसे भागीदार का विवरण लाग जहां कोई खण्ड एक से अधिक भागीदारों के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता हो, और

(घ) उपरोक्त रीति से विभाग निर्दिष्ट खण्ड पर प्रत्येक भागीदार अथवा कई भागीदारों द्वारा व्यक्तिश अथवा शामलाती कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधिकार एवं आभार।

(२) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, जिसे धारा १८६ के प्रावधान के अन्तर्गत यदि अन्तिम आदेश के लिए मामला सौंपा गया हो तैयार किया जायेगा, यह कलक्टर को पेश किया जायेगा जो आदेश की पुष्टि कर सकता है या रद्द कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है या अधिक जांच पड़ताल करने पर अथवा अतिरिक्त साक्षी सुनने का निर्देश कर सकता है अथवा स्वयं ऐसी पूछताछ करता है अथवा साक्षी ले सकता है अथवा नई तजवीजें स्थापित कर उन्हें निर्णय के लिए भेज सकता है।

परन्तु पुष्टि का कोई भी आदेश उस सम्बन्ध में प्रस्तुत की जा सकने योग्य अपील की अवधि के समाप्त होने के पूर्व पास नहीं किया जायेगा या यदि कोई निपटारा न कर दिया जाय।

एक शर्त यह भी है कि उस आदेश को परिवर्तित करने या रद्द करने का आदेश दिया जायेगा और न अधिक पूछताछ करने या साक्षी लेने का आदेश दिया जायेगा जब तक कि उस आदेश का समर्थन के लिए पक्षकारों को सुनवाई अथवा ऐसी जांच पड़ताल या साक्षी के वक्त उनकी प्रतिनिधित्व का एक अवसर न दे दिया जाय।

[धारा २१७] बटवारे के कागजात —(१) जायदाद के विभिन्न खण्डों के सम्बन्ध में, कलक्टर, बंटवारे के कागजात अन्तिम आदेश की शर्तों के अनुकूल, प्रार्थी अथवा प्रार्थियों के जैसी भी दशा हो जिनके हिस्सों का वे खण्ड प्रतिनिधित्व करते होंगे पक्ष में तैयार करवायेगा और उनमें विभाजन के लागू होने का दिन दर्ज करायेगा तथा ऐसे प्रत्येक कागजात पर केन्द्रीय धारा सभा के भारतीय स्टाम्प एक्ट १८६६ (एक्ट संख्या २ सन १८९९) को जैसा कि राज्य में ग्रहित हुआ है, अनुसार स्टाम्प लगेगा।

(२) ऐसी तारीख जब तक कि यथा निर्देशित न किया जाय अन्तिम आदेश की पुष्टि किये जाने के बाद या अन्तिम आदेश के कलक्टर द्वारा जारी किये जाने के तत्काल बाद आने वाले जुलाई माह का प्रथम तारीख मानी जायेगी।

(३) जिस दिनांक से बंटवारा लागू होगा, इस भांति विभाजित प्रत्येक खण्ड सभी अभिप्रायों के लिए स्वतन्त्र जायदाद समझी एवं प्रयुक्त की जायेगी मानों कि वे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में जिनके हिस्से या हिस्सा का उससे प्रतिनिधित्व होता हो वह मूल रूप से ही स्वतन्त्र जायदाद के रूप में निर्मित हो।

(४) बंटवारे के कागजात तैयार होने पर कलक्टर वार्षिक रजिस्टरों का तदनुसार सुधार करेगा और भूमि अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए बोर्ड को सुफारिश करेगा।

[धारा २१८] विभाजन पर आवंटित सम्पत्ति का कब्जा देना —विभाजन के दस्तावेज में जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई भूमि आवंटित की गई हो, विभाजन के अन्य पक्षकारों और उनके वैधानिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध उस सम्बन्ध में अलग कब्जा पाने का अधिकारी होगा और कलक्टर धारा २१७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत बंटवारे के कागजातों में उल्लिखित तारीख के बाद तीन साल की अवधि के अन्दर ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदनपत्र दिये जाने पर उस दस्तावेज को प्रभावशाली घोषित करेगा मानो कि वह अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए दिवानी अदालत द्वारा पास की गई कोई डिग्री हो।

[धारा २१९] सम्मिलित सम्पत्तियों का बटवारा—जब किसी सम्पत्ति में दो या दो से अधिक गांव या गांवों के खण्ड सम्मिलित हों तो राज्य सरकार उसके विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के लिए अनिवार्य सम्पत्तियों में किये जाने का निर्देशन कर सकती है। ऐसे निर्देश की प्राप्ति पर कलक्टर सम्बन्धित सम्पत्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के बाद, इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार उस जायदाद का राजस्व ऐसी जायदादों पर वितरित कर देगा और तदनुसार वार्षिक पंजिका में सुधार करेगा। इस प्रकार प्रथक प्रथक निर्मित जायदादें उन पर आरोपित राजस्व के लिये उत्तरदायी होगी।

[धारा २२०] राजस्व का अप वंचनात्मक अथवा भ्रामक वितरण —इस अध्याय के अधीन वितरण करते समय जब राजस्व किसी भ्रम या छल के कारण गलत वितरित हो जाय तो बोर्ड, किसी भी समय मूल सम्पत्ति के राजस्व को ऐसी अनेक जायदादों पर जिनमें वह बांटी जाय, वितरित करने हेतु आदेश दे सकता है जैसा कि छल या भ्रम के रहित होने पर विभाजन की स्थिति होती है।

[धारा २२१] कम निर्धारित सम्पत्तियां अधिक निर्धारित को वापिस लौटा देगी —धारा २२० के अधीन किसी भी मामले में बोर्ड निर्देश दे सकता है कि कोई भी स्वामी जिसकी सम्पत्ति पर पुन निर्धारण हुआ हो प्रतिवर्ष अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, जिनके बाद वह अपनी अलग जायदाद का अधिपति रहता है किसी अन्य जायदाद के जिस पर अधिक निर्धारण अभिलिखित स्वामी को ऐसी रकम जितनी पूर्व लिखित जायदाद न्यून निर्धारित पाई जाय, देने के लिए बाध्य होगा और उसका भुगतान नहीं किए जाने पर उसकी अदायगी राजस्व के बकाया के अनुसार की जावेगी और उस स्वामी को दी जावेगी जो कि उसका अधिकारी होगा।

(२) इस धारा के अन्तर्गत दिये गये किसी भी हुक्म के बारे में कोई भी प्रश्न दिवानी अथवा माल अदालत में नहीं उठाया जावेगा।

[धारा २२२] एक गांव की विभिन्न सम्पत्तियों का एकीकरण —जब दो या दो से अधिक राजस्व चुकाने वाली सम्पत्तियां किसी गांव की सीमा में हों, तो सम्बन्धित

सम्पत्तिधारी उनकी एव सम्पत्ति मे एकीकरण के लिए कलक्टर से प्रार्थना कर सकते है और कलक्टर अपने विवेक से ऐसी प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है तथा ऐसे मामला मे तदनुसार वार्षिक रजिस्टरो मे भी परिवर्तन करेगा।

[धारा २२३] सरकार एव सम्पत्तिधारी के मध्य मे होने वाले विभाजन के सम्बन्ध मे यह अध्याय लागू नही होगा —(१) किसी सम्पत्ति के धारण करने वाले एवं सरकार के बीच, इस अध्याय के प्रावधान लागू नहीं होंगे और जब कभी ऐसा विभाजन जरूरी हो जायगा कलक्टर ऐसा विभाजन करेगा।

परन्तु शर्त यह है कि कलक्टर के प्रस्ताव राज्य सरकार की सम्मति के लिये उसके द्वारा भेजे जायेंगे।

(२) ऐसा प्रत्येक विभाजन इस सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमो के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय १०

राजस्व संग्रह

[धारा २२४] भूमि और उसके उत्पादन पर प्रथम भार के रूप मे राजस्व – (१) प्रत्येक सम्पत्ति अथवा जोत पर उसके निर्धारित राजस्व अथवा लगान और उसके किराया, लाभों अथवा उपज पर प्रथम भार होगा।

(२) ऐसी सम्पत्ति अथवा जोत के लगान लाभ व उत्पादन किसी भी दीवानी अथवा राजस्व न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के भुगतान हेतु काम मे तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि उस सम्बन्ध मे शेष राजस्व अथवा लगान की समस्त रकम न चुकादी जाय।

[धारा २२५] राजस्व का उत्तरदायित्व —किसी सम्पत्ति के सभी हिस्सेदार और धारणकर्त्ता सम्मिलित तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर फिलहाल राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये उत्तरदायी होंगे।

(२) किसी सम्पत्ति पर स्थित किसी जोत के सभी कृषक और हिस्सेदार वर्तमान मे राज्य सरकार को देय राजस्व के लिये सम्मिलित तौर पर से और निजी तौर से उत्तरदायी होंगे।

(३) किसी सम्पत्ति अथवा किसी जोत का आधिपत्य प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति उनके ऐसे कब्जे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से राजस्व अथवा लगान के सभी अवशेषों के लिये उत्तरदायी होंगे।

(४) इस अध्याय मे प्रयुक्त अभिव्यक्ति भूमिधारी अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होगा जो स्वलाभ के लिये कब्जा धारण करता हो और भूमिधारी के अधिकार का पट्टेदार भी उसमे शामिल होगा।

[धारा २२६] अवशेषों के भुगतान के नियम और दोषी—राजस्व अथवा लगान ऐसी शर्तों में ऐसे समय और ऐसे स्थान पर तथा ऐसी रीति से ऐसे व्यक्तियों को दिया जायेगा जो निर्धारित किये जाय और इस, प्रकार नहीं भुगताई प्रत्येक रकम लगान अथवा राजस्व के अवशेष कहलायेंगे अथवा उसके सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति दोषी कहलायेंगे।

किन्तु शर्त यह है कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे तत्समय राज्य सरकार को भुगतान-योग्य राजस्व या लगान का भुगतान सकल के पटवारी की मार्फत, किया जायेगा।"

[धारा २२७] प्रमाणित हिसाब अवशेषों की साक्षी होना —तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब का विवरण पत्र इस अध्याय के अभिप्रायार्थ अवशेष की रकम के सम्बन्ध में और उससे सम्बद्ध होने वाले व्यक्ति के बारे में प्रमाणित साक्षी होगा। किन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के द्वारा भुगतान किये जाने के हक पर और स्वतन्त्र या पृथक कार्यवाही के द्वारा कलक्टर के सामने हिसाब के सुधार सम्बन्ध प्रार्थना के हक पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं डालेगा।

[धारा २२८] दातव्यों की वसूली की कार्यवाही —राजस्व या लगान के दातव्य निम्नांकित किसी एक या अधिक प्रणालियों द्वारा वसूल किये जायेंगे—

(क) किसी दोषी पर मांगपत्र अथवा उपस्थित पत्र की तामील द्वारा

(ख) उसकी चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा

(ग) किसी निर्धारित क्षेत्र हिस्सा पट्टी अथवा सम्पत्ति जिसके बारे में ऐसे दातव्य हो कुर्की द्वारा,

(घ) ऐसे हिस्से या पट्टी को किसी साख वाले हिस्सेदार को हस्तान्तरित करके।

(ङ) ऐसे किसी निर्धारित हिस्से या पट्टी अथवा सम्पूर्ण सम्पत्ति का बिक्री द्वारा,

(च) दोषी की अन्य किसी अचल सम्पत्ति की बिक्री द्वारा किन्तु शर्त यह है कि खण्ड (ङ) के प्रावधान किसी जागीर भूमि अथवा भूमिधारक की सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

[धारा २२९] मांगपत्र एवं उपस्थिति पत्र —यदि राजस्व अथवा लगान का कोई दातव्य शेष हो एक मांगपत्र उसमें उल्लिखित तारीख तक बकाया रकम चुकाये जाने का निर्देश सहित दोषी पर तामील कराया जायेगा अथवा एक उपस्थिति-पत्र उसमें उल्लिखित तारीख पर उपस्थित होने बाबत, उस पर जारी किया जायेगा।

[धारा २३०] चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री —कलक्टर ऐसी व्यक्ति की चल सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है और बेच सकता है। इस धारा के अन्तर्गत निर्देशित प्रत्येक कुर्की और बिक्री भी फिलहाल दीवानी अदालत की डिक्री के अन्तर्गत चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री के विषय में लागू विधि के अनुकूल की जायेगी। मगर

दीवानी १६०८ (केन्द्रीय एक्ट संख्या ५ सन १६०८) की धारा ६ के प्रतिबन्ध म म बनाये गये विवरण के अलावा इस धारा के अन्तर्गत कुर्की की गई वस्तुओं की भी कुर्की एवं बिक्री से मुक्त रखा जायेगा। कुर्की एवं बिक्री का खर्च राजस्व या लगान के मतालबे में जोड़ दिया जायेगा और इसी भांति वसूली योग्य रहेगा।

(धारा २३१) भूमि की कुर्की —(१) पहले निर्दिष्ट किसी भी प्रक्रिया को छोड़ कर अथवा उसके बजाय कलक्टर निर्दिष्ट ऐसे हिस्से पट्टी अथवा जायदाद को, जिसके सम्बन्ध में ऐसा मतालबा शेष रहे कुर्क कर सकता है और अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत ले सकता है और ऐसी कुर्की उस समय समाप्त हो जायेगी जब सभी दातव्य चुकते हो जायेंगे।

(२) दातव्यों के चुकते होने के पश्चात भूमि को छोड़ दिया जायेगा और प्राप्त किया गया आधिक्य यदि कोई हो, दोषी को अथवा उसके वैध प्रतिनिधि को दे दिया जायेगा।

[धारा २३२] कर्ता के अधिकार और आभार —कलक्टर जहां कोई भूमि प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अधीन हो उसकी कुर्की के समय दोषी और काश्तकारों के बीच वर्तमान प्रत्येक संविदा को मानने के लिए बाध्य होगा और इसी प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति के प्रबन्ध हेतु शक्ति सम्पन्न होगा और उससे प्राप्त होने वाले सभी कार्यों एवं लाभों को पा सकेगा। इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति से एकत्र रकम कुर्की के बाद शेष रहने वाले राजस्व या लगान की किश्तों की अदायगी में और कुर्की के प्रबन्ध व्यय में लगाई जायेगी और शेष रकम ऐसे दातव्यों के चुकारे हेतु काम में ली जायेगी, जिनके कारण वह कुर्क की गई हो।

[धारा २३३] कुर्की की घोषणा —(१) धारा २३१ के अन्तर्गत जब कलक्टर कोई जमीन कुर्क करता है, वह इस सम्बन्ध में एक घोषणा करेगा।

(२) ऐसी घोषणा की तारीख के पश्चात् अथवा ऐसी अग्रिम तारीख के पूर्व ही उस भूमि के लगान के बतौर अथवा ऐसे अन्य लाभ हेतु देय रकम अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के दिये जाने पर उस सम्बन्ध में कलक्टर को चुकारा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी उत्तरदायिता से मुक्त नहीं होगा।

(धारा २३४) दोषी के भाग का हस्तान्तरण —(१) जब किसी सम्पत्ति के भाग या पट्टे के विषय में कोई दातव्य शेष हो तो कलक्टर पहले निर्दिष्ट तरीका के अलावा अथवा उनकी बजाय राजस्व मण्डल की पूर्व स्वीकृति लेने पर ऐसे हिस्से या पट्टे को ऐसी स्वीकृति के तत्काल बाद, प्रथम जुलाई में अधिकतम १० वर्ष के लिए किसी एक अथवा अधिक साझीदारों को, जिनमें सम्पत्तिधारी सम्मिलित नहीं होगा दातव्य चुकाने की शर्तों और ऐसी शर्तों पर जो बोर्ड मामले में निर्धारित करे हस्तान्तरण कर सकता है और ऐसे हस्तान्तरण से उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह लागू होगा, साझीदारों की निजी और सम्मिलित उत्तरदायित पर किसी भांति प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(२) जब हस्तान्तरण की अवधि समाप्त हो जाय तो वह हिस्सा या पट्टे सम्बन्धी सम्पत्तिधारी को सरकार अथवा ऐसे हिस्से या पट्टे के सम्बन्ध में शेष रकम के हस्तान्तरण ग्रहीता के प्रत्येक दावे से मुक्त कर लौटा दी गई समझी जायगी।

[धारा २३५] दोषी के निर्दिष्ट हल्के, पट्टी या सम्पत्ति का विक्रय — कलक्टर की राय जब यह हो कि पूर्वाङ्कित प्रणालियाँ दातव्य की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं होंगी तो उन सभी या उनमें से किसी प्रणाली के बजाय अथवा उसके या उनके अतिरिक्त किसी निर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध मे ऐसे दातव्य देय हों, का विक्रय नीलाम द्वारा कर सकता है परन्तु शर्त यह है कि कोई भी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्र पट्टी या सम्पत्ति किसी ऐसे दातव्य के लिए नहीं विक्रय किये जायेंगे जो कि उपार्जित हुई हो, जब कि वह सम्पत्ति—

(क) कोर्ट आफ वार्डस के अन्तर्गत हो, अथवा

(ख) कलक्टर के प्रत्यक्ष प्रबन्ध मे रही हो।

[धारा २३६] भूमि का विक्रय भार मुक्त होगा'—विगत धारा के अन्तर्गत बेची गई भूमि तत्काल समस्त भारों से मुक्त करके बेची जायेगी और क्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे भूमि के सम्बन्ध मे पूर्व से किये गये सभी अनुबन्ध नीलाम के समय क्रेता के विकल्प पर निष्प्रभाव हो सकेंगे।

(२) उपधारा (१) की कोई वस्तु रहवासी गृह बनाने के लिये या शिल्प निर्माण के लिए अथवा उपवन, तालाब, नहर, पूजास्थान अथवा मरघट अथवा कब्रगाह बनाने के लिए वास्तविक अस्थायी अथवा निरन्तर पट्टा के अन्तर्गत धारण की गई भूमि पर लागू नहीं होगी और ऐसी भूमि ऐसे पट्टो मे उल्लिखित कार्यों के लिए काम में ली जाती रहेगी।

(३) उपधारा (१) में किसी वस्तु के रहते हुए भी राज्य सरकार विक्रय के पूर्ण होने के पूर्व यह निर्देश कर सकती है कि बिक्री, भूमि के धारण कर्ता द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके सम्बन्ध मे उत्पन्न ऐसे हितों या अधिकारों के अन्तर्गत जिन्हें वह उचित समझे, की जाय।

[धारा २३७] दोष से असम्बद्ध सम्पत्ति मे निहित दोषी के हितों के विरुद्ध कार्यवाही —(१) जब उपरोक्त प्रणालियों द्वारा किसी से अवशेष वसूल नहीं हो सके और दोषी किसी अन्य सम्पत्ति के किसी अंश का अथवा सम्पत्ति का अथवा किसी अन्य अचल सम्पत्ति का स्वामी हो या उसमें कोई हित रखता हो, तो कलक्टर ऐसी सम्पत्ति या उसके अंश या उस अचल सम्पत्ति के विरुद्ध इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह ऐसी भूमि हो जिसके विषय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अथवा समान दातव्य हो किन्तु शर्त यह है कि दोषी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हितों पर ऐसी रीति से प्रभाव नहीं डाला जायगा।

(२) राजस्व या लगान के अवशेषों के रूप में वसूल की जाने वाली धनराशि जो कि किसी विशेष भूमि के सम्बन्ध में दातव्य न हो, इस धारा के अन्तर्गत व्यापी की किसी अचल सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर वसूल की जा सकती है।

[धारा २३८] विक्रय की घोषणा-(१) जब धारा २३५ के अथवा २३७ के अधीन किसी भूमि अथवा अचल सम्पत्ति के विक्रय का आदेश पारित कर लिया जाय तो कलक्टर ऐसे नियत विक्रय का एक घोषणापत्र बेची जाने वाली भूमि पर निर्धारित राजस्व व ऐसे अवशेष जिनके लिए बेची जा रही हो विक्रय का समय और स्थान, भूमि के भार सहित या भार मुक्त बेची जाने पर ऐसे अन्य विवरण सहित जो कलक्टर आवश्यक समझे एक घोषणा निकाली जायगी।

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत जारी की गई घोषणा की प्रतिलिपि दोषी पर निकाली जायेगी।

[धारा २३९] विक्रय कब और किसके द्वारा होगा ?—(१) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक विक्रय एक कलक्टर द्वारा अथवा उस सम्बन्ध में विशेष रूप से उसके द्वारा नियुक्त सहायक कलक्टर द्वारा किया जायगा।

(२) कोई भी विक्रय रविवार अथवा अन्य स्वीकृत छुट्टी के दिन अथवा घोषणा निकाले जाने के दिन के पश्चात् ३० दिनों की समाप्ति के पूर्व सपादित नहीं किया जायगा।

(३) समय समय पर कलक्टर विक्रय को स्थगित कर सकता है।

[धारा २४०] विक्रय के सम्बद्ध सम्पति पर बोली लगाने और उसके ग्रहण करने पर निषेध —किसी ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य पूरा करने वाला कोई भी पदाधिकारी और ऐसे अफसर के अधीन या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी विक्रय की जाने वाली सम्पत्ती जो उसमें निहित किसी प्रत्यक्ष हित के विक्रय में कोर्ट ऑफ वार्ड्स अथवा राज्य सरकार के निमित्त अवस्था के अलावा कोई बोली नहीं लगायगा और न उसे ग्रहण करने का प्रयास करेगा।

[धारा २४१] विक्रय को रोकना —जब दोषी ऐसा बकाया जिसके बारे में कोई भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति बेचे जाने को हो उसके विक्रय के दिन के पूर्व कलक्टर को अथवा राजस्व या लगान के चुकाने को प्राप्त करने लिए नियुक्त व्यक्ति को अथवा ऐसे सहायक कलक्टर को जो कि ऐसे सब डिविजन का कार्याधिपति हो या जिसमें वह जमीन या अचल सम्पति स्थित हो उसे शेष ऋण का भुगतान करेगा तो विक्रय को रोक दिया जायगा।

[धारा २४२] खरीददार द्वारा धरोहर रखना व उसके अभाव में पुनर्विक्रय —खरीददार के रूप में घोषित व्यक्ति को उसकी बोली की रकम की २५

प्रतिरात शीघ्रनर्तर अमानत रखनी होगी और उसके न रखे जाने पर भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्ति तदुपरान्त दुबारा बेचा जावेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय के खर्चे हतु और द्वितीय विक्रय से प्राप्त मूल्य के कारण उत्पन्न अभाव के लिये उत्तरदायी होगा और एसी रकम कलक्टर द्वारा राजस्व के अवशेष के रूप में उससे वसूल की जायगी।

[धारा २४३] क्रय के मूल्य का चुकाया जाना —(१) क्रय धनराशि का पूर्णाश विक्रय की तारीख के १५ वें दिन या उससे पूर्व क्रेता द्वारा कलक्टर के कार्यालय म चुकाया जायगा।

( ) जब क्रय-राशि इस भांति न चुकाई जाय तो विक्रय का व्यय चुकाने के पश्चात् धरोहर की शेष रकम राज्य सरकार द्वारा जब्त करली जावेगी और दोषी क्रेता की उस सम्पत्ति म से अथवा तत्पश्चात् प्राप्त विक्रय राशि के किसी हिस्से से सम्बन्धित सभी दावे भी जब्त हो जायेंगे।

[धारा २४४] पुन विक्रय से होने वाली हानि के लिए क्रेता का दायित्व —जब ऐसे विक्रय की राशि जिसके फलस्वरूप पुनर्विक्रय किया जाय ऐसे अभियुक्त क्रेता द्वारा लगाई गई बोली की कीमत से कम हो तो तत्सम्बन्धी अन्तर उससे राजस्व के अवशेष के रूप में वसूल किया जावेगा।

[धारा २४५] पुनर्विक्रय के पूर्व घोषणा —धारा २२६ के अन्तर्गत किये गये स्थगन क पश्चात् कोई भी विक्रया या धारा २४२ के अन्तर्गत क्रय राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर कोई भी पुनर्विक्रय तब तक नहीं किया जावेगा जब तक मूल विक्रय के लिये निधारित प्रणाली से नवीन घोषणा नहीं करदी जाय।

[धारा २४६] अवशेष के जमा होने पर विक्रय को निर्मूल करने का आवेदनपत्र —इस अधिनियम के अन्तर्गत बेच दी गई किसी व्यक्ति की भूमि या चल सम्पत्ति उसके विक्रय की तारीख के बाद ३० दिन की अवधि क अन्तर्गत कलक्टर के कार्यालय म निम्नांकित रकम जमा करा कर विक्रय को निर्मूल करने हतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है —

(क) क्रेता को देय रकम जो क्रय राशि क ५ प्रतिशत के बराबर हो,

(ख) अवशेषों के सम्बन्ध म देय रकम के जिसका जिक्र विक्रय की घोषणा म किया गया हो कर जिसके लिये बिक्री का आदेश दिया गया हो, भुगतान हतु ऐसी रकम में से विक्रय के घोषणा-पत्र से ऐसी रकम के जमा कराने की तारीख के बाद चुकाई गई रकम शेष करदी जायेगी, और

(ग) विक्रय-व्यय।

यदि इस प्रकार जमा ३० दिनों की अवधि के भीतर हो जाय तो कलक्टर विक्रय को रद्द करने का आदेश निकालेगा

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति धारा २४७ के अन्तर्गत विक्रय को रद्द करने हेतु आवेदन करता है तो वह इस धारा के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा

एक शर्त यह भी है कि इस धारा के अधीन विक्रय को रद्द करने के साथ ही यदि भूमि धारा २६६ के अन्तर्गत सर्व भार मुक्त विक्रय की गई होगी तो उसे भार पुन प्रभावशील हो जायगे।

[धारा २४७] अनियमित इत्यादि की वजह से विक्रय को निर्मूल करने का आवेदन पत्र —विक्रय को किसी वास्तविक अनियमितता अथवा प्रकाशन की सम्पादन की त्रुटि के आधार पर विक्रय की तारीख के पश्चात् ३० दिन की अवधि के भीतर किसी भी समय, रद्द किये जाने के सम्बन्ध मे कोई आवेदन पत्र कलक्टर को दिया जा सकता है किन्तु कोई भी विक्रय तब तक ऐसे आधार पर रद्द नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदनकर्ता कलक्टर के सन्तोष के लिए यह साबित न करदे कि उसे ऐसी अनियमितता या गलती के कारण कोई मौलिक हानि नहीं पहुँची है।

[धारा २४८] विक्रय को पुष्ट अथवा निर्मूल करने हेतु आज्ञा —यदि, विक्रय के पश्चात् ३० दिनों की समाप्ति पर धारा २४६ अथवा २४७ में उल्लिखित कोई आवेदन-पत्र पेश करना हो अथवा यदि ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो और खारिज कर दिया गया हो तो कलक्टर विक्रय की पुष्टि हेतु एक आदेश प्रकाशित करेगा और यदि ऐसा आवेदनपत्र धारा २४७ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया हो और स्वीकृत कर लिया गया हो तो कलक्टर विक्रय को रद्द करने के लिये आदेश देगा।

[धारा २४९] अनियमितता अथवा गलती पर आधारित दावों पर प्रतिबन्ध —यदि धारा २४७ के अधीन इस सम्बन्ध म दिये गये समय के अन्दर कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाय तो विक्रय के प्रकाशन तथा सम्पादन के सम्बन्ध मे हुई गलती या अनियमितता के आधार पर किये जाने वाले सभी दावे प्रतिबन्धित होंगे

परन्तु इस धारा म उल्लिखित कोई भी वस्तु धोखे के आधार पर बिक्री को रद्द किये जाने के अर्थ के लिये दीवानी न्यायालय मे दायर किये जाने वाले दावे पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी।

टिप्पणी —यह धारा स्पष्ट करती है कि विक्रय से सम्बन्धित कार्यवाही की त्रुटि या अनियमितता के विषय मे दिये जाने वाले आवेदनपत्र के अतिरिक्त विक्रय के सम्बन्ध मे दीवानी न्यायालय मे धोखे के कारण की गई कार्यवाही सिद्ध करने पर रद्द कराई जा सकती है।

[धारा २५०] विक्रय के रद्द होने पर क्रय राशि की वापसी —धारा २४८ के अधीन जब कभी किसी भूमि अथवा अचल सम्पत्ति के विक्रय को रद्द कर दिया जाय तो खरीददार ब्याज सहित जो कि ६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिक नहीं होगा, अथवा ब्याज रहित जैसा कि कलक्टर उचित समझे, धनराशि के पुन प्राप्त का अधिकारी होगा।

(१८) धारा १०१ के अधीन कृषि कार्यों के लिए भूमि के आवंटन के नियमन हेतु,

(१९) धारा १०९ के अन्तर्गत सर्वेक्षण अभिलेख कार्य अथवा केवल अभिलेख कार्य क्रमों के संचालन में भूमि अभिलेखाधिकारियों द्वारा ग्रहण किये जाने वाले ढंग के नियमन के लिए,

(२०) धारा ११२ एवं १३१ के अधीन मानचित्र व तथा खसरे के निर्माण, प्रमाणीकरण एवं प्रबन्ध विधान के निश्चयन के लिए,

(२१) उक्त धाराओं के अधीन मानचित्र व खसरे के स्वरूप एवं विषय वस्तु के और उनमें परिवर्तनों के अभिलेख के लिये मध्यान्तर एवं प्रणाली के नियमन के लिए,

(२२) धारा ११४ तथा १३२ में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख एवं वार्षिक रजिस्टरों के निर्माण, प्रमाणीकरण एवं प्रबन्ध के नियमन के लिए, जिसमें अधिकार अभिलेख के अवयव स्वरूप ऐसे रजिस्टर उल्लिखित होंगे जिनका विवरण धारा ११४ में नहीं दिया गया हो और धारा १२१ में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त ऐसे विवरणों के नियमन के लिए जिनका उल्लेख खतौनी में किया जायेगा,

(२३) धारा १२३, १२४ और १२४ के अधीन जाच पड़ताल करने के समय भूमि अभिलेखाधिकारी द्वारा प्रयोज्य कार्य प्रणाली के नियमन के लिये,

(२४) धारा ११५ के अधीन सरकारी भूमियों की सूचि के निर्माण की रीति के नियमन के लिए और ऐसी भूमि के बारे में की जाने वाली जाच पड़ताल के ढंग के निधारण के लिये,

(२५) धारा ११८ के अधीन वाजिब-उल-अर्ज के निरूपण और अभिलेखन के ढंग के नियमन के लिए,

(२६) गांव के वाशिन्दा के रहने के लिए आरक्षित किये जाने योग्य क्षेत्र के निरूपण तथा निश्चयन के लिये,

(२७) धारा १२० के अधीन गांवों की सूचियों के प्रपत्र, विषय-वस्तु एवं निर्माण की विधि के निर्धारण के लिए

(२८) ऐसे अवसरों के निर्धारण के लिए जब कि सालाना रजिस्टर धारा १३२ के अधीन तैयार किये जायेंगे जिस प्रणाली या तरीके से परिवर्तनों को उनमें दर्ज किया जावेगा और इस प्रकार के परिवर्तनों का इन्द्राज करने पर जो फीस चार्ज की जायगी

टिप्पणी —[राजस्थान अधिनियम ११ बाबत १९५६ के सेक्शन २० द्वारा जो राजस्थान गजट, विन्शेष दिनांक १०-९-१९५६ भाग ४-क में प्रकाशित हुआ व स्थापित किया गया और सर्वदा से परिवर्तित हुआ समझा जावेगा]

(२९) अध्याय ७ के अधीन निर्मित मानचित्र-नक्शे और रजिस्टरों के जनता द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण का समय और तत्सम्बन्धी शर्तें, उनकी प्रतिलिपियां की प्रतिलिपि तैयार करने का शुल्क व उनके जारी करने तथा प्रमाणित कराने की रीति के निर्धारण के लिये,

(३०) धारा १७७ के अधीन बन्दोबस्त के कार्यक्रम व निष्पादन में बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा प्रयोज्य कार्य प्रणाली के नियमन के लिये,

(३१) धारा १५० के अधीन मिट्टी की विभिन्न श्रेणियों में लगान निर्धारण के क्षेत्रों या वर्गों के विभाजन के नियमन के लिए,

(३२) धारा १६४ के अधीन राज्य सम्बन्धी लगानों की वसूली को रोकने के लिए आदेश जारी करने की प्रणाली के निर्धारण के लिए,

(३३) धारा १७४ के तृतीय अनुच्छेद के अन्तर्गत मामलों में बन्दोबस्त के अन्तरिम पुनर्वाचन के नियमन हेतु

(३४) धारा १८० के अधीन विशेष नागरी-कर आरोपण के नियमन हेतु,

(३५) धारा १९७ के अधीन विभाजन के प्रयोजनार्थ भूमियों के मूल्यांकन के उपनियम तथा सामान्य सिद्धान्तों के नियमन के लिये

(३६) धारा २०३ के अधीन विभाजन के खर्च के निरूपण और उनकी किश्तों और उनके भुगतान के समय के नियमन के लिये।

(३७) धारा २२३ के अधीन सरकार और किसी सम्पत्तिधारी के बीच किसी सम्पत्ति के विभाजन के नियमन के लिये,

(३८) धारा २२६ के अधीन राज्य सरकार को देय लगान या लगान की किश्तों स्थान, समय तथा भुगतान की प्रणाली आदि के निर्धारण के लिये

(३९) धारा २२९ के अधीन मांगपत्र तथा उपस्थितिपत्र जारी करने किन अधिकारियों अथवा अधिकारियों के वर्गों द्वारा व जारी किये जायेंगे और दोषियों से उस सम्बन्ध में वसूल किये जाने वाले खर्चों के निश्चयन के नियम बनाने के लिये

(४०) धारा २३४ के अधीन किसी सम्पत्ति अथवा उसके किसी निर्दिष्ट अंश या पट्टे को हस्तान्तरित करने अथवा धारा २३५ के अधीन बेचने की रीति के नियमन के लिये।

(४१) ऐसे परिव्ययों के नियमन के लिये जो इस धारा के अधीन बन्दोबस्त के असम्बद्ध किसी भी गैर अदालती कार्यवाही के सम्बन्ध में वसूल किये जा सकते हैं

(४२) किसी भी गैर अदालती कार्यवाही के सम्बन्ध में जो बन्दोबस्त से सम्बद्ध नहीं हो, किसी पदाधिकारी या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन शक्ति सम्पन्न अथवा वाञ्छित व्यक्ति द्वारा प्रयोज्य कार्य प्रणाली के नियमन के लिये

(४३) निर्धारित सभी अन्य विषयों के नियमन हेतु अथवा जिनका निर्धारण किया जाना आवश्यक हो अथवा जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड द्वारा निर्मित नियमों के अतिरिक्त नियम बनाये गये हों या बनाया जाना आवश्यक हो और

(४४) सामान्यत इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोग के लिये।

[धारा २६२] पटवारी इत्यादि जन-सेवक होंगे—भारतीय दण्ड विधान (केन्द्रीय एक्ट संख्या ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के प्रयोजनार्थ, अध्याय ३ के अन्तर्गत नियुक्त प्रत्येक पटवारी, गिरदावर, कानूनगो अथवा भूमि अभिलेख निरीक्षक सदर कानूनगो, और ग्राम रक्षक और उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के कर्तव्यों को अल्पकाल के लिए सम्पादन करने के लिये नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को जनसेवक माना जायेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा रखे जाने वाले सभी राजकीय अभिलेख एवं कागजात सार्वजनिक अभिलेख एवं राज्य की सम्पत्ति माने जायेंगे।

टिप्पणी—यह धारा स्पष्ट करती है कि पटवारी इत्यादि राज्य कर्मचारी भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अनुसार जन सेवक कहलायेंगे और इस प्रकार जन सेवक के अपने समस्त कर्तव्य पूरे न करने पर उन्हें भारतीय दण्ड विधान के प्रावधानों के अनुसार ही दण्ड दिया जायेगा।

तथा उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा रखा जाने वाला रेकर्ड तथा प्रपत्र सार्वजनिक तथा राजकीय सम्पत्ति माने जायेंगे।

[धारा २६३] परित्राण एवं खण्डन—इस अधिनियम के लागू होने पर निम्नांकित इस अधिनियम के प्रावधानों में समविष्ट अथवा उनसे संगत विषय तक खण्डित समझे जायेंगे अर्थात्—

(क) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित विधान,

(ख) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित विधान के अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रावधानों में शामिल किसी विषय से सम्बद्ध किसी संधि पत्रान्तर्गत राज्य के कोई कानून, और

(ग) खण्ड (क) एवं (ख) में उल्लिखित विधानों का संशोधन करने वाले कोई कानून,

(२) इस अधिनियम द्वारा किसी विधि या विधान के खण्डित किये जाने से इस अधिनियम के पारित किये जाने के तत्काल पूर्व अनुचित समझी जाने वाली कोई भी प्रथा उचित नहीं हो सकेगी।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्थान के किसी भी खण्ड में प्रचलित कोई भी सामाजिक प्रथा, या रीति जो कि वहाँ विधि के रूप में प्रभावशील रही हो यदि वह इस अधिनियम के प्रावधानों से प्रतिकूल या असंगत होगी तो उसी असंगति या प्रतिकूलता की सीमा तक प्रभावहीन हो जायेगा।

प्रथम अनुसूची

(धारा २३ देखिये)

न्यायिक मामलों की सूची

(१) धारा ८८ की उपधारा २ के अन्तर्गत मामले।
(२) चरागाह भूमि पर चरावाही पशुओं के हक सम्बन्धी झगड़े।
(३) जंगलात की भूमि से खाद देने व जंगलात की उपज पर प्रयोग करने वाले के हक सम्बन्धी झगड़े मामले,
(४) भूमि सीमा का निपटारे के झगड़े।
(५) रेकार्ड आफ राइटस व वार्षिक रजिस्टरों में इन्द्राज करने के झगड़े।
(६) किसान की खातेदारी या भू-स्वामित्व रखने सम्बन्धी झगड़े।
(७) तबादले, उत्तराधिकार या अन्य विषयक नामान्तर।
(८) रेन्ट या रिवेन्यू देने सम्बन्धी झगड़े।
(९) दस्तूर गवाई या वाजिब-उल-अर्ज सम्बन्धी झगड़े।
(१०) रिवेन्यू या रेन्ट से मुक्त रखी हुई भूमि के मूल्य निर्धारण एवं जांच करने सम्बन्धी।
(११) जायदाद के टुकड़े करने व जोड़ने।
(१२) इस कानून के अन्तर्गत जुर्माना करने, पेनेलटी लगाने, जब्त करने सम्बन्धी।
(१३) मुआवजा को नियत करने।
(१४) इस कानून के अन्तर्गत बिक्री व नीलाम करने।
(१५) ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा नियत किये गये हों।

द्वितीय अनुसूची

(धारा २६३ देखिये)

(सूची उन अधिनियमों की जो रद्द कर दिये गये)

(१) राजस्थान टरीटोरियल डिवीजन्स आर्डीनेन्स १९४९।
(२) राजस्थान बोर्ड आफ रिवेन्यू ओर्डीनेन्स १९४९।
(३) राजस्थान रिवेन्यू कोर्टस (डसिगनेशन) ओर्डीनेन्स १९४९।
(४) राजस्थान रिवेन्यू कोर्टस (प्रोसीजर एण्ड ज्यूरिसडिक्सन) एक्ट १९५१।

(५) अलवर स्टेट रिवेन्यू कोड।
(६) भरतपुर रिवेन्यू कोड।
(७) भरतपुर लेण्ड रिवेन्यू मेनुअल।
(८) बीकानेर लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४५।
(९) बून्दी स्टेट लैण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४७।
(१०) बामवाड़ा कवाइदे माल।
(११) डूंगरपुर रिवेन्यू रूल्स।
(१२) जयपुर स्टेट ग्रान्टस लेण्ड टेन्योर एक्ट १९४७।
(१३) जयपुर लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४७।
(१४) जयपुर विलेज सर्विसेज एक्ट १९४८।
(१५) करौली स्टेट लेण्ड रिवेन्यू कोड।
(१६) कोटा रिवेन्यू सरकुलर्स।
(१७) मारवाड़ लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४९।
(१८) मारवाड़ जागीर सेटलमेण्ट रेग्यूलेशन्स १९४९।
(१९) कानून माल मेवाड़ रिवेन्यू कोर्टस् एक्ट १९४९।
(२०) मेवाड़ रिवेन्यू कोड एक्ट १९४७।
(२१) शाहपुरा कवाइद दस्तूर कारिन्दा १९२३।
(२२) सिरोही लेण्ड रिवेन्यू एक्ट १९४७।

[राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक १३-१-५८ के खण्ड ४-ग में प्रकाशित]

राजस्थान राजस्व विधियां (विस्तार) अधिनियम, १९५७

(अधिनियम संख्या २, सन १९५८)

[राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक ७ जनवरी, १९५८ को प्राप्त हुई]

प्राक् पुनर्गठन राजस्थान राज्य की कतिपय राजस्व विधियां को आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

चूंकि नये राजस्थान राज्य जैसा कि स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन एक्ट, १९५६ (सेन्ट्रल एक्ट सं० ३७ सन् १९५६) की धारा १० द्वारा निर्मित हुआ की राजस्व विधियों में एकरूपता लाने के लिये यह इष्टकर है कि प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य में प्रभावशील राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट सं० ३, सन १९५५) और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट सं० १५ सन् १९५६) को नये राजस्थान राज्य के आबू, अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिये प्रावधान किया जाये और तत्प्रयोजनार्थ तथा अन्य प्रयोजनों के लिये, जो इसमें नीचे अंकित हैं, उनमें उपयुक्त संशोधन किये जायें

अतः राजस्थान राज्य में विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है —

१ सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(१ यह अभिनियम राजस्थान राजस्व विधिया (विस्तार अधिनियम १९५७ कहलायगा।

(२) यह ऐसी तारीख से प्रभाव म आयगा जो राज्य सरकार राजपत्र म विज्ञप्ति द्वारा नियत करे।

२ परिभाषाए —इस अधिनियम म जब तक विषय अथवा प्रसग म अन्यथा अपेक्षित न हो—

[१] 'नियत दिन' स अभिप्राय धारा १ की उप धारा (२) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के लिये नियत किये गये दिन से है

[२] 'राजस्थान राजस्व विधियों' से अभिप्राय प्राक पुनर्गठन राजस्थान राज्य म प्रभावशील राजस्थान टेनेन्सी एक्ट १९५५ (राजस्थान एक्ट स ३, सन १९५५) तथा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट स० १५ सन १९५६) से है।

३ राजस्थान राजस्व विधियों का सशोधन —नियत दिन को तथा से राजस्थान राजस्व विधिया ऐसी रीति से तथा ऐसी सीमा तक जो धारा ४ और अनुसूची १ म उल्लिखित है सशोधित की जायेंगी।

४ राजस्थान राजस्व विधियों म सामान्य रूपभेद —राजस्थान राजस्व विधिया मे सर्वत्र जब तक विषय अथवा सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो और इस अधिनियम मे जैसा अन्यथा उपबन्धित हो उसे छोड कर —

[१] अभिव्यक्ति Rajasthan Gazette जहा कहा भी प्रयुक्त हुई हो के स्थान पर अभिव्यक्ति 'Official Gazette' प्रतिस्थापित की जायेगी

[२] शब्द "Rajasthan" अभिव्यक्ति 'Rajasthan Gazette' मे अथवा अभिव्यक्ति "State of Rajasthan" मे अथवा राजस्थान राजस्व विधियो के सक्षिप्त शीर्षकों अथवा अन्य किसी राजस्थान अधिनियमित मे हुई प्रयुक्ति को छोडकर अन्यत्र जहा कहीं प्रयुक्त हुआ हो उसके स्थान पर शब्द 'the State' प्रतिस्थापित किये जायेगे और

[३] राजस्थान राजस्व विधियों मे से किसी विधि के प्रारम्भ या प्रभावशील होने के निर्देशों से ऐसी विधि के आबू अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों मे प्रारम्भ के प्रसंग मे अर्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ का निर्देश, लगाया जायेगा।

५ राजस्थान राजस्व विधियों तथा उनके अन्तर्गत निमित नियमों आदि का विस्तार —नियत दिन को तथा से राजस्थान राजस्व विधिया धारा ३ तथा ४ द्वारा सशोधित रूप मे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदन्तर्गत बनाये गये या जारी किये गये नियम, विनियम आज्ञायें तथा विज्ञप्तिया आबू अजमेर तथा सुनेल क्षेत्रों सहित सपूर्ण नये राजस्थान राज्य मे विस्तारित तथा लागू होगी।

अधिनियमितियों तथा विधियों के प्रावधानों द्वारा अथवा तद्द्वारा अधिप्रमित नियमों विनियमों आज्ञाओं तथा विज्ञप्तियों के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार अथवा आरोपित किसी कर्तव्य के अनुसरण में अर्जित किसी हैसियत (स्टेटस) या सम्पत्ति पर अथवा लिये गये किसी दायित्व पर ऐसे निरसन अथवा अधिक्रमण का, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी हैसियत, संपत्ति या दायित्व राजस्थान राजस्व विधियों के प्रावधानों के प्रतिकूल या असंगत है अथवा उनके अन्तर्गत अर्जित नहीं किया जा सकता या लिया नहीं जा सकता था कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रथम अनुसूची

नोट —प्रथम अनुसूची के संशोधन मूल अधिनियम में लागू कर दिये हैं अतः यह अनुसूची पृथक से नहीं प्रकाशित की जा रही है।

द्वितीय अनुसूची

(देखिये धारा (६))

निरस्त की गई अधिनियमितियों की सूची

१ बाम्बे रेवेन्यू जुरिसडिक्शन एक्ट, १८७६ २ बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड, १८७९ ३ बाम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल एक्ट, १९३९ ४ बाम्बे टीनेन्सी एण्ड एग्रीकल्चरल लैंडस एक्ट, १९४८	जहां तक वे आबू क्षेत्र पर लागू होते हैं।
५ अजमेर तालुकादार्स रिलीफ रेगुलेशन, १८७२ ६ अजमेर लैंड एण्ड रेवेन्यू रेगूलेशन १८७७ ७ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, १८८७ ८ अजमेर एलीएनेशन आफ लैंड रेगूलेशन १९१४ ९ अजमेर मेरवाड़ा रिडम्पशन आफ मार्गेजेज रेगूलेशन १९२८ १० देहली एण्ड अजमेर लैंड डेवलपमेंट एक्ट, १९४८ ११ अजमेर टिनेंसी एण्ड लैंड रेकार्डस् एक्ट १९५०	जहां तक वे अजमेर क्षेत्र पर लागू होते हैं।
१२ मध्यभारत जागीर लैंड रेकार्डस् मैनेजमेंट एक्ट, १९४९ १३ मध्यभारत लैंड रेवेन्यू एण्ड टिनेंसी एक्ट १९५०	जहां तक वे सुनेल क्षेत्र पर लागू होते हैं।